भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

वर्ष 36 ■ अंक 01 आईएसएसएन 2457-015X अप्रैल-सितंबर 2024

सदस्य
ABCI
Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय-सूची

संपादक मंडल		1
संरक्षक का संदेश		2
संपादकीय		3
भाषण		
➢ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और उभरती प्रौद्योगिकी	शक्तिकान्त दास	5
आलेख		
➢ साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी है - सूचना सुरक्षा	डॉ. साकेत सहाय	11
➢ हरित वित्त - भविष्य या तो हरा होगा या होगा ही नहीं	सुन्दरम चौहान	17
➢ यूएलआई - ए गेम चेंजर	विवेक यादव	21
➢ धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से संबंधित निर्देश	विनय कुमार पाठक	27
➢ रीटेल डायरेक्ट - एक परिचय	सहना राजाराम	30
➢ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना : समृद्ध भविष्य का आधार	डॉ. मीनू मंजरी	33
➢ भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वर्तमान चुनौतियाँ	मनु बैसला	36
पुस्तक समीक्षा		
➢ ब्रेकिंग द मोल्ड : भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना	आलोक कुमार	41
स्थायी स्तंभ		
➢ रेग्युलेटर की नज़र से	ब्रिज राज	45
➢ घूमता आईना		
(राष्ट्रीय खंड)	डॉ. करुणेश तिवारी	50
(अंतरराष्ट्रीय खंड)	डॉ. गौतम प्रकाश	53

श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी, महाप्रबंधक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा एक्मे पैक्स और प्रिंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट : https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
ई-मेल : rajbhashaco@rbi.org.in फोन : 022-26572801

संपादक मंडल

संरक्षक

एन सारा राजेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

अध्यक्ष

ब्रिज राज
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रबंध संपादक

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

कार्यकारी संपादक

डॉ. सुशील कृष्ण गोरे
उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य

सुप्रिया पै
उप महाप्रबंधक एवं संकाय,
भारतीय रिज़र्व बैंक

अभिषेक कुमार
उप महाप्रबंधक एवं संकाय,
भारतीय रिज़र्व बैंक

दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय
स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकिंग संस्थान

राजीव जमुआर
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सुरेन्द्र प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051
कॉर्पोरेट ईमेल: rajbhashaco@rbi.org.in

उप- संपादक

बिजु एम वी
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संरक्षक का संदेश ...

यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' पत्रिका के माध्यम से आप सभी से संवाद करने का अवसर मिला। मुझे और भी खुशी होगी यदि मैं अपने प्रयासों से इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को और अधिक ज्ञानवर्धक और संवादपरक बनाने में अपना योगदान दे सकूँ।

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' पत्रिका को बैंकिंग एवं वित्तीय जगत में एक प्रमाणिक और अत्यंत लोकप्रिय पत्रिका का स्थान प्राप्त है। पत्रिका ने यह प्रतिष्ठा अपनी 35 वर्षों की अथक एवं अनवरत यात्रा से हासिल की है। इस सफल यात्रा का श्रेय उसके असंख्य पाठकों और लेखकों को जाता है जो इस यात्रा में उसके सहचर बने रहे। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रकाशित होने वाली यह हिंदी पत्रिका अपनी पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के कारण अपने एक विशाल पाठकवर्ग के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा इसकी नि:शुल्क प्रतियां देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अलावा देश के कोने-कोने से सामान्य पाठकों की मांग पर उन्हें भी डाक से भेजी जाती हैं जिसकी एक लंबी सूची है। इस प्रकार पाठकों का यह एक बड़ा परिवार पत्रिका की लोकप्रियता को ही दर्शाता है। नि:संदेह इसके लिए पत्रिका से जुड़े प्रबंधतंत्र एवं संपादक मंडल के सदस्य भी बधाई के पात्र हैं जिनके अनवरत प्रयासों से यह पत्रिका हिंदी में आर्थिक ज्ञान के चिंतन-अनुचिंतन का एक महत्वपूर्ण मंच बनती जा रही है। एक संस्कृत सुभाषित में ठीक ही कहा गया है कि –

न चोरहार्यं न राजहार्यं न भ्रतृभाज्यं न च भारकारि !
व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् !!

अर्थात विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, न ही राजा इसे छीन सकता है, विद्या रूपी धन ऐसा धन है, जिसका बंटवारा भाइयों में भी नहीं होता; विद्या खर्च करने से बढ़ती है और सभी धनों में श्रेष्ठ होती है।

जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे कि इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी स्थापना का 90वां वर्ष RBI@90 के रूप में मना रहा है। साथ ही, राजभाषा हिंदी के लिए यह हीरक जयंती वर्ष है। इस पृष्ठभूमि में मैं 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' की इस लंबी यात्रा को बैंकिंग एवं हिंदी जगत की एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देख रही हूँ और यह आशा करती हूँ कि आगे की यात्रा में भी यह पत्रिका अनेक कीर्तिमान स्थापित करे।

यह उल्लेखनीय है कि पत्रिका के स्वरूप को और बेहतर बनाने के लिए बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्रों, व्यापार, डिजिटल भुगतान एवं लेनदेन, मुद्रा, विदेशी मुद्रा, आई टी, साइबर सुरक्षा, ए आई, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन फाइनैंस आदि विषयों पर अपने लेखों को सरल हिंदी में तथ्यपरक एवं विश्लेषणपरक शैली में प्रस्तुत किए जाएं। आपके इस लेखन में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर उसके तमाम भू-राजनीतिक, विनियामकीय, पर्यवेक्षी, विधिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय जीवन के व्यापक संदर्भों में नवीनतम, शोधपरक एवं मौलिक प्रस्तुति सुरुचिपूर्ण भाषा एवं शैली में झलकनी चाहिए।

इस अंक को उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने की एक कोशिश की गई है। इस बार ऐसे विषय आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जो वैविध्यपूर्ण होने के साथ-साथ समकालीन वित्तीय परिदृश्य के केंद्र में भी हैं। हरित वित्त, यूएलआई, डीपीआई, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, एआई, ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास, वैश्विक विकास के घरेलू स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों, नई चुनौतियों के सामने कौशलयुक्त कार्यबल की आवश्यकता आदि के विभिन्न पहलू इस अंक के संकलित लेखों में बखूबी उभरकर सामने आए हैं।

मुझे विश्वास है कि 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का यह अंक आपको बहुत पसंद आएगा।

शुभकामनाओं सहित ...

एन सारा राजेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक एवं संरक्षक

संपादकीय

प्रिय पाठको

अद्वितीय ग्रंथ महाभारत में एक स्थान पर भीष्म पितामह कहते हैं

"अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्... यानी मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं।

चिंतन.....

कई कोणों से यह बात साफ दिखती है कि अर्थ या पैसा इस जगत का संचालक है। पैसे के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान होता है। रोटी, कपड़ा, मकान हो; पढ़ाई-लिखाई और दवाई हो, जन्म-मरण या सगाई हो, खेल-कूद या मनोरंजन हो; व्यक्तियों, कंपनियों का व्यापार हो, छोटा-बड़ा बिजनेस हो, लेन-देन या अन्य व्यवस्थाएं हों.. सबके केंद्र में कहीं न कहीं पैसा बैठा है और सबको चला रहा है।

इसकी शुरुआत भले ही लेन-देन के एक माध्यम के रूप में हुई हो, शीघ्र ही यह माध्यम नियंता बन बैठा...और इसका आविष्कारक इसका दास। मनुष्य ने अर्थ की अपार शक्ति देखी। देखा कि इससे संसाधनों पर कब्जा किया जा सकता है, व्यवस्थाएं चलाई जा सकती हैं, हुकूमतों को हिलाया-डुलाया जा सकता है। और तब से अर्थ का दास इसका स्वामी बनने में जुट गया। दासत्व और मजबूत होता गया। जो कि आज भी जारी है।

स्वामी बनने की आकांक्षा से ग्रसित इस दासता में मनुष्य ने कई सीमाओं को तोड़ा जिनके कहीं दुष्परिणाम तो कहीं सुपरिणाम सामने आए - व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर। उसने अपना व अपने आश्रितों का जीवन सुधारा, कारोबार खड़े किए और रोजगार दिए। दूसरी ओर उसने संसाधनों का बेहिसाब दोहन किया और व्यक्तिगत व सामाजिक समीकरणों को तहस-नहस भी किया। उसे पर्यावरण का महत्त्व बताते हुए कहना पड़ रहा है कि भविष्य या तो हरा होगा या होगा ही नहीं (पढ़िए श्री सुन्दरम चौहान को)। इस क्रम में उसने अर्थ के लेन-देन की प्रक्रिया को उन्नत किया जो आज यूपीआई, यूएलआई, डीपीआई के रूप में सामने है (पढ़िए श्री विवेक, डॉ मीनू, और सुश्री सहना राजाराम को)। माध्यम और व्यवस्था में धोखाधड़ी, जोखिम एवं सुरक्षा आदि से जुड़े कुछ पक्षों पर श्री साकेत और श्री विनय को देखिए। अपनी आर्थिक वित्तीय व्यवस्था में हमें देश भर की चुनौतियों एवं प्रगति का ध्यान रखना होता है (पढ़िए, कुमारी मनु को)। इसके अलावा अन्य रचनाएं एवं नियमित स्तंभ भी इस अंक में हैं।

अनुचिंतन....

अर्थ रूपी माध्यम का आविष्कारक माध्यम की तरह जड़ नहीं, बल्कि चेतना, बुद्धि, विवेक से संपन्न है; अध्ययन-मनन करता है, निर्णय लेता है। और यह पक्ष उसकी विशेष शक्ति है, उसका एक विशिष्ट आयाम है। अभी हाल ही में महान उद्योगपति रतन टाटा जी के देहावसान के बाद हम सबने देखा होगा कि उद्योग व कारोबार की दुनिया में उनकी उपलब्धियों से कहीं अधिक उनके बारे में यह बात सुनने को मिली कि एक अच्छे व्यक्ति व व्यक्तित्व को हमने खो दिया। यह साधारण नहीं, दुर्लभ उपलब्धि है। अर्थ का दास होते हुए भी दासत्व से ऊपर उठने और इसकी परिधियों के पार जाकर पैसे को उसकी औकात बताने की क्षमता मनुष्य के पास है।

अर्थ का दास कहलाने वाले मनुष्य ने इसका अध्ययन इस विस्तार एवं गहनता से किया है कि आज यह ज्ञान का एक सुविकसित क्षेत्र है जिसकी कई शाखा-प्रशाखाएं हैं। बैंकिंग और फाइनैंस उन्हीं में से एक है तथा इसी के एक उपवन का अंश है यह पत्रिका - 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'। मेरा सौभाग्य है कि आर्थिक-बैंकिंग दुनिया में साढ़े तीन दशकों की यात्रा कर चुकी इस गौरवमयी पत्रिका के इस अंक (अप्रैल-सितंबर 2024) से मुझे इसके प्रबंध संपादक के रूप में जुड़ने का अवसर मिला है।

यह समय ऐसा है जब हमारी संस्था 90 वर्षों की दहलीज पर है और हमारी राजभाषा हिंदी हीरक जयंती के पड़ाव पर। बैंकिंग को व्यक्ति और राष्ट्र के अधिकाधिक हित में ले जाने के उद्देश्य को समर्पित रिज़र्व बैंक तथा प्रशासन व व्यवस्था को जन-जन की भाषा में लाने की महान आकांक्षा से प्रेरित राजभाषा – इन दो धाराओं का काल के प्रवाह में ऐसा संगम अनंत संभावनाओं एवं निहितार्थों से परिपूर्ण एक अनूठे प्रतीक के रूप में उपस्थित हुआ है।

हम लोगों में से जो भी इस पत्रिका के माध्यम से आर्थिक व बैंकिंग विषयों को हिंदी में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, वे एक महान उद्देश्य के पथिक हैं। इस पत्रिका में लिखने वाले एवं इसे पढ़ने व इस पर प्रतिक्रिया देने वाले सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आइए अनंत संभावनाओं की दिशा में हम सब साथ-साथ चलें। इसमें प्रस्तुत तथ्यों को अधिक प्रामाणिक व अद्यतन बनाएं, विश्लेषण को अधिक तार्किक व प्रासंगिक बनाएं, विचारों व प्रस्तुतियों को व्यापक बनाएं और यह सब ऐसी सरल प्रवाहमयी हिंदी में हो जो अर्थ और बैंकिंग के निहितार्थों को जन-जन से जोड़ती चले।

आपको सुनने व पढ़ने की चाह में

सादर

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक और प्रबंध संपादक

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और उभरती प्रौद्योगिकी

(RBI@90 वैश्विक सम्मेलन में बेंगलुरु में 26 अगस्त 2024 को श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण)

- शक्तिकान्त दास, *गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक*

हम चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक का 90वां वर्ष मना रहे हैं। 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकी' (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज) पर यह वैश्विक सम्मेलन उन प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिन्हें हम इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को मनाने के लिए आयोजित कर रहे हैं। बेंगलुरू जैसे सुंदर और जीवंत शहर में आयोजित इस सम्मेलन में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जो कई वर्षों से भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति में सबसे आगे रहा है। मैं उन सम्मानित प्रतिभागियों का भी विशेष स्वागत करना चाहूंगा जो विश्व भर से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वैश्विक सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श और बातचीत को ज्ञानवर्धक और उपयोगी पाएंगे।

2. इस सम्मेलन का विषय - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और उभरती प्रौद्योगिकी - सामयिक और प्रासंगिक है। यह दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं की भावी यात्रा को आकार देगा। पिछले दशक में, पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में एक अभूतपूर्व प्रौद्योगिकीय परिवर्तन आया है। इस बात के संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में इस प्रक्रिया के और भी तीव्र होने की संभावना है। आज के अपने संबोधन में, मैं भारत की डिजिटलीकरण प्रक्रिया में डीपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने में इसके योगदान पर प्रकाश डालना चाहूँगा। भारत का अनुभव केंद्रीय बैंकों सहित सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए एक प्रभावी डिजिटलीकरण रणनीति प्रदान करता है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को रेखांकित करने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों और सीमा पार भुगतान संबंधी मुद्दों का समाधान करने में डीपीआई के उपयोग पर भी बात करूंगा।

डीपीआई का अर्थ और उसका सकारात्मक प्रभाव

3. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का संदर्भ बुनियादी प्रौद्योगिकी प्रणालियों से है, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में बनाई गई हैं, जो उपयोगकर्ताओं और अन्य निर्माताओं के लिए खुले तौर पर उपलब्ध हैं। डीपीआई मापनीय हैं, और इस प्रकार उन प्रणालियों का समर्थन कर सकती है जो जनसंख्या-व्यापी पैमाने पर काम करती है; वे अंतरसंचालनीय (इंटरऑपरेबल) हैं, और इस प्रकार नवोन्मेषकर्ताओं (इनोवेटर्स) के लिए सुलभ होने के कारण नवाचार को बढ़ावा देती है; और वे अपने पैमाने की अर्थव्यवस्था के आधार लागत प्रभावी भी हैं। मापनीयता, अंतरसंचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) और लागत दक्षता के ये तीन फायदे वित्तीय समावेशन में तेजी लाने और भौतिक दूरी, दस्तावेज़ीकरण और लेनदेन लागत जैसी पारंपरिक बाधाओं को पार करके लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं।

4. यह कहा जा सकता है कि डीपीआई ने भारत को एक दशक से भी कम समय में वित्तीय समावेशन के स्तर हासिल करने में सक्षम बनाया है, उसमें अन्यथा कई दशक या उससे अधिक समय लग जाता। डीपीआई लेन-देन की लागत को कम करके, उसे सभी लोगों की पहुँच में लाकर, अंतरसंचालनीयता के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और निजी पूंजी को आकर्षित करके बाज़ार नवाचार को बढ़ावा देती है। डीपीआई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का मार्ग प्रदान करती है। संकट के समय में, जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत और कुछ अन्य देश टीकाकरण कार्यक्रमों और लक्षित हस्तांतरण भुगतानों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने में सक्षम थे।

5. अन्य देशों में डीपीआई के उल्लेखनीय उदाहरणों में कोलंबिया का सेडुला डिजिटल; नाइजीरिया की नेशनल आईडी या बैंक सत्यापन संख्या (बैंक वेरिफिकेशन नंबर); फिलीपींस के फिलसिस; रवांडा की राष्ट्रीय पहचान एजेंसी (एनआईडीए) द्वारा प्रबंधित उनकी डिजिटल पहचान प्रणाली; सऊदी अरब का नफ़ाथ डिजिटल पहचान प्रबंधन मंच; सिंगापुर का सिंगपास; संयुक्त अरब अमीरात का यूएईपास; जैसे सत्यापन योग्य डिजिटल पहचान प्रणाली शामिल हैं।

6. जी20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (डीईडबल्यूजी) ने ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी (जीडीपीआईआर) विकसित की, जो एक व्यापक संसाधन केंद्र है, जो जी20 सदस्यों और अन्य प्रतिभागी देशों से आवश्यक पाठ और विशेषज्ञता का संग्रहण करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है डीपीआई के डिजाइन, निर्माण, परिनियोजन और अभिशासन के लिए आवश्यक विकल्पों और पद्धतियों में ज्ञान के अंतर को मिटाना। 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना' पर भारत के जी20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई 2024 को जारी की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, डीपीआई की परिभाषा और ढाँचे की स्वीकृति में योगदान दिया। इस एजेंडा को उत्तरवर्ती जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

डीपीआई के साथ भारत का अनुभव

7. अब मैं डीपीआई के साथ भारत के अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। भारत की डीपीआई यात्रा एक अनूठा मॉडल है, जिसमें मूल तकनीकी बुनियादी ढांचे का निर्माण, संचालन और प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र नवोन्मेषी ग्राहक केन्द्रित सेवाओं के सृजन में डीपीआई का प्रयोग करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में डीपीआई विकसित करने का लाभ यह है कि आम तौर पर निजी क्षेत्र अनिश्चित रिटर्न के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी निवेश के प्रति विमुख होगा। निजी स्तर पर सृजित बुनियादी ढांचा सभी लोगों के लिए पहुंच या अंतरसंचालनीयता के लिए भी उत्तरदायी नहीं हो सकता है। भारत का अनूठा दृष्टिकोण उन सेवाओं और उत्पादों को डिजाइन करने के लिए अनुकूल है जो खुले बाज़ार में प्रतिस्पर्धी हैं।

8. वित्त के क्षेत्र में डिजिटल भुगतान, डिजिटल मनी, डिजिटल पहचान और डिजिटल प्रक्रियाओं की सुविधा देने वाली प्रणालियाँ डीपीआई के प्रमुख घटक हैं। भारत ने तीन महत्वपूर्ण आयामों - डिजिटल पहचान, बैंक खाते और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी डीपीआई रणनीति सावधानीपूर्वक तैयार की है। आधार, भारत की बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, पहचान का एकल और पोर्टेबल प्रमाण प्रदान करता है। भारत के निवासियों के लिए लगभग 1.4 बिलियन[1] आधार संख्याएँ सृजित की गई हैं जो भारतीय आबादी के लिए लगभग सार्वभौमिक है। इसी प्रकार जन धन खातों यानी बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी)[2] खातों के माध्यम से बैंकिंग रहित क्षेत्रों को बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच प्रदान की गई है। जनधन योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आधे अरब[3] से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। प्रसंस्करण अवसंरचना के संबंध में किफायती मोबाइल फोन और इंटरनेट की उपलब्धता के माध्यम से मूल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। भारत में मोबाइल आधारित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या मई 2024 में लगभग 0.9 बिलियन[4] है जिसमें मोबाइल टेली-घनत्व 83 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल टेली-घनत्व लगभग 60 प्रतिशत है। जन धन खातों, आधार और मोबाइल फोन की ट्रिनिटी, जिसे लोकप्रिय रूप से जेएएम ट्रिनिटी के रूप में जाना जाता है, ने आधार डीपीआई अवसंरचना प्रदान की है जिसका लाभ कई मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए उठाया जा रहा है। जेएएम ट्रिनिटी पहल के तहत 67 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 55 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। यह समावेशन को बढ़ावा देने में डीपीआई की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

9. भारत में डीपीआई का एक अन्य उदाहरण रिज़र्व बैंक की एक नियामक पहल अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क

[1] https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/

[2] ऐसे बचत बैंक खातों में, कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे खाते कुछ न्यूनतम सुविधाएं भी मुफ्त में प्रदान करते हैं।

[3] https://pmjdy.gov.in/

[4] https://www.trai.gov.in/release-publication/reports/telecom-subscriptions-reports

सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल तरीके से पात्र वित्तीय प्रणाली प्रतिभागियों के बीच ग्राहकों की वित्तीय जानकारी के सहमति-आधारित साझाकरण और एकत्रीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह एमएसएमई को न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के साथ ऋणदाताओं से नकदी प्रवाह-आधारित वित्तपोषण तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

10. पिछले कुछ वर्षों में रिज़र्व बैंक ने आईएनएफ़आईएनईटी बैंकिंग नेटवर्क, एसएफ़एमएस मैसेजिंग सिस्टम, आरटीजीएस और एनईएफ़टी भुगतान प्रणालियों[5] जैसी डिजिटल अवसंरचनाओं का सृजन कर के खुदरा और थोक भुगतान दोनों के लिए देश में मजबूत प्रणालियों के विकास की सुविधा प्रदान की है। भारत में डिजिटल भुगतान का वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बड़े और छोटे दोनों मूल्य वर्गों की निधियों के तत्काल या त्वरित हस्तांतरण के लिए सरल, सुरक्षित और सुरक्षायुक्त विकल्पों का एक संकलन प्रदान करता है।

11. भारत में अप्रैल 2016 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा लॉन्च की गई एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली ने भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में बैंकों द्वारा स्वयं एनपीसीआई को बढ़ावा दिया गया था। हालांकि यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म पर शुरुआती भागीदार बैंक, गैर-बैंक तृतीय पक्ष ऐप प्रदाता और क्यूआर कोड का उपयोग सभी ने मिलकर यूपीआई को लोकप्रिय बनाया है। तब से यह एक मजबूत, प्रभावी लागत और पोर्टेबल खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा है और वैश्विक स्तर पर सभी का सक्रिय रूप से ध्यान खींच रहा है।

12. बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण की इस यात्रा को जारी रखते हुए, पिछले साल हमने एक प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म पायलट रूप में लॉन्च किया था जो घर्षण रहित ऋण की सुविधा प्रदान करता है। अब से हम इसे यूनिफ़ाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (यूएलआई) कहने का प्रस्ताव करते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म कई डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी के निर्बाध और सहमति आधारित प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। इससे ऋण मूल्यांकन में लगने वाला समय, विशेषकर छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए, कम हो जाता है। यूएलआई आर्किटेक्चर में सामान्य और मानकीकृत एपीआई हैं, जिन्हें विभिन्न स्रोतों से जानकारी तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'प्लग एंड प्ले' दृष्टिकोण के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे अनेक तकनीकी एकीकरणों की जटिलता कम हो जाती है। यह उधारकर्ताओं को व्यापक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता के बिना ऋण की निर्बाध सुपुर्दगी, त्वरित वापसी समय का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में, ग्राहक के वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा तक पहुंच को डिजिटल बनाकर, जो अन्यथा अलग-अलग एकल खानों (साइलो) में रहता है, यूएलआई से विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए ऋण की बड़े स्तर पर मांग को पूरा करने की उम्मीद है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। पायलट प्रोजेक्ट से हमारे अनुभव के आधार पर यूएलआई का राष्ट्रव्यापी लॉन्च उचित समय पर किया जाएगा। जिस तरह यूपीआई ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया, हम उम्मीद करते हैं कि यूएलआई भारत में ऋण देने की जगह को बदलने में समान भूमिका निभाएगा। **जेएएम-यूपीआई-यूएलआई की 'नई ट्रिनिटी' भारत की डिजिटल अवसंरचना की यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।**

---

[5] **आईएनएफ़आईएनईटी** (भारतीय वित्तीय नेटवर्क) : एक बंद उपयोगकर्ता समूह नेटवर्क है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। यह भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए संचार आधार प्रदान करता है।

एसएफएमएस (स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम) : एक सुरक्षित वित्तीय संदेश प्रणाली है जिसका उपयोग भारत में अंतर-बैंक और इंट्रा-बैंक संचार दोनों के लिए किया जाता है।

आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) : बड़े मूल्य के लेनदेन (₹2 लाख और उससे अधिक) के लिए एक 24x7x365 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें लेनदेन को सकल आधार पर लगातार संसाधित किया जाता है (यानी लेनदेन दर लेनदेन के आधार पर)।

एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंडस ट्रांसफर) : एक 24x7x365 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें लेनदेन बैचों में संसाधित किए जाते हैं।

13. केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) विश्व स्तर पर हाल के नीतिगत चर्चा पर हावी रही है। भारत में, रिज़र्व बैंक ने 2022 के अंत में खुदरा और थोक दोनों क्षेत्रों में सीबीडीसी पायलट लॉन्च किया। खुदरा पायलट के पास वर्तमान में 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और 16 प्रतिभागी बैंक हैं। जबकि खुदरा पायलट भुगतान के मामले के प्रारंभिक उपयोग के साथ शुरू हुआ था, वर्तमान में ऑफ़लाइन और प्रोग्रामिंग दोनों कार्यक्षमताओं का भी परीक्षण किया जा रहा है। सीबीडीसी की प्रोग्रामिंग सुविधा लक्षित उपयोगकर्ता को निधि के वितरण को सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में काम कर सकती है। मैं इसे एक वास्तविक पायलट द्वारा समझाता हूं जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था[6]। पट्टेदार कृषक को अक्सर इनपुट और कच्चे माल के लिए कृषि ऋण प्राप्त करना मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास बैंकों को जमा करने के लिए भूमि का स्वामित्व नहीं होता है। हालाँकि, कृषि आदानों की खरीद के लिए अंतिम उपयोग की प्रोग्रामिंग करने से बैंकों को आवश्यक सुविधा मिल सकती है और इस प्रकार एक कृषक की पहचान उसकी भूमि धारण के माध्यम से नहीं बल्कि संवितरित की जा रही निधि के अंतिम उपयोग के माध्यम से स्थापित हो सकती है। एक और अग्रणी उपयोग मामला[7] कृषकों को प्रोग्रामिंग सीबीडीसी के माध्यम से कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए उद्देश्यपूर्ण धन प्राप्त कराना है। गोपनीय और ऑफ़लाइन उपलब्धता जैसी सुविधाओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से अन्य नए उपयोग के मामलों को धीरे-धीरे शुरू करने का प्रस्ताव है।

14. इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ताओं, मौद्रिक नीति, वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्यापक समझ प्राप्त करने से पहले सिस्टम-व्यापी सीबीडीसी को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसी समझ पायलटों में प्रयोक्ता डेटा के सृजन से उभरकर सामने आएगी। सीबीडीसी की वास्तविक शुरूआत को धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जा सकता है। निस्संदेह, सीबीडीसी में घरेलू भुगतान और सीमा पार भुगतान दोनों के लिए भविष्य की भुगतान प्रणालियों को मजबूत करने की क्षमता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपीआई

15. आज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चैटबॉट्स, इंटेलिजेंट अलर्ट के लिए आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट मॉडलिंग और अन्य प्रक्रियाओं जैसी सेवाओं के रूप में वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एक मजबूत और उत्तरदायी डीपीआई में एकीकृत करने से डीपीआई की क्षमताओं और दक्षता को और भी अधिक बढ़ाने का अवसर मिलता है। डीपीआई पर भारत के जी20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई के साथ डीपीआई का निर्बाध विलय हमें "डिजिटल पब्लिक इंटेलिजेंस" की एक नई दुनिया में ले जाएगा। वित्तीय सेवाओं में एआई का एकीकरण सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है। ग्राहकों के लिए, एआई अति वैयक्तिकृत उत्पादों और तेज़, अधिक प्रासंगिक सेवाओं को सुगम बनाता है। उधारदाताओं जैसे वित्तीय संस्थानों को जोखिम और धोखाधड़ी प्रबंधन, सुव्यवस्थित संचालन और कम अनुपालन लागत के लिए उन्नत उपकरणों से लाभ होता है। विनियामकों को उन्नत पर्यवेक्षण और वास्तविक समय की निगरानी क्षमताएं प्राप्त होती हैं, जिससे विनियामकीय प्रवर्तन और बाजार स्थिरता में सुधार होगा।

16. हालांकि, इस तरह की उन्नति गंभीर चुनौतियों के साथ आती है। व्यक्तिगत जानकारी के वृहद संस्करणों को संभालने से डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। निष्पक्षता और पक्षपात की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए नैतिक एआई सुशासन आवश्यक है। वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई मॉडल व्याख्या योग्य हों, अर्थात व्याख्या करने की क्षमता की ऐसे परिणाम क्यों उत्पन्न होते हैं। एआई तकनीक का दुरुपयोग गलत सूचना फैलाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से डीपीआई के साथ-साथ अन्य डिजिटल प्रणालियों को गंभीर क्षति और व्यवधान हो सकता है। वे वित्तीय संस्थानों की प्रतिष्ठा और परिचालन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे स्वीकार करते हुए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

[6] पायलट को एसबीआई द्वारा 16 अगस्त 2024 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में लॉन्च किया गया था।

[7] इंडसइंड बैंक ने महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया।

(ओईसीडी) जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों ने एआई को नियंत्रित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जिसमें समावेशी विकास, विधि व्यवस्था और मानवाधिकारों के लिए सम्मान, पारदर्शिता और व्याख्या, मजबूती और सुरक्षा, और जवाबदेही शामिल हैं। दिसंबर 2023 में, हिरोशिमा एआई प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क की स्थापना की गई थी। इसमें मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट और एक आचार संहिता शामिल है, जो एआई के उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के लिए एक समन्वित वैश्विक दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

17. भारत 2024 के लिये एआई पर वैश्विक भागीदारी (जीपीएआई) का प्रमुख अध्यक्ष है। 29 देशों के साथ इस बहु-हितधारक पहल का उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, जैसे कि एआई रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म की स्थापना करना, जो भारत-विशेषी चुनौतियों और जटिल वास्तविक जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए स्वदेशी एआई-सक्षम उत्पादों और समाधानों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पहल न केवल एआई प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, बल्कि मजबूत अभिशासन भी सुनिश्चित करती है।

18. मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस सम्मेलन में एक पैनल चर्चा उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगी। मुझे विश्वास है कि पैनल प्रतिभागी एआई जैसी प्रौद्योगिकियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गौर करेंगे। नई प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए सक्रिय होना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही संबंधित जोखिमों और चुनौतियों के प्रति बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना विवेकपूर्ण होगा :

(i) एआई एक डेटा संचालित विज्ञान है। मॉडलों के प्रशिक्षण में उपयोग किए जा रहे डेटा की प्रामाणिकता, पक्षपात की संभावना, डेटा गोपनीयता की शंकाओं की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

(ii) एआई में प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाने की संभावनाएं निहित है। यह काफी सीमा तक निर्णय लेने का अनुकरण भी कर सकती है। हालांकि, जब विनियमित वित्तीय संस्थानों की बात आती है, तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले क्षेत्रों में एआई का सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा, उदाहरण के लिए ऋण मंजूरी। जबकि एआई निश्चित रूप से प्रक्रिया में सहायता कर सकती है, उनका उपयोग करने वाली संस्थानों को मॉडलों और परिणामों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की सही समझ होनी चाहिए।

(iii) एआई द्वारा उत्पन्न जोखिमों को समझने से परे जाकर, वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट रूप से देयताओं को रेखांकित करना और उनके सुव्यवस्थित और उत्तरदायी अंगीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रीय बैंकों और सरकारों को विश्वसनीय एआई के विकास को बढ़ावा देना चाहिए जिसके मूल तत्व के रूप में डेटा गोपनीयता, व्याख्या, उत्तरदायी और पारदर्शिता को रखा जाना चाहिए।

डीपीआई और सीमा-पार भुगतान

19. जी20 सहित बहुपक्षीय मंचों तथा सीपीएमआई जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों के लिए लगातार यह एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है कि सीमा पार भुगतान में दक्षता कैसे लाई जाए। विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में बहुत सारी पहल और प्रयोग पहले से ही चल रहे हैं। हालांकि थोक बाजारों के मामले में बहुत दक्षता हासिल की गई है, फिर भी खुदरा सीमा पार भुगतान का क्षेत्र अभी भी कई प्रकार के स्तरों से ग्रस्त है जो सीमा पार विप्रेषण में लागत और देरी को बढ़ाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी इन कठिनाइयों को आसान बना सकती है। कई देशों में तेज भुगतान प्रणाली के उद्भव और सीबीडीसी पर प्रयोग के साथ, सीमा पार भुगतान में अधिक दक्षता लाने के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। ऐसी पहलों में अधिकतम दक्षता लाभ एक प्रमुख डिजाइन तत्व के रूप में अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करने से आएगा

20. आदर्श रूप से, जबकि पुरातन भुगतान प्रणाली एक-दूसरे से जुड़ने में सक्षम होनी चाहिए और सीबीडीसी प्रणालियों को भी ऐसा ही करना चाहिए, एक देश की पुरातन प्रणाली को दूसरे देश की सीबीडीसी के साथ भी अंतरसंचालनीय होना चाहिए। अंतरसंचालनीयता का वास्तविक कार्यान्वयन चुनौतियां पैदा करेगा और इसमें कुछ ट्रेड-ऑफ शामिल हो सकते हैं। सामान्य (अंतरराष्ट्रीय) तकनीकी मानकों का उपयोग करके तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सुशासन संरचना या प्रबंधन ढांचे को भी अंतिम रूप देने की आवश्यकता होगी।

21. देशों के बीच सामंजस्य और अंतर-संचालनीयता प्राप्त करने की इस यात्रा में, एक प्रमुख चुनौती यह हो सकती है कि देश अपनी घरेलू परिस्थिति के अनुसार अपने स्वयं के सिस्टम को डिजाइन करना पसंद करें। हम एक प्लग एंड प्ले सिस्टम विकसित करके इस चुनौती को दूर कर सकते हैं जो संबंधित देशों की संप्रभुता को बनाए रखते हुए पुनरावृत्ति की अनुमति देता है। भारत ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है और राष्ट्रों के लाभ के लिए एक प्लग एंड प्ले सिस्टम विकसित करने में उसे प्रसन्नता होगी।

22. यूपीआई प्रणाली में सीमा पार विप्रेषण के उपलब्ध चैनलों के लिए एक सस्ते और त्वरित विकल्प के रूप में विकसित होने की क्षमता है। शुरुआत छोटे मूल्य के व्यक्तिगत विप्रेषण के साथ की जा सकती है क्योंकि इसे जल्दी से क्रियान्वित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

23. भारत व्यापक विविधता वाला एक विशाल देश है। एक समाधान जो भारत में अच्छी तरह से काम करता है, उसमें किसी अन्य देश की अद्वितीय आवश्यकताओं के साथ अनुकूलित होने की क्षमता है। तदनुसार, सम्मेलन आयोजकों ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए भारत के यूपीआई पर दूसरे दिन एक गहन सत्र आयोजित किया है। मैं सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि वे विभिन्न सत्रों में भाग लें और उनसे लाभ प्राप्त करें और अपने अनुभवों को भी साझा करें जो सभी के लिए सीख प्रदान कर सकें। मैं आपको इस सम्मेलन के लिए प्रासंगिक भारत के कुछ नवोन्मेषणों को प्रदर्शित करने वाली सम्मेलन प्रदर्शनी में भी आमंत्रित करता हूँ।

24. जैसा कि आपको स्मरण होगा, 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" था। यह भारत की विचार प्रक्रिया को रेखांकित करता है कि वह विश्व और स्वयं को एक समान भविष्य वाले एक परिवार के हिस्से के रूप में कैसे देखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक में, हम काफी आशावाद के साथ RBI@100 की ओर यात्रा के लिए तत्पर हैं। हम लगातार नीतियों, दृष्टिकोणों, प्रणालियों और प्लेटफार्मों को तैयार करने पर कार्य कर रहे हैं जो हमारे वित्तीय क्षेत्र को मजबूत, तेज और ग्राहक केंद्रित बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आप सभी के लिए सुखद प्रवास और सार्थक चर्चाओं की कामना करता हूँ। मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद और नमस्कार।

साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी है - सूचना सुरक्षा

- डॉ. साकेत सहाय

सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में 'सूचना सुरक्षा' अर्थव्यवस्था या व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सूचना सुरक्षा विभिन्न प्रकार की अनुपालन आवश्यकताओं द्वारा शासित होती है, जिनमें डेटा संरक्षण अधिनियम, कंप्यूटर दुरुपयोग अधिनियम और जीडीपीआर शामिल हैं। सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन (जीडीपीआर) यूरोपीय संघ (ईयू) और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर यूरोपीय संघ के कानून में एक विनियमन है। यह ईयू और ईईए क्षेत्रों के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को भी संबोधित करता है। भारत सरकार द्वारा भी जल्दी ही भारतीय डेटा संरक्षण कानून लागू किया जाना है।

सूचना सुरक्षा (जिसे इन्फोसेक के नाम से भी जाना जाता है) अनधिकृत प्रतिनिधियों से जानकारी (आमतौर पर डेटा) की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की रक्षा के लिए डिज़ाइन की गई प्रणालियों और नीतियों की एक श्रृंखला है। वही साइबर सुरक्षा, साइबर हमले से सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम, उपकरणों तथा डेटा की सुरक्षा एवं साइबर से संबन्धित जालसाजी को कम करने के लिए तकनीकों, प्रसंस्करणों तथा नियंत्रणों का एक एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करने के साथ-साथ सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के अनधिकृत प्रयोग से सुरक्षा करना भी है। साथ ही, यह कंप्यूटर नेटवर्क, एप्लीकेशनों, उपकरणों और डेटा हानि से बचाव या किसी प्रकार की क्षति से बचाव अथवा इससे संबन्धित हानि को कम करने में भी उपयोगी है।

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), अंचल कार्यालय
पंजाब नैशनल बैंक, हैदराबाद

सूचना सुरक्षा का दायरा बेहद व्यापक है। जबकि साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा का ही एक पहलू है। यह आपके एनालॉग डेटा (यथा, कागजी रिकॉर्ड एवं अन्य भौतिक संपत्तियों) की भी सुरक्षा करता है। जबकि साइबर सुरक्षा नेटवर्क एवं कंप्यूटर सिस्टम से डेटा तक अनधिकृत पहुंच की रक्षा करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के अनुसार **'आने वाले दिनों में साइबर सुरक्षा से संबन्धित खतरा एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। इससे निपटने के लिए यह जरूरी है कि साइबर सुरक्षा खतरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान दिया जाए। इस हेतु जहां सभी वित्तीय संस्थानों को आगे बढ़ने के लिए अपने आईटी प्रणाली को मजबूत करना होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य उभरते खतरों की समय रहते पहचान कर उनसे निपटने के प्रति हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना है।'**

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर की साइबर सुरक्षा में बढ़ती साइबर असमानता और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां बड़ा खतरा साबित होंगी। डब्ल्यूईएफ की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक-2024 रिपोर्ट में कहा गया है, 'दुनिया भर में साइबर असमनता काफी बढ़ी है और 90 फीसदी अधिकारी इस दिशा में चेतावानी दे रहे हैं कि इससे निपटने के लिए हमें तुरंत काम करना होगा।' एक रिपोर्ट के मुताबिक यांत्रिक मेधा(एआई) में हो रही प्रगति डीपफेक या गलत सूचना के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन परिस्थितियों में हमें साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु सूचना सुरक्षा पर विशेष बल देना होगा। साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक है – सूचना सुरक्षा। सरल शब्दों में, सूचना सुरक्षा, मूल रूप से सूचना की अनधिकृत पहुँच, उपयोग, प्रकटीकरण,व्यवधान, संशोधन, निरीक्षण, रिकॉर्डिंग या नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया है।

सूचना सुरक्षा का तात्पर्य अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध सूचना एवं इससे जुड़ी प्रणालियों की सुरक्षा करना है। सूचना सुरक्षा

प्रथाओं का प्रमुख उद्देश्य संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा एवं संशोधन सहित इसके अनधिकृत पहुंच और उपयोग से सुरक्षित रखना है। बदले में, यह महत्वपूर्ण डेटा की गोपनीयता को सुरक्षित रखता है जो वित्तीय जानकारी से लेकर खाता क्रेडेंशियल तक हो सकता है।

सूचना सुरक्षा 3 मुख्य सिद्धांतों द्वारा शासित होती है, जिन्हें सूचना सुरक्षा के सीआईए के रूप में जाना जाता है। सीआईए अर्थात् – गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता। इसे निम्नानुसार समझा जा सकता है-

गोपनीयता (Confidentiality) – इसका अर्थ है अनधिकृत व्यक्तियों, इकाइयों एवं इससे जुड़ी प्रक्रियायों तक सूचना का गैर-प्रकटीकरण।

अखंडता (Integrity) – इसका अर्थ है आँकड़ों की सटीकता एवं पूर्णता को बनाए रखना। अर्थात् , डाटा को अनधिकृत तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

उपलब्धता (Availability) – इसका अर्थ है आवश्यकता होने पर सूचना की उपलब्धता।

इसके अतिरिक्त एक और सिद्धान्त है जो सूचना सुरक्षा कार्यक्रमों को शासित करता है, जो कि गैर-परित्याग है।

गैर-परित्याग (Non Repudiation) – का अर्थ है न तो एक पक्ष संदेश या लेनदेन प्राप्त करने से इंकार कर सकता है और न ही दूसरा पक्ष संदेश या लेन-देन प्रेषण से इंकार कर सकता है।

कहा जा सकता है कि गोपनीयता, अखंडता एवं उपलब्धता तथा गैर-परित्याग सूचना सुरक्षा क्षेत्र के प्रमुख स्तंभ हैं। इनका हर समय ध्यान रखा जाना चाहिए। सूचना की गोपनीयता भी बेहद जरुरी है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सूचना किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जाए जिसके पास इसकी पहुंच न हो। साइबर अपराध से बचाव के लिए यह जरूरी है कि हम सभी सूचना सुरक्षा के महत्व को समझें। साइबर सुरक्षा जागरूकता में सूचना सुरक्षा की बड़ी भूमिका है। देश भर में सभी हितधारकों के माध्यम से सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु सतत अभियान चलाना होगा। इसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं -

- ❖ उद्योग, शैक्षिक क्षेत्र और जनसाधारण के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की पहचान, संरचना, कार्यान्वयन और संयोजन करना।
- ❖ जागरूकता अभियान चलाना, यथा - कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन।
- ❖ साइबर सुरक्षा से संबन्धित सुरक्षा मार्गदर्शक पुस्तकों का लेखन तथा इसका प्रचार-प्रसार।
- ❖ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साइबर सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय अभियान चलाना।
- ❖ घरेलू उपयोगकर्ताओं, विद्यार्थियों एवं गृहिणियों के लिए एक ओपन सोर्स साइबर सुरक्षा टूल किट विकसित करना।

इसी के साथ, हम सब स्वयं के स्तर पर भी निम्न सूचना सुरक्षा प्रणालियों को अपनाकर साइबर अपराध से अपना बचाव कर सकते हैं।

सूचना सुरक्षा हेतु सर्वोत्तम प्रथाएं

हम सब सूचना सुरक्षा की निम्नलिखित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं -

- लॉग-इन करने के लिए अक्षरों, संख्याओं और विशेष कैरेक्टर का संयोजन करके न्यूनतम दस कैरेक्टर वाले अभेद्य पासवर्ड बनाएं।
- अनुमति प्राप्त एंटी-वायरस का प्रयोग करते हुए हुए कम्प्यूटरों को वायरस/वर्म्स से सुरक्षित रखें।
- यह सुनिश्चित करें कि एंटी वायरस सॉफ्टवेयर सहित आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एवं सॉफ्टवेयर पैचेज अद्यतन हैं और आपके कम्प्यूटर में ऑटो-अपडेट्स सक्रिय हैं।
- कम्प्यूटर स्क्रीन पर संवेदनशील सूचना को कभी न रखें।
- अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए अपने कम्प्यूटर को हमेशा लॉक रखें।

- दो मिनट की टाइम आउट अवधि के साथ पासवर्ड – प्रोटेक्टेड स्क्रीन सेवर को सक्रिय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस कम्प्यूटर को आपने असुरक्षित छोड़ दिया है वह सुरक्षित हो जाए।

यह तो हुई कम्प्यूटर पर कार्य करने के दौरान अपनाई जाने वाली सामान्य सावधानियां। इसी के साथ इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान भी आवश्यक सावधानियों को अपनाना जरूरी है। हम सभी इंटरनेट पर रोज ही ब्राउजिंग करते हैं। अब यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ऐसे में इंटरनेट ब्राउजिंग के समय कुछ सामान्य इंटरनेट ब्राउजिंग सावधानियों को यदि अपनाया जाए तो यह बेहद सुरक्षित होगा-

- किसी भी लिंक अथवा डाउनलोड सामग्री पर क्लिक करते समय सावधान रहें।
- यदि यह अवांछित अथवा संदिग्ध है तो उस पर कदापि क्लिक न करें।
- सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर/विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त स्रोतों के सिवाय किसी अन्य स्रोत से कोई फाइल/सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करें।
- उसी वेब-ब्राउजर का प्रयोग करें जिसकी अनुमति आपके संगठन द्वारा दी गई है।
- ब्राउजिंग के लिए हमेशा अपडेटेड वेब-ब्राउजर का ही प्रयोग करें। यदि आप ऐसे वेब-ब्राउजर का प्रयोग करते हैं जो आउटडेटेड है तो इससे सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो सकता है और आप-अपने कम्प्यूटर एवं सूचना की सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं। इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी यथा, ई-मेल, बैंकिंग डिटेल्स, ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन्स, फोटो एवं अन्य संवेदनशील सूचनाओं को चुराया अथवा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- इंटरनेट से जुड़ी किसी भी डिवाइस पर किसी भी प्रकार की संवेदनशील सूचना को न रखें और न किसी से साझा करें। इससे इसके दुरुपयोग के खतरे हो सकते हैं।
- यदि लॉग-इन स्क्रीन पर सूचना प्रविष्टि के पश्चात विंडो में ब्राउजर पर दिया जाने वाला "सेव पासवर्ड" विकल्प आता है अथवा आपको ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो कदापि इसका चयन नहीं करें।
- वेब ब्राउजर, विशेष रूप से उन कम्प्यूटरों पर जो अन्य यूजर्स के साथ शेयर्ड हैं, आदि पर पासवर्ड अथवा क्रेडिट कार्ड से संबंधित सूचनायें, खाता संबंधी जानकारी इत्यादि कभी भी सुरक्षित न करें।
- ब्राउजर एड्रेस बार में https का साइन अवश्य देखें। https में "एस" का मतलब सुरक्षित से है जिसका तात्पर्य यह है कि वेबसाइट में एसएसएल इंसक्रिप्शन किया गया है।
- प्रत्येक लॉग-आउट सेशन के पश्चात ब्राउजर से हिस्ट्री क्लीयर करने की आदत बना लें।

इंटरनेट सर्च के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां -

- याद रखें कि इंटरनेट पर कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती। अत: ऑनलाइन मुफ्त ऑफ़र से सदैव सावधान रहें।
- किसी भी वित्तीय या संवेदनशील ट्रांजेक्शन में एक्सेस करने और उसे संचालित करने के लिए सार्वजनिक कंप्यूटर और सार्वजनिक वाई-फाई कनेक्शन के उपयोग से बचें। ऐसे कंप्यूटरों को एक्सेस करने से सूचना लीक होने का खतरा बना रहता है।
- सूचना प्रणालियों के सुरक्षित तरीके से एक्सेस करने हेतु मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) लिंक, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) जैसे सुरक्षा नियंत्रणों का उपयोग करें।

पासवर्ड प्रबंधन

आज उन लोगों के लिए अनधिकृत एक्सेस एक बड़ी समस्या है जो कंप्यूटर अथवा स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। इनमें से कई लोगों को वर्गीकृत जानकारी, व्यक्तिगत डेटा आदि जैसे मूल्यवान डेटा की हानि उठानी पड़ जाती है। हैकरों का कंप्यूटर से गुप्त जानकारी चुराने का सबसे आम तरीका पासवर्ड का अनुमान लगाना है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड से हैकर्स को कंप्यूटर तक आसानी से पहुँचने और नियंत्रित करने में आसानी होती है।

पासवर्ड प्रबंधन सुदृढ सूचना सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अत: पासवर्ड बनाने एवं प्रबंधित करते समय निम्नलिखित प्रणालियों को अपनाकर हम अपने पासवर्ड को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं-

- वर्णमाला, संख्याओं तथा कैरेक्टरों का संयोजन करके कम-से-कम 10 कैरेक्टर का आदर्श और मजबूत पासवर्ड बनाएं।
- सभी पासवर्ड (अर्थात् ई-मेल, कंप्यूटर आदि) को प्रत्येक तीन महीने में कम-से-कम एक बार अवश्य बदलें।
- पुराने पासवर्ड का पुनः उपयोग न करें।
- कंप्यूटर, नोटबुक, नोटिस बोर्ड या ऐसे किसी अन्य स्थान पर पठनीय रूप में पासवर्ड को संग्रहीत नहीं करें ताकि अनधिकृत व्यक्ति उन्हें ढूंढकर इसका दुरुपयोग नही कर सकें।
- पासवर्ड को संवेदनशील जानकारी मानें और इसे किसी के साथ साझा न करें।
- अपने हर लॉग-इन खातों के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखें। यदि आपके द्वारा प्रयोग की जा रही कोई साइट हैक हो जाए तो एक से अधिक खातों के लिए एक ही पासवर्ड का प्रयोग करने से आपको कई प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
- यदि आपको किसी काम में पासवर्ड बताने की आवश्यकता पड़ती है, तो ई-मेल के माध्यम से अटैचमेंट के रूप में भेजी गई एन्क्रिप्टेड फ़ाइल के लिए पासवर्ड भेजते समय इसे फोन कॉल या एसएमएस जैसे अलग चैनल के माध्यम से बताया जाए।
- यदि एप्लीकेशन द्वारा "रेमेंबर पासवर्ड" फीचर दर्शाया जाता है तो इसे हमेशा डिक्लाइन करें।

एक सुरक्षित पासवर्ड

सुरक्षित पासवर्ड में अक्षरों की बजाय नंबर, विशेष वर्ण/ स्पेशल कैरैक्टर एवं अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लैटर्स का ही प्रयोग करें।

ई-मेल प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां

ई-मेल आधुनिक सूचना संचार का एक सशक्त माध्यम है। आज भी कार्यालयीन आवश्यकताओं में इसका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके दुरुपयोग से सूचना सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है। एक प्रयोक्ता के रूप में ई-मेल प्रयोग के संबंध में अपनाई जाने वाली निम्नलिखित सावधानियां हैं :

- विभागीय प्रयोग के लिए केवल संगठन द्वारा मुहैया कराए गए ई-मेल एड्रेस का ही प्रयोग करें।
- अप्रमाणित स्रोतों से प्राप्त ई-मेल अटैचमेंट्स को डाउनलोड करने से बचें या इनसे प्राप्त संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।
- वर्गीकृत सूचना को ई-मेल द्वारा संप्रेषित नहीं करें।
- सार्वजनिक Wi-Fi कनेक्शनों से ई-मेल अकाउंट को एक्सेस करने से बचें।
- ई-मेल अकाउंट्स के लिए पासवर्ड के आटो सेव को अधिकृत नहीं करें।
- अपना कार्य पूरा करने के बाद ई-मेल अकाउंट से लॉग-आउट करें।
- किसी ई-मेल में प्राप्त हुए लिंक को क्लिक करने की बजाय प्रयोक्ता को संपूर्ण URL, browser में टाइप करना चाहिए।
- किसी भी संदिग्ध ई-मेल को न खोलें/न अग्रेषित करें / न ही उत्तर दें।
- छोटे URL (जो http://tiny.cc/ba1j5y जैस दिखते हों) से सावधान रहें और कदापि इन्हें क्लिक न करें ये आपको malware संक्रमित वेबसाइट में ले जा सकते हैं।
- ऐसे अटैचमेंट को न खोलें जिनमें EXE, DLL, VBS, SHS, PIF, SCR, APK जैसे एक्सटेंशन हैं।

होम Wi-Fi प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां

लैपटॉप, स्मार्ट फोन और टैबलेट के अधिक प्रयोग से, इंटरनेट कनेक्टिविटी के एक विकल्प के रूप में वायरलेस कनेक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। असुरक्षित बेतार कन्फ़िगरेशन, मैलिशियस थ्रेट एक्टर्स के लिए यह एक आसान रास्ता उपलब्ध करा सकता है। घर के Wi-Fi नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए

निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है -

- राउटर्स में WPA2 अथवा हायर इन्क्रिप्शन फीचर चालू करें।
- नेटवर्क डिवाईस के डिफ़ॉल्ट नाम को बदलें, इसे सर्विस-सेट-आइडेन्टीफायर अथवा 'SSID' के रूप में भी जाना जाता है। जब भी बेतार कनेक्शन के साथ कोई कम्प्यूटर search करता है और नजदीकी बेतार नेटवर्क इसे प्रदर्शित करता है, तो यह प्रत्येक नेटवर्क की सूची को दर्शाता है, जो सार्वजनिक रूप से इसके SSID को प्रसारित करता है। अत: यह उचित होगा कि आप ऐसा SSID नाम रखें जो किसी भी रूप में आपकी पहचान को न प्रकट करता हो।
- नेटवर्क डिवाईस डिफॉल्ट पासवर्ड को बदलें। अप्राधिकृत यूजर, डिफॉल्ट पासवर्ड से परिचित हो सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने राउटर डिवाईस के पासवर्ड को बदल दें।
- आप बेतार राउटर में मीडिया एक्सेस कंट्रोल अथवा 'MAC', एड्रेस फिल्टर के प्रयोग पर विचार करें।
- यदि लंबे समय तक राउटर की जरूरत न हो तो अपने बेतार राउटर को ऑफ कर दें।
- बेतार डिवाईसेस के फर्मवेयर को नियमित रूप से अद्यतन करते रहें। इससे डिवाईस में व्याप्त होने वाली सुरक्षा बचाव की कमियों से बचाव हो सकेगा।

सोशल मीडिया का प्रयोग:

सोशल मीडिया पर अनधिकृत सूचना को साझा करने से बचें। किसी भी सरकारी डिवाईस (कम्प्यूटर, मोबाइल आदि) पर सोशल मीडिया को कभी एक्सेस न करें। सोशल मीडिया अथवा सोशल नेटवर्किंग पोर्टल अथवा एप्लीकेशंस पर किसी भी प्रकार की सरकारी सूचना को प्रकट नहीं करें। इससे सोशल मीडिया पर नकारात्मक सोशल इंजीनियरिंग से बचा जा सकेगा।

सोशल इंजीनियरिंग, गलत प्रतिनिधित्व के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का एक आसान प्रवेश-मार्ग है। सूचना प्राप्त करने के लिए यह महसूस किए बिना कि इससे सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा है, यह लोगों के साथ जानबूझ कर की जाने वाली धोखेबाजी है। यह टेलीफोन के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप में और ई-मेल के माध्यम से नकली पहचान के रूप में की जा सकती है। हम निम्नलिखित को अपनाकर सोशल इंजीनियरिंग के हमलों से अपना बचाव कर सकते हैं -

- अप्राधिकृत फोन कॉल, मुलाकात अथवा व्यक्तियों के ई-मेल संदेशों से सावधान रहें, जो आपके ऊपर निजी अथवा अन्य सरकारी जानकारी देने के लिए दबाव डालते हैं। यदि कोई अंजान व्यक्ति किसी वैध संगठन से होने का दावा करता है तो उसकी पहचान की सत्यता सीधे कंपनी से पता करने की कोशिश करें।
- Phishing एक सामान्य प्रकृति का सोशल इंजीनियरिंग स्कैम है। इसके तहत हैकर किसी ऐसी सूचना की मांग करते हुए, अपने लक्ष्य के लिए कोई ई-मेल अथवा text भेजता है, जो किसी विशेष अपराध में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए ई- मेल या संदेशों में निजी, संवेदनशील अथवा वित्तीय जानकारियों का खुलासा न करें तथा इस प्रकार की ई-मेल का कोई जवाब न दें। उदाहरण के लिए, हैकर ऐसे ई-मेल भेज सकता है, जो पीड़ित को किसी विश्वसनीय स्रोत से आए प्रतीत होते हैं। यथा, ऐसा स्रोत कोई बैंक हो सकता है, जो ई-मेल प्राप्तकर्ता को उसके अकाउंट को लॉग-इन करने हेतु किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कह सकता है। यद्यपि जो उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उसे एक जाली वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो ई-मेल्स की तरह ही वैध प्रतीत होती है। यदि वे उक्त जाली साइट पर लॉगइन करते हैं तो वे अनावश्यक रूप से अपना लॉगइन क्रेडेंशियल्स दे रहे होते हैं और इस प्रकार वे धोखेबाज को अपने बैंक खातों तक पहुंचने का रास्ता दे देते हैं।
- Vishing प्रारूप phishing का ही एक voice version है। "V" का आशय voice से होता है। अन्यथा स्कैम की कोशिश का तरीका वैसा ही होता है। इसमें हैकर पीड़ित को महत्वपूर्ण सूचना देने के बहाने उसे फंसाने हेतु फोन का प्रयोग करता है। इसलिए फोन कॉल्स पर कोई भी संवेदनशील जानकारी का खुलासा कदापि न करें। उदाहरण के लिए, कभी कोई हैकर अपने-आपको सरकारी अधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को कॉल कर सकता है। हैकर पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करके उससे लॉग-इन आईडी, पहचान या अन्य सूचना देने के लिए कह सकता है जिसका उपयोग वे संगठन को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं।

- आपस में लेनदेन का घोटाला सोशल इंजीनियर अटैक का एक दूसरा प्रकार है जिसमें आपसी लेनदेन शामिल होता है जैसे कि 'मैं आपको यह देता हूं, और आप मुझे यह दें।' हैकर्स पीड़ित को यह विश्वास दिलाता है कि यह सही लेनदेन है, किंतु मामला ऐसा नहीं होता है क्योंकि हैकर के लिए दूसरे को धोखा देना सर्वोपरि होता है। उदाहरण के लिए, कोई हैकर अपने को आई टी सपोर्ट तकनीशियन बनकर किसी टारगेट को कॉल कर सकता है। पीड़ित अपने कम्प्यूटर का लॉग-इन क्रेडेंशियल्स यह सोचकर सौंप सकता है कि उसे बदले में तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। इसके बजाय हैकर अब पीड़ित के कम्प्यूटर का कंट्रोल अपने-पास ले सकता है। इसमें मालवेयर लोड करके या शायद कम्प्यूटर से व्यक्तिगत सूचना लेकर उसके पहचान की चोरी कर सकता है।
- किसी भी वेबसाइट के यूआरएल से सावधान रहें। दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट वास्तविक साइट की ही तरह दिख सकती है, लेकिन यूआरएल के स्पेलिंग में अंतर हो सकता है या भिन्न डोमेन (अर्थात् .com vs.net) का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतया, सभी सरकारी वेबसाइट में उनके नाम के अंत में gov.in या nic.in होता है। उदाहरण के लिए दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट में वास्तविक नाम www.india.gov.in के स्थान पर www.indiagov.in या www.india-gov.in का उपयोग किया जा सकता है।
- किसी लिंक पर क्लिक करने की तुलना में ब्राउज़र में यूआरएल टाइप करना सुरक्षित है। ई-मेल में लिंक पर जाने से नीचे वास्तविक यूआरएल दिखाई देगा। किंतु यहां भी जालसाज चालाकी से आपको गलत जगह ले जा सकते है।
- हैकर यह चाहता है कि आप पहले काम करें और बाद में सोचें। यदि किसी मैसेज में तात्कालिकता का भाव हो या काफी दबाव डाला जा रहा हो तो आशंकित हो जाएं; कभी भी तात्कालिकता से प्रभावित होकर सावधानीपूर्वक जांच या समीक्षा करना नहीं छोड़ें।
- यदि आपको किसी विदेशी लॉटरी या स्वीपस्टेक्स से ई-मेल, किसी अंजान रिश्तेदार से पैसे या किसी धनराशि के शेयर के लिए विदेश से कुछ धनराशि ट्रांसफर करने का अनुरोध प्राप्त होता है तो यह निश्चित रूप से घोटाला है। अत: कभी भी इसका जवाब नहीं दें और ऐसे किसी भी ई-मेल को तुरंत स्पैम में भेजकर डिलीट कर दें।
- यदि आपने किसी को अपना पासवर्ड बताया है तो उसे तुरंत बदल दें। यदि आपने कई रिसोर्सेस के लिए एक ही पासवर्ड का यूज किया है तो प्रत्येक एकाउंट के लिए इसे निश्चित रूप से बदलें तथा भविष्य में उस पासवर्ड का उपयोग न करें।

उपसंहार

उक्त सभी बिन्दुओं का यदि समाहार करें तो पाते हैं कि सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी का एकमात्र समाधान है लोभ, लालच या अज्ञानतावश किसी भी अनधिकृत सूचना को साझा करने से बचाव। सोशल मीडिया अथवा सोशल नेटवर्किंग पोर्टल या एप्लीकेशंस पर अनधिकृत सूचना को प्रकट करने से बचें। इससे नकारात्मक सोशल इंजीनियरिंग से एक हद तक बचा जा सकता है। साथ ही, यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र में सतर्कता एवं सावधानी ही सबसे बड़ा रक्षोपाय है।

निष्कर्षत: डिजिटलाइजेशन एवं इंटरनेट के विकास के साथ ही इंटरनेट एवं इस पर आधारित डिजिटल माध्यम का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ गया है। फलस्वरूप, हम कम्प्यूटर, इंटरनेट, विभिन्न डिजिटल और मोबाइल उपकरणों के ऊपर हद से ज्यादा आश्रित होते जा रहे हैं। अत: विभिन्न संगठनों द्वारा सार्वजनिक क्लाउड (सेवा प्रदाताओं के स्थान पर तथा इंटरनेट से जुड़े डाटा, सर्वर, एप्लीकेशन आदि का पता लगाने) को स्वीकार करने के साथ ही इन आधारभूत संरचनाओं के प्रयोग हेतु इनके उपयुक्त नियंत्रण और सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ गयी है। ऐसे में सूचना सुरक्षा प्राथमिक आवश्यकता है। साथ ही, इसकी सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है कि हम इनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से होने वाले विभिन्न जोखिमों एवं इनके नियंत्रित व सुरक्षित उपयोग हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों के प्रति निरंतर सतर्क व जागरूक रहें व दूसरों को भी इस हेतु जागरूक व प्रोत्साहित करें क्योंकि सूचना सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा इन्हीं सावधानियों के प्रति सतर्क व जागरूक रहने की प्रणाली है और हमें समय के साथ चलते रहने के लिए इन उपायों को अपनाकर सतर्क व सुरक्षित होकर अपना काम करते रहना होगा। क्योंकि सूचना सुरक्षा जोखिम सुरक्षा के साथ ही संवेदनशील डेटा और परिसंपत्तियों की सुरक्षा में भी सहायक है।

हरित वित्त - भविष्य या तो हरा होगा या होगा ही नहीं

- सुन्दरम चौहान

आज, हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं—जहाँ आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ चलना चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का ख़तरा नहीं है। यह वास्तविक है, यह वर्तमान है, और इसके प्रभाव पहले से ही उग्र मौसम, बाधित पारिस्थितिक तंत्र और आर्थिक संवेदनशीलता के रूप में महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक महत्वपूर्ण अवसर छिपा है,**वही अवसर है हरित वित्तपोषण**।

हरित वित्तपोषण क्या है?

हरित वित्तपोषण का तात्पर्य है पर्यावरणीय स्थिरता को वित्तीय क्षेत्र से एकीकरण में जोड़ना, और उन परियोजनाओं में निवेश करना जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने और हरित विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, सतत कृषि, विद्युत गतिशीलता, और हरित बुनियादी ढांचा इत्यादि शामिल हैं। इसलिए हरित वित्तपोषण मूलतः उन परियोजनाओं में पूंजी लगाने के बारे में है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, संसाधनों को संरक्षित करती हैं, और सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देती हैं।

भारत में हरित वित्तपोषण की वर्तमान स्थिति

भारत मे हरित वित्तपोषण की वर्तनाम स्थिति काफी तेजी से विकसित हो रही है, उदाहरण के लिए, 2021 में, भारत ने हरित बॉन्ड के माध्यम से लगभग $13 बिलियन जुटाए, जो की उसके पिछले पांच साल की तुलना में 1,000% ज्यादा है। यहाँ तक कि हमारा देश अब उभरते बाजारों में हरित बॉन्ड का दूसरा सबसे बड़ा जारीकर्ता है, इसके अलावा, भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसकी घोषणा COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। ये सारे कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति हमारे समर्पण को उजागर करता है। और यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हरित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के लिए 2070 तक हमें अनुमानित 10.1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। लेकिन यह केवल एक चुनौती नहीं है; यह व्यवसायों, निवेशकों, और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।

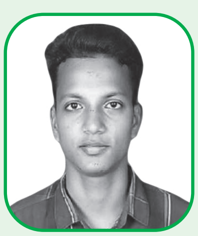

प्रबंधक, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

हरित वित्तपोषण क्यों?

हरित वित्तपोषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मौलिक रूप से हरित वित्तपोषण नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता, और सतत कृषि जैसी स्थायी परियोजनाओं में निवेश को प्रसारित करता है। यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए पर्याप्त लाभ भी प्रदान करते हैं। और भारत पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव झेल रहा है – चाहें केरल में भीषण बाढ़ हो या फिर महाराष्ट्र में पानी की कमी। यहाँ तक की विश्व बैंक का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक भारत की GDP का 2.8% वार्षिक रूप से कम कर सकता है। हरित वित्तपोषण इन खतरों के समाधान करने का एक सीधा तरीका है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाता है।

हरित वित्तपोषण में अवसर

1. नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति: भारत पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा में एक वैश्विक नेता है। भारत ने **2030** तक **500 GW** की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है इसके लिए

हरित वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) का आकलन है कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 450 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश संभावित है। इसका मतलब है कि निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के लिए सौर, पवन, और बायोमास ऊर्जा संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए विशाल अवसर हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में रीवा सौर ऊर्जा परियोजना है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा सफलता का प्रतीक बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण और सरकारी सहायता प्राप्त धन से समर्थित, रीवा का 750 MW का संयंत्र दिल्ली मेट्रो और कई उद्योगों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करता है, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है।

2. सतत बुनियादी ढाँचा विकास: आने वाले वर्षों में भारत में शहरीकरण की गति तेजी से बढ़ने की संभावना है, और अनुमान है कि 2031 तक लगभग 600 मिलियन लोग शहरों में रहेंगे। इस तीव्र विकास के साथ, हमारे सामने स्मार्ट और हरित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। इसमें ऊर्जा-कुशल इमारतों, टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों और पर्यावरण के अनुकूल शहरी विकास जैसी पहलें शामिल होंगी। इसी दिशा में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का उद्देश्य 2025 तक बुनियादी ढांचे में 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करना है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा हरित परियोजनाओं को समर्पित है। हरित वित्तपोषण के विभिन्न उपकरण, जैसे हरित बॉन्ड, स्थिरता से जुड़े ऋण, और प्रभाव निधि, इन परियोजनाओं को आवश्यक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण कोच्चि मेट्रो है, जो भारत की पहली मेट्रो प्रणाली है जिसने अपने बुनियादी ढांचे में सौर ऊर्जा का पूरी तरह से एकीकरण किया है। इस परियोजना को नगरपालिका बॉन्ड और निजी वित्तपोषण के संयोजन से पूरा किया गया, और यह भविष्य के शहरी विकास के लिए एक प्रेरणा बन गई है। यह दिखाता है कि हरित वित्तपोषण न केवल टिकाऊ शहरों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, बल्कि शहरीकरण के साथ जुड़े पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान भी प्रदान करता है

3. हरित बॉन्ड बाज़ार का विस्तार: भारत का हरित बॉन्ड बाजार, हालांकि अभी भी नवजात है, लेकिन अपार संभावनाएँ रखता है। वैश्विक स्तर पर, हरित बॉन्ड जारी करने का आंकड़ा 2021 में ही 500 बिलियन डॉ**लर** को पार कर गया, और भारत भी इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 2018 में अपना पहला हरित बॉन्ड जारी किया, जिसके माध्यम से 650 मिलियन डॉलर जुटाए गए, जिनका उपयोग विशेष रूप से पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया गया। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का समर्थन था, बल्कि हरित वित्तपोषण की ओर भारत के बढ़ते रुझान का भी प्रतीक था।

इसी दिशा में, एक्सिस बैंक ने भी हरित बॉन्ड के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर जुटाए, जिनका उपयोग स्वच्छ परिवहन और जल प्रबंधन जैसी टिकाऊ परियोजनाओं के लिए किया गया। और यही नहीं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को वित्तपोषित करने के लिए 500 मिलियन यूरो के हरित बॉन्ड जारी किए, जो भारत के जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा कदम था।

इसलिए यह स्पष्ट है कि हरित बॉन्ड बाजार का विस्तार, कंपनियों और नगर पालिकाओं को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने का एक प्रभावी और किफायती तरीका प्रदान कर रहा है। जैसे-जैसे यह बाजार विकसित हो रहा है, भारत की हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हरित वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है।

4. सतत कृषि एवं जल संरक्षण: कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के नाते, प्राकृतिक संसाधनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उपभोग करती है। हालाँकि, यह जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में हरित ऋण और कार्बन क्रेडिट जैसे नवीन वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से, भारत टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन कर सकता है, जैविक खेती को बढ़ावा दे सकता है और जल संरक्षण में सुधार कर सकता है। ड्रिप सिंचाई और सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं जैसी प्रौद्योगिकियां हमारे कृषि क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न को काफी हद तक कम कर सकती हैं, जिससे हरित निवेशकों के लिए और अवसर पैदा होंगे।

भारत का 80% पानी कृषि में खपत होता है, और जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र को असुरक्षित बनाता है। इस चुनौती का सामना

करने के लिए हरित वित्तपोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2015 में जारी यस बैंक का हरित बॉन्ड इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस बॉन्ड के जरिए बैंक ने टिकाऊ जल प्रबंधन और जैविक खेती से संबंधित कई परियोजनाओं को वित्त पोषित किया, जिससे राजस्थान और गुजरात के किसानों को ड्रिप सिंचाई और सौर ऊर्जा संचालित पंप अपनाने में मदद मिली।

इसके अलावा, महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग ने जल विभाजन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हरित वित्त तंत्र द्वारा वित्त पोषित एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों के लिए जल संरक्षण में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह सब दर्शाता है कि हरित वित्तपोषण केवल पर्यावरण की सुरक्षा ही नहीं करता, बल्कि भारत की कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला और टिकाऊ भी बनाता है।

5. इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ गतिशीलता: भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का उद्देश्य रखा गया है। हालांकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल वाहन निर्माण पर्याप्त नहीं होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे, बैटरी निर्माण, और स्वच्छ गतिशीलता प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। यही वह क्षेत्र है जहां हरित वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वित्तीय संस्थान वाहन निर्माताओं, बुनियादी ढांचा डेवलपर्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए हरित वित्तपोषण मॉडल बनाकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण टाटा मोटर्स है, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 300 मिलियन डॉलर का हरित ऋण प्राप्त किया। इसी तरह, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles) योजना के तहत हैदराबाद और बेंगलुरु सहित कई भारतीय शहरों में इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित किया। ये पहल दिखाती हैं कि कैसे हरित वित्तपोषण भारत के परिवहन क्षेत्र को बदलने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नीति समर्थन

भारत का हरित वित्त क्षेत्र प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से फलेगा-फूलेगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी नीतियों ने एक मजबूत आधार तैयार किया है, जिससे हम सब मिलकर स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा ने हमारे हरित वित्तपोषण के प्रति प्रतिबद्धता को और स्पष्ट किया है।

लेकिन इस दिशा में सफलता के लिए हमें सरकारी संस्थाओं और निजी वित्तीय संस्थानों के बीच गहरा सहयोग सुनिश्चित करना होगा। वित्तीय नवाचार, जैसे कि हरित क्रेडिट गारंटी, न केवल निवेशकों के लिए जोखिम को कम कर सकते हैं, बल्कि स्थायी परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजी को भी बड़े पैमाने पर खोल सकते हैं। यह एक साझा यात्रा है, जिसमें हर एक कदम हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद करेगा।

एक उल्लेखनीय उदाहरण **इंडिया इनोवेशन लैब फॉर ग्रीन फाइनैंस** है, जो एक सार्वजनिक-निजी पहल है जिसने निजी और सरकारी दोनों निधियों का लाभ उठाते हुए सौर सिंचाई और छत पर सौर निवेश जैसे कई टिकाऊ वित्त मॉडल शुरू किए हैं।

वित्तीय संस्थानों के लिए अवसर

बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स के लिए, हरित वित्त नए उत्पादों, जैसे हरित बॉन्ड स्थिरता से जुड़े ऋण और पर्यावरण-अनुकूल म्यूचुअल फंड विकसित करने का एक अद्भुत अवसर प्रस्तुत करता है। **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** के हरित बॉन्ड पर दिए गए दिशानिर्देश वित्तीय संस्थानों को टिकाऊ परियोजनाओं में निवेश के लिए एक स्पष्ट और सुनिश्चित रूपरेखा प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, **क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव** के अनुसार, भारत की हरित वित्तपोषण क्षमता, विशेष रूप से परिवहन, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। यह न केवल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए वैश्विक समकक्षों के साथ सहयोग के नए दरवाजे खोलता है, बल्कि संभावित रूप से भारत की हरित अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को भी आकर्षित कर सकता है।

तकनीकी एकीकरण: गेम चेंजर

हरित वित्त क्रांति में प्रौद्योगिकी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। फिनटेक समाधान हरित परियोजनाओं में निवेश को सहज और प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं, जबकि ब्लॉकचेन तकनीक हरित बॉन्ड बाजारों में पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, एआई-आधारित सिस्टम भविष्य कहने वाला विश्लेषण प्रदान कर सकते हैं, जिससे निवेशकों को हरित निवेश के जोखिमों और संभावित रिटर्न का सटीक आकलन करने में मदद मिलती है।

भारत के लिए, इन तकनीकी प्रगति को अपनाने से हरित वित्तपोषण की गति में तेजी आएगी। उदाहरण के लिए, **'झटका'** जैसे प्लेटफार्मों ने क्राउडफंडिंग के माध्यम से छोटे पैमाने की सौर परियोजनाओं को वित्तपोषित कर हरित वित्त को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बना दिया है। इसी तरह, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा है, जो पीयर-टू-पीयर सौर ऊर्जा व्यापार को सक्षम करता है। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी भारत के हरित परिवर्तन में एक परिवर्तनकारी शक्ति बन सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका-

भारतीय रिज़र्व बैंक पहले से ही हरित वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जो न केवल जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने में सहायक है, बल्कि हरित अर्थव्यवस्था में नए अवसरों को भी बढ़ावा देता है। हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र जारी किया, जिसने वित्तीय संस्थानों को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाने और राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने में मदद की है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सर्वेक्षण कर जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में उनकी तैयारी का भी आकलन किया, जिससे हम सब यह समझ सकें कि हमारे वित्तीय संस्थान इस दिशा में कितने तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक की पहलों, जैसे सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी करना और प्राथमिकता क्षेत्र उधार मानदंडों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल करना, हरित परियोजनाओं में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करती हैं। इन कदमों के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक न केवल वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है, बल्कि हरित वित्तपोषण के अवसरों को भी सशक्त करता है।

चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि अवसर विशाल हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि उच्च प्रारंभिक लागत, छोटे व्यवसायों के लिए पूंजी की सीमित उपलब्धता, जटिल और असंगत विनियम, अपर्याप्त प्रोत्साहन, उपयुक्त परियोजनाओं की कमी, बाजार की अपरिपक्वता, और उच्च जोखिम की धारणा इत्यादि। इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को विनियमों में स्पष्टता और स्थिरता बढ़ानी चाहिए, वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने चाहिए, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को और बढ़ाना चाहिए, मानकीकृत मूल्यांकन मेट्रिक्स विकसित करना चाहिए। इन समाधानों को अपनाकर, न केवल हम पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में नए अवसर पैदा कर सकते हैं, बल्कि हरित वित्तपोषण में और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए भी एक मजबूत आधार बना सकते हैं।

निष्कर्ष: एक सतत भविष्य का मार्ग

अंत में, हरित वित्तपोषण न केवल एक अवसर प्रस्तुत करता है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक अनिवार्यता भी है। यह हमारे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने और जलवायु परिवर्तन में सुदृढ बने रहने की आधारशिला है। हरित वित्तपोषण के अवसर विभिन्न उद्योगों में फैले हुए हैं—नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, इलेक्ट्रिक वाहन, और हरित बुनियादी ढाँचे तक। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में वित्तीय संस्थानों, निवेशकों और नीति निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत ने पहले ही हरित वित्त में प्रगति की है, लेकिन असली क्षमता इन प्रयासों को और मजबूत करने में निहित है। रीवा सोलर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरित ऋण, और एसबीआई के हरित बॉन्ड जैसे नवीन उदाहरण बताते हैं कि हमारा रास्ता साफ है।

भविष्य हरित है, और सही दृष्टिकोण के साथ, भारत हरित वित्त में वैश्विक नेता बनने की क्षमता रखता है। अब समय आ गया है कि हम इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं—अपने आर्थिक विकास के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए।

यूएलआई - ए गेम चेंजर

- विवेक यादव

"एक भरोसो, एक बल, एक आस-बिस्वास" – गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शताब्दियों पहले कही गई यह पंक्ति 'अटूट विश्वास और अदम्य अकांक्षा' की भावना दर्शाती है। आज भारत की जनता वित्तीय प्रणाली की विश्वसीनयता के साथ-साथ अपनी आशाओं और अकांक्षाओं की पूर्ति भी चाहती है। अब केवल सेवाओं की सुपुर्दगी ही मायने नहीं रखती, अब लोग अकांक्षापूर्ण (aspirational) हो गए हैं और वे कम से कम समय में बेहतर सुविधा चाहते हैं। वित्तीय प्रणाली में यह भरोसा और उसके साथ-साथ जन सामान्य की अकांक्षाओं की पूर्ति किसी भी केन्द्रीय बैंक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता का परीक्षण वर्ष 2008 के सब-प्राइम संकट और 2020 के कोविड महामारी में हुआ और हम इसमें खरे भी उतरे। लेकिन केवल विश्वसनीयता और सुदृढ़ता ही किसी वित्तीय प्रणाली के ठीक-ठाक होने का सूचक नहीं है। भारत के एक बड़े वर्ग को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस संदर्भ में एक 'नई त्रिमूर्ति' या New Trinity हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश की जनता के बड़े हिस्से को इससे क्या लाभ हो सकता है!

यूएलआई से पहले:

अलग-अलग प्रणालियों में डेटा - डिजिटल ऋण संवितरण के लिए, साख मूल्यांकन हेतु आवश्यक डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, अकाउंट एग्रीगेटरों, बैंकों, साख सूचना कंपनियों, डिजिटल पहचान प्राधिकरणों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध है। तथापि, ये अलग-अलग प्रणालियों में हैं।

अवरोध रहित नियम-आधारित ऋण संवितरण में बाधा- ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए तभी वे नियमों का अनुपालन करते हुए ऋण संवितरण कर सकेंगे। महत्वपूर्ण नियामक आवश्यकता यह है कि ऋणों का संवितरण नियमों के अनुसार हो और उधारकर्ताओं की ऋण शोधन क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाए। यदि इस पहलू का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो भविष्य में एनपीए और ऋण वसूली से संबंधित समस्याओं से वित्तीय संस्थाओं को जूझना होता है।

सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर

26 अगस्त 2024 को बेंगलुरु में आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीस की भारतीय रिज़र्व बैंक@90 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को व्यापक बनाए जाने और इसकी प्रभावकारिता को बढ़ाए जाने को भारत की वित्तीय प्रणाली के भविष्य के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं में से यह एक बताया। इस संबोधन में उन्होंने रेखांकित किया था कि यूपीआई ने जैसे पेमेंट के तरीके में सकारात्मक बदलाव लाया है, उसी तर्ज पर करते हुए यूएलआई भारत में लोन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस संबोधन के बाद भारत के वित्तीय जगत में यूएलआई चर्चा का विषय बना हुआ है।

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) का उद्देश्य ऋण देने वाले संस्थानों को सहमति आधारित डेटा और संबंधित सेवाओं का लाभ उठाकर अवरोध रहित, एंड-टू-एंड डिजिटल क्रेडिट की पेशकश करने में सक्षम बनाना है। इसके तहत बैंकों और एनबीएफसी के अलावा, नाबार्ड के माध्यम से सहकारी ऋण संस्थानों आदि अन्य उधारदाताओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

आखिर यह 'नई त्रिमूर्ति' या New Trinity क्या है !

सरकार की ओर से वंचित वर्गों को दी जानेवाली सब्सिडी / सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत राशि के वितरण के लिए जन-धन योजना, आधार कार्ड और मोबाईल फोन का प्रयोग।

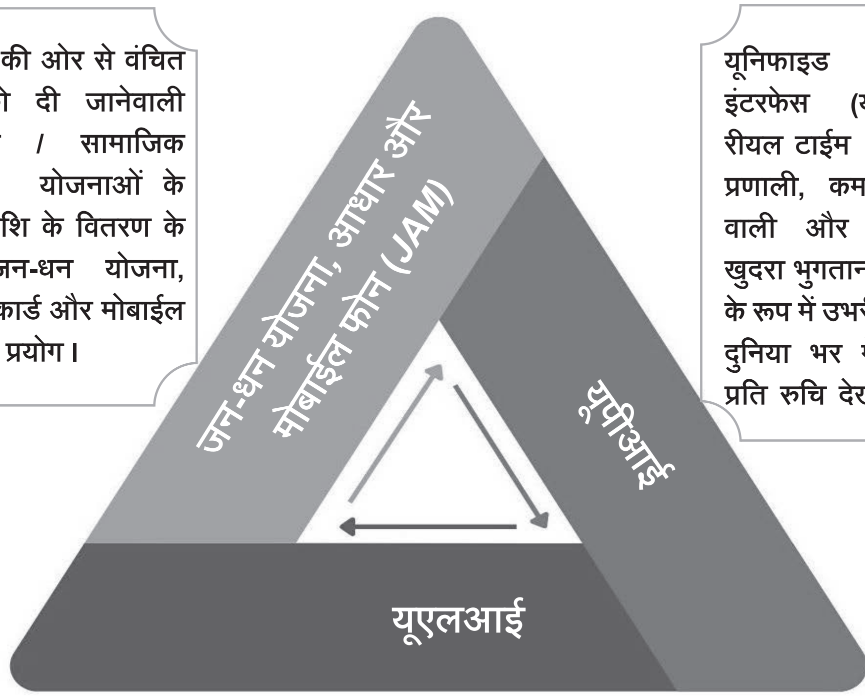

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) रीयल टाईम भुगतान प्रणाली, कम लागत वाली और पोर्टेबल खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरी है और दुनिया भर में इसके प्रति रुचि देखी गई है।

26 अगस्त 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) जो छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट मूल्यांकन के लिए लगने वाले समय को कम करेगा। यह प्लेटफॉर्म कई डेटा सेवा प्रदाताओं से लेकर उधारदाताओं तक डिजिटल सूचना के निर्बाध और सहमति-आधारित प्रवाह की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिसमें राज्यों के भूमि रिकॉर्ड भी शामिल हैं।

समय पर ऋण संवितरण की आवश्यकता - एक कहावत है – "न्याय में देरी का अर्थ है कि न्याय से वंचित करना"। उसी प्रकार यदि आवश्यकता के समय पर ऋण प्राप्त नहीं होता है तो ऋण की सुविधा होने का औचित्य नहीं रह जाता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह केवल ऋण देने का मामला नहीं है बल्कि समय पर ऋण उपलब्ध कराने की बात है। ऋण की जरुरत के समय छोटे उधारकर्ताओं को समय पर ऋण नहीं मिल पाने पर वे फर्जी लोन एप्स और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर महाजनों और सूदखोरों से उच्च ब्याज के चंगुल में फंस जाते हैं।

मानक प्रक्रिया की आवश्यकता - अलग-अलग संस्थाओं के पास डेटा होने और ऋण मिलने में अवरोधों को देखते हुए सुविचारित मानक प्रक्रिया की स्थापना महसूस की जाती है।

ऋण देने की प्रक्रिया में दक्षता की आवश्यकता - छोटे उधारकर्ताओं को लंबी और अलग-अलग दस्तावेजों और प्रमाण की आवयश्कताओं के चलते परेशानी होती है। हमारे वित्तीय समावेशन और संस्थाओं के पास डेटा होने और ऋण मिलने में अवरोधों को देखते हुए सुविचारित मानक प्रक्रिया की स्थापना महसूस की जाती है।

स्रोत: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1456

आइए देखें कि आखिर यूएलआई क्या है !

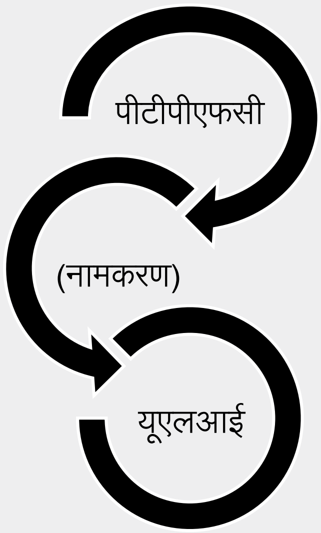

छोटे उधारकर्ताओं के लिए त्वरित और नियम-आधारित ऋण संवितरण के लिए अलग-अलग प्रणालियों से प्राप्त डेटा को समन्वित करने के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) प्रणाली की घोषणा की गई है। इसे पहले **अवरोध रहित ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच** (पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (पीटीपीएफसी)) के रूप में जाना जाता था।

पीटीपीएफसी की प्रायोगिक परियोजना के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 14 अगस्त 2023 की प्रेस प्रकाशनी के आधार पर आइए इसे क्रमिक रुप से समझते हैं -

पीटीपीएफसी

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (पीटीपीएफसी) (बाधा रहित ऋण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी मंच) के विकास की घोषणा
- प्लेटफॉर्म के प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत 17 अगस्त 2023
- रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच), भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, द्वारा विकसित
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की अवधारणा को अपनाया गया है जो बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों और स्टार्ट-अप को भुगतान, ऋण और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए नवोन्मेषी समाधान हेतु प्रोत्साहित करता है।
- यह ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करके घर्षण रहित ऋण संवितरण में सक्षम बनाएगा।
- इस एंड-टू-एंड डिजिटल मंच में एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मानक होंगे, जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के सहभागी 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं।
- डिजिटल ऋण संवितरण के लिए, साख मूल्यांकन हेतु आवश्यक डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, अकाउंट एग्रीगेटरों, बैंकों, साख सूचना कंपनियों, डिजिटल पहचान प्राधिकरणों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध है। इनके अलग-अलग प्रणालियों में होने से समय पर और घर्षण रहित नियम-आधारित ऋण संवितरण में बाधा उत्पन्न होती है। इसी का समाधान किया जाना है।
- प्राप्त इनपुट और सीख के आधार पर, प्रायोगिक परियोजना के दौरान अधिक उत्पादों, सूचना प्रदाताओं और ऋणदाताओं को शामिल करने के लिए दायरे और क्षेत्र का विस्तार।

स्रोत–*https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Press Releases.aspx?Id=47972*

यूएलआई के बाद:

- यूएलआई **फ्रिक्शनलेस क्रेडिट** की प्रणाली है अर्थात ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने का एक तरीका है। इस प्रकिया में ऋण लेने के लिए ज़्यादा कागज़ात जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऋण मिलने में भी कम समय लगता है। ऋणदाता दस्तावेज़ सत्यापन, कानूनी औपचारिकताओं और फिर अंतिम स्वीकृति को काफी जल्द पूरा कर सकता है।
- यूएलआई में **एपीआई या एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस** के माध्यम से इसमें कार्य होगा अर्थात मध्यस्थ सॉफ्टवेयर के माध्यम से दो एप्लिकेशन को एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता है।
- यह **'प्लग एंड प्ले' मॉडल** पर आधारित है यानी इस व्यवस्था में प्लग एंड प्ले' अवधारणा से तात्पर्य बिजली, नेटवर्क जैसी आवश्यक अवसंरचना के साथ तैयार सुविधाओं से है, जो उद्योगों को तुरंत परिचालन शुरू करने की अनुमति देती है।
- यूएलआई **'एंड-टू-एंड' डिजिटलीकरण** पर कार्य करेगा यानी एक ऐसी व्यवस्था जो किसी सिस्टम या सेवा को शुरू से अंत तक ले जाती है और एक पूर्ण व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है, आमतौर पर किसी तीसरे पक्ष से कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। यह अक्सर उन विक्रेताओं को संदर्भित करता है जो किसी प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक देख सकते हैं, और एक व्यावहारिक समाधान के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, श्रम, लिखित सामग्री और प्रक्रियाएँ हों।
- यह **ओपन आर्किटेक्चर** पर कार्य करेगी – साधारण शब्दावली में कहा जाए तो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई ऋणदाता प्लेटफ़ॉर्म पर एक सर्च से संकलित डेटा प्राप्त कर सकता है। इसके कार्यान्वयन से प्रणाली में दक्षता, समय की बचत और विश्वसनीयता आती है।
- **अकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय –** एक अनुबंध के तहत ग्राहक या किसी अन्य वित्तीय सूचना को समेकित, व्यवस्थित और प्रस्तुत करना, जैसा कि बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; बशर्ते कि, ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी खाता एग्रीगेटर की संपत्ति नहीं होगी, और इसका अन्य तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) –** देश के लोगों को डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार और स्थापित आधारभूत डिजिटल प्लेटफार्म है।

यूएलआई वित्तीय समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है !

भारतीय रिज़र्व बैंक की यह नीतिगत प्राथमिकता है कि वित्तीय रूप से हाशिए पर खड़े वर्ग और कम सेवा वाली आबादी को डिजिटल रूप से सज्जित, सुरक्षित सुविधाएं और उत्पाद मुहैया कराए जाएं। इस दिशा में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका है। भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-2024 में डिजिटल भुगतान परितंत्र का विस्तार और उसकी व्याप्ति बढ़ाए जाने पर विशेष बल दिया गया है। यूएलआई का सबसे बड़ा फायदा छोटे उधारकर्ताओं के लिए होगा। जैसा हमने ऊपर कहा था कि केवल ऋण उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि समय पर ऋण उपलब्धता मायने रखती है। नये प्लेटफॉर्म से ऋण लेने की लागत और समय में बचत होगी। इससे वित्तीय समावेशन और ऋण उपलब्धता के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आने की बात कही जा रही है।

एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए मददगार कदम – यूएलआई के कार्यान्वयन से ऋण दस्तावेजों के त्वरित मूल्यांकन और ऋण शोधन क्षमता की स्थिति का आकलन करते हुए कम से कम समय में ऋण संवितरण की दिशा में खासी प्रगति आने की उम्मीद है।

स्रोत: https://www.investopedia.com/terms/e/end-to-end.asp (https://financialit.net/)

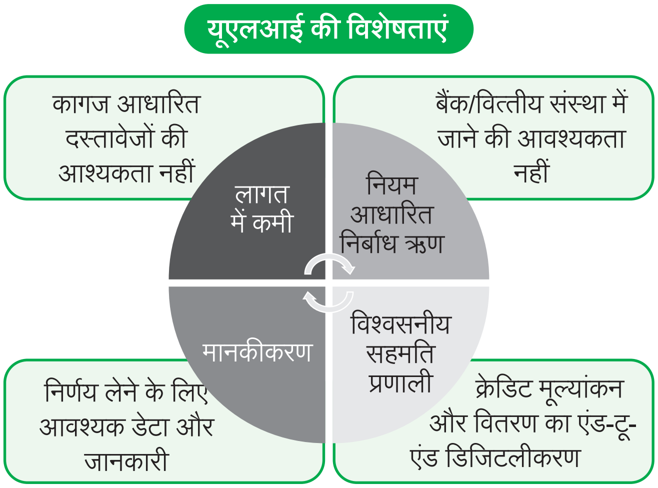

क्रेडिट मूल्यांकन और डिफाल्ट पर काफी हद तक अंकुश

> "उपभोक्ता ऋण खंड में कुछ चिंताएं हैं जिन पर बारीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है। प्राथमिक रुप से 50000 रुपये से कम वैयक्तिक ऋण वाले उधारकर्ताओं के बीच चूक का स्तर अधिक है। विशेषकर एनबीएफसी – फिनटेक ऋणदाता जिनके पास स्वीकृत और बकाया राशि में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, के पास भी दूसरा सबसे बड़ा चूक स्तर है जो केवल लघु वित्त बैंकों से नीचे है।
>
> *(स्रोत – रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट – जून 2024)*

यूएलआई के आने से लोन देनेवाली संस्थाओं को ऋण आवेदकों की ऋण शोधन क्षमता को सही रूप से पता लगाने में मदद मिलेगी जो अधिक विश्सनीय भी होगा। इससे डिफाल्ट की समस्या पर भी काफी हद तक अंकुश लगाए जाने की उम्मीद है। इस संबंध में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट – जून 2024 में उपभोक्ता ऋण खंड में दर्शाई गई चिंताओं से हमें बेहतर निगरानी की जरूरत का एहसास होता है।

साइबर धोखाधड़ी पर लगाम - लोन देने के नाम पर नित नये उभरते लोन एप्स पर नियंत्रण लगाया जाना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। यूएलआई के आने से फर्जी लोन एप्स के जंजाल से उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है और लोन दिए जाने में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। यह लक्ष्य बहुत चुनौतीपूर्ण है लेकिन योजनाबद्ध रुप से सही कार्यान्वन के जरिए इस दिशा में बेहद सुधार आ सकता है जिसमें यूएलआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। ग्राहकों के केवाईसी विवरण और दस्तावेजों की सुरक्षा, एप्लीकेशन की विश्वसनीयता और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए की जा रही साइबर धोखाधड़ी बैंकिंग उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए एक जटिल चुनौती पेश करती है। साइबर घटनाओं का विश्लेषण इस बारे में हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है -

*नोट - * प्रभाव के आधार पर घटनाओं को न्यूनतम जोखिम अथवा न्यूनतम जोखिम से इतर (उच्चतर जोखिम के रूप में संदर्भित) में वर्गीकृत किया गया है।*

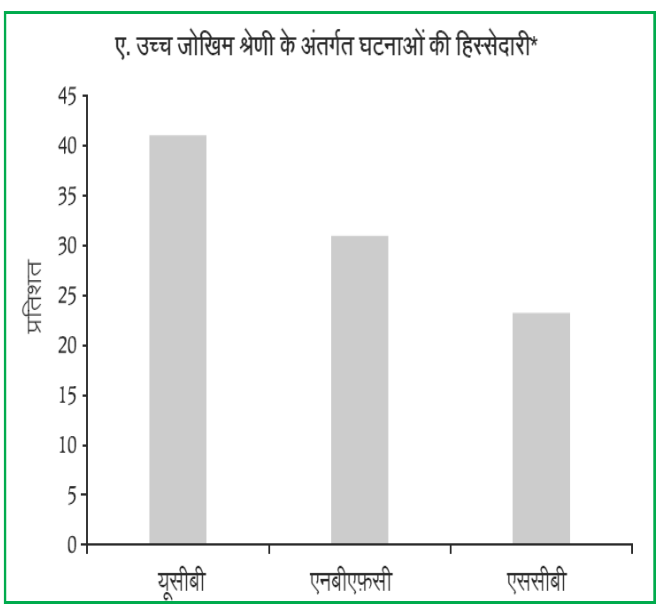

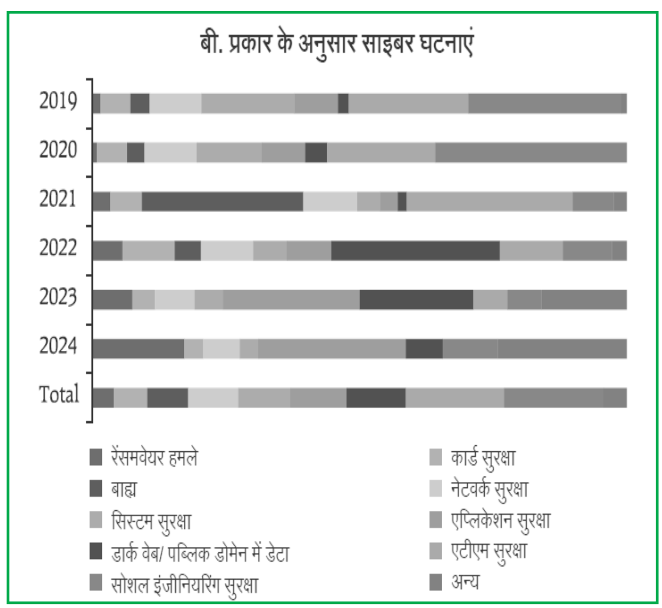

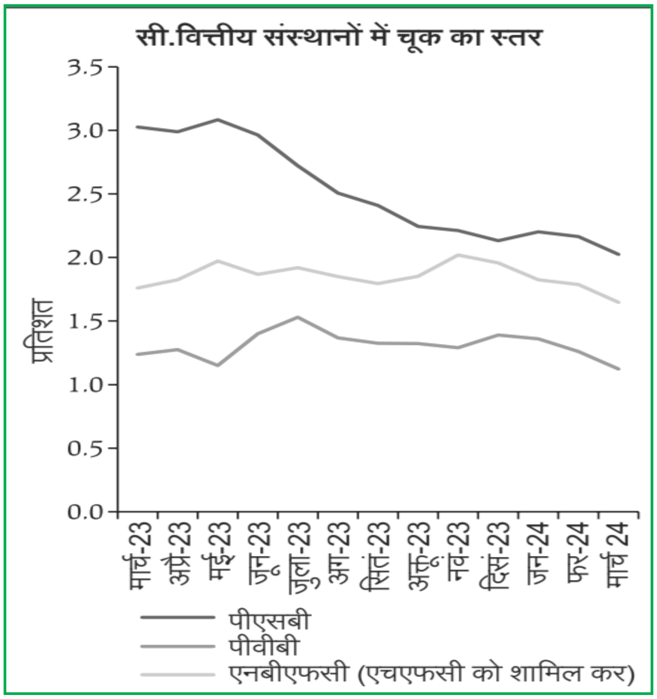

(जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2024 तक विनियमित संस्थाओं एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाएं)

भारतीय रिज़र्व बैंक को विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा रिपोर्ट की गई साइबर घटनाओं के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि **सभी आरई में उच्च जोखिम श्रेणियों में यूसीबी की घटनाओं का उच्चतम हिस्सा (41 प्रतिशत) था (चार्ट ए)**। रिपोर्ट की गई साइबर घटनाओं के प्रकारों में, सोशल इंजीनियरिंग की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी। डेटा लीकेज, एप्लिकेशन सुरक्षा और रैंसमवेयर हमलों से संबंधित घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें से अधिकांश घटनाओं में धमकी देने वाले ऐसे लोग शामिल होते हैं जो आरई के डेटा जैसे कार्ड डेटा, ग्राहको के केवाईसी विवरण और केवाईसी दस्तावेजों को डार्क वेब, सोशल मीडिया या सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर बिक्री के लिए लीक करते हैं **(चार्ट बी)**।

(स्रोत – भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट – जून 2024)

नवाचार और विवेकपूर्ण विनियमन के बीच संतुलन - यूएलआई नवाचार और विवेकपूर्ण विनियमन के बीच संतुलन का भी प्रयास है। जिस गति से भावी प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं,उसे देखते हुए भारत के वित्तीय इको सिस्टम में उनके एकीकरण, क्रेडिट मूल्यांकन हेतु आवश्यक डेटा प्रदान करनेवाली एजेंसियों के बीच सहयोग और संभावित जोखिमों के समाधान के लिए सक्रिय विनियमन ढांचे की जरूरत है। हालांकि इसके लिए डेटा की सोर्सिंग और सत्यापन सही रूप से किया जाना एक चुनौती है।

नवाचार (innovation) की आवश्यकता क्यों होती है! वह होती है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए और नवप्रवर्तक अक्सर अधिक प्रभावी उत्पादों, प्रणालियों, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों या व्यवसाय मॉडल के विकास के माध्यम से समाज को लाभान्वित करते हैं। यूएलआई नवाचारों की परिवर्तनकारी शक्ति और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक के निरंतर नवाचार (Continuous Innovation) के प्रयासों को दर्शाता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से संबंधित निर्देश

- विनय कुमार पाठक

धोखाधड़ी आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसके कारण बैंकों को न सिर्फ वित्तीय हानि होती है बल्कि बैंक की साख पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही कर्मचारियों की मानसिक स्थिति पर भी यह दुष्प्रभाव छोड़ता है। इस बात को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय समय पर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया है। इसके बारे में यहाँ संक्षेप में चर्चा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा बैंक के बोर्ड द्वारा तीन साल में कम से कम एक बार, या उससे अधिक बार, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, की जाएगी। बैंक को जोखिम धोखाधड़ी के निगरानी और अनुवर्तन के लिए विशेष समिति बनानी चाहिए। इस समिति में बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए जिसमें एक पूर्ण-कालिक निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक/ गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए। यह समिति बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की निगरानी और अनुवर्तन करती है। किसी धोखाधड़ी का मूल कारण क्या है इसका विश्लेषण करती है और जोखिम को कम करने के उपाय बताती है जिससे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाया जा सके और धोखाधड़ी की घटनाएं कम से कम हों। यह बैंक के बोर्ड को निर्णय लेना होता है कि किन मामलों को और किस अंतराल पर पुनरीक्षा की जानी है। यदि हम मामलों की बात करें तो धोखाधड़ी के प्रकार, धोखाधड़ी की पहचान व वर्गीकरण, और स्टाफ का दायित्व आदि इसके अंतर्गत आते हैं।

मुख्य प्रबंधक
स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्था, नोएडा

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी वरिष्ठ प्रबंधन पर होती है। वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेवारी होती है कि वह धोखाधड़ी से संबंधित घटनाओं को बैंक के बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

व्हिसल ब्लोवर नीति किसी भी संस्था में होने वाली धोखाधड़ी को प्रकाश में लाने का प्रमुख स्रोत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक पारदर्शी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत व्हिसल ब्लोवर द्वारा प्रदत्त धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी की सही तरीके से जांच हो और आवश्यकता होने पर कार्रवाई हो।

धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान के लिए संकेतों को समझना और खातों को चिह्नित करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी बैंकों को एक निश्चित रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जिन खातों को शीघ्र पहचान के लिए संकेत (अलर्ट) के द्वारा धोखाधड़ी के लिए संदेह व्यक्त किया जाता है उसे हम विशेष जोखिम युक्त(रेड फ्लेग्ड) खाता कहते हैं। ऐसे खातों की धोखाधड़ी होने की दृष्टिकोण से विशेष जांच करके निवाराणात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए।

जोखिम प्रबंधन समिति को शीघ्र चेतावनी संकेतों (अर्ली वार्निंग सिग्नल) तथा विशेष जोखिम युक्त खाता की संकेतों की निगरानी और प्रभावशीलता को ध्यान में रखना चाहिए।

बैंकिंग लेनदेन और ऋण से संबंधित खातों में चिह्नित शीघ्र चेतावनी संकेत जोखिम प्रबंधन समिति के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। शीघ्र चेतावनी संकेत के तहत जारी चेतावनी को अधिकतम तीस दिन के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। समय समय पर जोखिम प्रबंधन समिति से अपेक्षा होती है कि खतरे के लिए चिह्नित खातों से संबंधित चेतावनी और शीघ्र चेतावनी संकेत की समय समय पर पुनरीक्षा करती रहे।

शीघ्र चेतावनी संकेत को बैंक के सभी तंत्र के साथ समेकित किया जाना चाहिए ताकि यह सही तरीके से काम करे और संबंधित लोगों तक चेतावनी पहुँचती रहे। साथ ही चेतवानी आने पर सुधारात्मक कदम उठाया जाए, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऋण संस्वीकृत एवं अनुवर्तन प्रक्रिया तथा आंतरिक नियंत्रण की आवधिक पुनरीक्षा होती रहनी चाहिए। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) और सेंट्रल फ्रॉड रजिस्टरी(सीएफ़आर) के डाटाबेस का प्रभावी तरीके से प्रयोग हो यह भी सुनिश्चित होना चाहिए।

ऋण खातों के लिए शीघ्र चेतवानी संकेत काफी व्यापक होना चाहिए। इसे इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि यह गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखे। तभी यह सुदृढ़ और प्रभावी हो पाएगा। खातों के लेनदेन से संबंधी डेटा, ऋणियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन, बाजार की जानकारी, ऋणियों के आचरण आदि के ऊपर चेतवानी आधारित होनी चाहिए।

आज के जमाने में डाटा एनालिटिक्स और बाजार आसूचना का बहुत महत्व है। अतः बैंकों को ऐसी इकाई बनानी चाहिए जो डाटा एनालिटिक्स और बाजार आसूचना पर कार्य करे। बैंक अपने आकार, व्यवसाय की विविधिता, जोखिम लेने की क्षमता आदि के आधार पर ऐसी इकाई की स्थापना कर सकते हैं। ऐसी इकाई को संबंधित सूचना के संग्रहण और प्रसंस्करण के कार्य में लगाना चाहिए जो संभावित धोखाधड़ी से संबंधित क्रियाकलापों की पहचान और निवारण करे।

इस तरह की चेतावनी का निश्चित रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार खाता को विशेष जोखिम युक्त खाता के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। साथ ही संभावित धोखाधड़ी को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) में रिपोर्ट करने के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है वह पाँच करोड़ रुपए है। यदि ऐसे किसी खाते को विशेष जोखिम युक्त खाता के रूप में चिह्नित किया गया है तो ऐसा चिह्नित करने के सात दिन के अंदर इसकी रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक को की जानी चाहिए। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) और सेंट्रल फ्रॉड रजिस्टरी (सीएफ़आर) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू नहीं हैं।

गैर ऋण लेनदेन और अन्य बैंकिंग लेनदेन के लिए शीघ्र चेतावनी संकेत की रूपरेखा की बात की जाए तो इसके लिए भी बैंकों को यथोचित संकेतकों की पहचान करके उसे शीघ्र चेतावनी संकेत में शामिल किया जाना चाहिए। बैंकों को लगातार शीघ्र चेतावनी संकेत तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे बैंक कुशलतापूर्वक लेनदेन की निगरानी कर सकेंगे और धोखाधड़ी रोकने में सक्षम हो पाएंगे। इससे तंत्र की प्रभावशीलता बढ़ेगी।

साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि ग्राहक के व्यक्तिगत वित्तीय डेटा की सुरक्षा बनी रहे। विशेषतः जो खाते केवाईसी की शर्त को पूरा नहीं करते हों तथा मनी म्यूल खातों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। असामान्य गतिविधि पर भी निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। इससे अनधिकृत लेनदेन, धोखाधड़ी वाले लेनदेन और बैंकिंग प्रणाली के दुरुपयोग पर रोक लगेगी।

विशेष जोखिमयुक्त खाते के रूप में चिह्नित खातों के मामले में बाह्य अंकेक्षक (ऑडिटर) से जांच करवाना उचित होता है। बाह्य अंकेक्षकों की नियुक्ति के लिए बैंकों को नीति बनानी चाहिए जो उसकी क्षमता और पिछले कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। साथ ही अंकेक्षण (ऑडिट) का कार्य निर्धारित समय सीमा में करने का अनुबंध भी होना चाहिए। इसका निर्धारण बैंक का बोर्ड कर सकता है।

ग्राहकों के साथ ऋण अनुबंध में बाह्य अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण की शर्त भी शामिल होना चाहिए। यदि ऋणी के असहयोगात्मक रवैयों के कारण अंकेक्षण पूर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसे खातों को धोखाधड़ी में शामिल किया जा सकता है।

धोखाधड़ी वर्ग में वर्गीकृत करने के पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यदि कोई खाता विशेष जोखिमयुक्त खाते के रूप में चिह्नित किया गया है तो इसे

धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने या इसे विशेष जोखिमयुक्त खाते के रूप में चिह्नित श्रेणी से हटाने का काम सामान्य तौर पर 180 दिन से पहले पूरा कर लेना चाहिए। 180 दिन से अधिक अवधि तक विशेष जोखिमयुक्त खाते के रूप में चिह्नित खातों को स्पेशल कमिटी ऑफ द बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स (एससीबीएमएफ़) को कारण बताते हुए रिपोर्ट किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक इस प्रकार के मामलों पर निगरानी रखता है।

यदि किसी कानून प्रवर्तन अभिकरण के द्वारा कोई जांच ऋण खाते के खिलाफ चल रही हो तो ऐसे खाते को बैंकों के द्वारा तुरंत विशेष जोखिमयुक्त खाते के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

संस्वीकृति पूर्व सर्वेक्षण और संस्वीकृति पश्चात अनुवर्तन के लिए बैंक यदि तृतीय पक्ष से सहायता लेते हैं तो उनके साथ अनुबंध में इससे संबंधित शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि जानबूझकर चूक अथवा किसी गलत काम के लिए उन्हें धोखाधड़ी के लिए प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। यदि कोई तृतीय पक्ष इस तरह से दोषी पाया जाता है तो उसकी सूचना भारतीय बैंक संघ को दी जानी चाहिए ताकि वह अन्य बैंकों को ऐसे तृतीय पक्ष के प्रति सावधान कर सके।

किसी भी धोखाधड़ी के मामले में स्टाफ के उत्तरदायित्व की जांच समयबद्ध तरीके से कर ली जानी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन किया जाना चाहिए। तीन करोड़ रुपये से ऊपर के सभी धोखाधड़ी के मामले में सभी स्तर के कर्मचारियों/पूर्णकालिक निदेशकों की भूमिका की जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा गठित एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनांसियल फ्रॉड (एबीबीएफ़एफ़) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

किसी धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने पर संबंधित संस्था/व्यक्ति पर पूरी रकम जमा करने के या समझौता राशि जमा करने के बाद पाँच वर्ष तक किसी प्रकार के कोष प्राप्त करने पर रोक लगा दी जाती है।

धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए रकम निर्धारित की गई है। छह करोड़ रुपए से कम की राशि की स्थिति में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस को रिपोर्ट की जानी चाहिए। इससे अधिक रकम हो तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को रिपोर्ट की जानी चाहिए। इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए बैंक किसी अधिकारी को नामित करता है।

ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग करके फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की जाती है। रिपोर्टिंग के लिए धोखाधड़ी को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए निधि का दुरुपयोग और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन (क्रिमिनल ब्रेच ऑफ ट्रस्ट)। जाली विपत्रों (फेक बिल) का प्रयोग करके नगदीकरण, काल्पनिक खातों का प्रयोग कर लेखाबही में हस्तलाघव (मैनिपुलेशन), तथ्य छिपाकर किसी व्यक्ति को ठगने के लिए धोखाधड़ी करना, छद्मरूपण के द्वारा धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज़/ इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड के द्वारा धोखाधड़ी करना, जानबूझकर किसी तथ्य को झुठलाना, अवैध लाभ के लिए धोखाधड़ी से ऋण देना, धोखाधाड़ी के कारण नगद की कमी, विदेशी विनियम से संबंधित धोखापूर्ण लेनदेन, बैंक पर धोखाधड़ी से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग/ डिजिटल भुगतान, अन्य धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधि आदि।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण जोखिम और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफ़आर) पर उपलबद्ध सूचना का प्रयोग करें। बैंकों को पेमेंट सिस्टम से संबंधित विवाद/ संदिग्ध या प्रयास किए गए धोखाधड़ी की रिपोर्टंग भारतीय रिज़र्व बैंक के वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लीकेशन, दक्ष में करना चाहिए। बैंकों को किसी घटना/खाते को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत करने के 14 दिनों के अंदर फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना चाहिए। विदेश स्थित शाखा के मामले में विदेश स्थित कानून प्रवर्तन अभिकरण को उस देश के नियम के अनुसार रिपोर्ट की जानी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त दिशानिर्देश को ध्यान में रखकर हर बैंक अपनी नीति बनाता है और उसके कर्मचारियों/ अधिकारियों को उस नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए ताकि धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखा जा सके।

रीटेल डायरेक्ट – एक परिचय

- सहना राजाराम
क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
मुंबई

परिचय

सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक) ऐसे वित्तीय साधन हैं, जिनके ज़रिये सरकार अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेती है। इस प्रकार, आप ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करके मूल रूप से सरकार को ऋण दे रहे हैं और उस पर ब्याज अर्जित कर रहे हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ, राजकोषीय बिल तथा राज्य सरकार के ऋण शामिल होते हैं। केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ तथा राज्य सरकार के ऋण क्रमशः केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लंबी अवधि हेतु लिए गए ऋण हैं। राजकोषीय बिल केंद्र सरकार द्वारा लिए गए अल्पकालिक (<=1 वर्ष) ऋण हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं, जो पहले से घोषित ऋण कैलेंडर पर आधारित होती हैं। द्वितीयक बाज़ार लेनदेन एन.डी.एस.- ओम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, जो भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी.सी.आई.एल.) द्वारा अथवा बाजार बाज़ार के बीच द्विपक्षीय रूप से प्रबंधित एक अनाम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है। फिलहाल इस बाज़ार पर बड़े प्रतिभागियों का वर्चस्व है, जिनमें बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड, प्राथमिक डीलर इत्यादि शामिल हैं। बीते कुछ सालों में, सरकार ने इस बाज़ार में मौजूदा भागीदारों की संख्या को बढ़ाने के लिए कई अलग-अलग उपायों का सहारा लिया है। हालाँकि, खुदरा निवेशक इस बाज़ार में ब्रोकर या म्यूचुअल फंड जैसे मध्यस्थों के माध्यम से भाग ले सकते हैं, परंतु इसके बावजूद इस बाज़ार में आज तक उनकी उपस्थिति बहुत कम रही है।

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए ऑनलाइन माध्यमों के ज़रिए सरकारी प्रतिभूति बाज़ार तक पहुँच को सुगम बनाने के उद्देश्य से नवंबर 2021 में **'भारतीय रिज़र्व बैंक रिटेल डायरेक्ट'** सुविधा की शुरुआत की थी। यह खुदरा निवेशकों के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों तक पहुँच को सुगम बनाता है, साथ ही इन निवेशकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपना गिल्ट प्रतिभूति खाता ('रिटेल डायरेक्ट') खोलना भी सुविधाजनक बना देता है। इस योजना के तहत खोले गए खाते को रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आर. डी.जी.) खाता कहा जाएगा।

रिटेल डायरेक्ट योजना की विशेषताएँ

ए) मुख्य अंश

1. खुदरा निवेशकों (व्यक्तियों) को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता' (आर.डी.जी. खाता) खोलने और उसे बनाए रखने की सुविधा मिलेगी।
2. निवेशक 'ऑनलाइन पोर्टल' के माध्यम से, अथवा इस योजना के उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए रिटेल डायरेक्ट ऐप ("आर.बी.आई. रिटेल डायरेक्ट") के माध्यम से अपना आर.डी.जी. खाता खोल सकते हैं।
3. 'ऑनलाइन पोर्टल' पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएँ भी प्रदान करेगा :
   - सरकारी प्रतिभूतियों (केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, राजकोषीय बिल तथा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड) के प्राथमिक निर्गम तक पहुँच की सुविधा
   - भारतीय रिज़र्व बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, एन.डी.एस.- ओम तक पहुँच की सुविधा, जिसके ज़रिए सरकारी प्रतिभूतियों में बड़ी आसानी से द्वितीयक स्तर की ट्रेडिंग की जा सकती है

बी) निवेश के साधनों की श्रेणियाँ

आर.डी.जी. खाताधारकों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, राजकोषीय बिलों तथा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (सी.जी./एस.जी./टी-बिल/एस.जी.बी.) के प्राथमिक निर्गम में भाग लेने का अवसर मिलता है। रिटेल डायरेक्ट (आर.डी.) निवेशकों से प्राथमिक नीलामी हेतु बोलियाँ प्राप्त करने के लिए सी.सी.आई.एल. एग्रीगेटर की भूमिका निभाएगा। निवेशक इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अस्थायी दर वाले बचत बॉन्ड (एफ.आर.एस.बी. 2020) में भी निवेश कर सकते हैं।

सी) अन्य सेवाएँ

- ***नामांकन-*** रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाते में अब तक किए गए लेन-देन के विवरण के साथ-साथ शेष प्रतिभूतियों की स्थिति के बारे में जानकारी, उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। लेन-देन से संबंधित सभी सूचनाएँ ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
- ***उपहार देना*** - 'रिटेल डायरेक्ट निवेशकों' के पास ऑनलाइन माध्यमों से दूसरे रिटेल डायरेक्ट निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ उपहार में देने की सुविधा उपलब्ध है।
- ***प्रतिभूतियों का हस्तांतरण*** - 'रिटेल डायरेक्ट निवेशक' सरकारी प्रतिभूतियों को डीमैट खातों से रिटेल डायरेक्ट खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं।
- ***शिकायतें*** - पोर्टल के माध्यम से 'रिटेल डायरेक्ट' योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है या शिकायत की जा सकती है, जिसका निदान/समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पी.डी.ओ.), मुंबई द्वारा किया जाएगा।

भारतीय समाशोधन निगम (सी.सी.आई.एल.) की भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सी.सी.आई.एल. को प्राथमिक निर्गमों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने तथा रिटेल डायरेक्ट निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्राप्तकर्ता कार्यालय की भूमिका निभाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, सी.सी.आई.एल. को भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से एन.डी.एस.-ओम प्लेटफ़ॉर्म के संचालन के लिए भी अधिकृत किया गया है।

जी-सेक में निवेश के फ़ायदे

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार भारत में निश्चित आय वाले बाज़ार का सबसे बड़ा घटक है, और इस बाज़ार में निवेश करने से खुदरा निवेशकों को होने वाले फ़ायदे निम्नानुसार हैं:

1. ***जोखिम-रहित निवेश*** : घरेलू बाज़ार के संदर्भ में जी-सेक पूरी तरह से जोखिम-रहित है और इनमें कोई ऋण जोखिम नहीं है।
2. ***लंबी अवधि के निवेश पर शानदार मुनाफ़ा :*** जी-सेक के प्रतिफल वक्र का दायरा 50 वर्षों तक फैला हुआ है। सरकार की ओर से प्रतिफल वक्र में अलग-अलग समय पर प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं, और इसी वजह से जी-सेक बचत करने वाले ऐसे लोगों के लिए बेहद आकर्षक विकल्प हैं जिन्हें लंबी अवधि के लिए कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों की ज़रूरत होती है।
3. ***पूँजीगत लाभ की संभावना :*** वास्तव में बॉन्ड के मूल्य तथा ब्याज दर के बीच विपरीत संबंध होता है, इसलिए ब्याज दर में नरमी आने पर पूँजीगत लाभ की संभावना होती है। हालाँकि, हमें बाजार जोखिमों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ब्याज दर चक्र के विपरीत होने तथा बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आने पर नुकसान हो सकता है।
4. ***उचित तरलता :*** जी-सेक में चलनिधि के रूप में उपयोग की सुविधा होती है और एन.डी.एस.-ओम प्लेटफ़ॉर्म पर इनका लेन-देन किया जा सकता है। रिटेल डायरेक्ट पोर्टल की शुरुआत के बाद, खुदरा निवेशक अब प्राथमिक एवं द्वितीयक बाज़ार में आसानी से भाग ले सकते हैं।
5. ***पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सहायक :*** सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिलेगी और इसकी वजह से खुदरा निवेशकों के लिए जोखिम कम होगा।

6. ***पूरी तरह निःशुल्क :*** रिटेल डायरेक्ट खाते के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है और इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए कुल लेन-देन शुल्क में कमी आएगी, जो उन्हें एग्रीगेटर्स के माध्यम से निवेश करने या म्यूचुअल फंड के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश लेने पर चुकाना पड़ता है।

27 मई, 2024 तक भारतीय रिज़र्व बैंक रिटेल डायरेक्ट से संबंधित आँकड़े	
पंजीकरण की कुल संख्या	2,06,732
खोले गए खातों की कुल संख्या	1,49,097
प्राथमिक बाज़ार के लिए कुल सदस्यता (करोड़ रुपये में)	4826.50
कुल कारोबार की मात्रा (करोड़ रुपये में)	721.75
कुल धारित-राशि (करोड़ रुपये में)	2151.04
कुल धारित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (किलोग्राम में)	741.84

स्रोत: *https://rbiretaildirect.org.in/#/about_statistics*

भारतीय रिज़र्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिया गया लिंक देखें:

- ✓ *https://www.rbiretaildirect.org.in/#/FaqRbiRetailDirect*
- ✓ *https://www.rbiretaildirect.org.in/#/Tour*
- ✓ *www.rbi.org.in*
- ✓ *www.ccilindia.com*

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना : समृद्ध भविष्य का आधार

- डॉ. मीनू मंजरी

हाल में ही बेंगलुरु के एक ऑटो चालक की ख़बर सोशल मीडिया पर अत्यंत प्रसिद्ध हुई थी। यह चालक अपनी सवारी को ऑटो किराये के लिए अपनी स्मार्टवॉच पर क्यूआर कोड दिखा रहा था। यह तस्वीर भारत के उभरते डिजिटल परिदृश्य का एक प्रतिनिधि चित्रण है। भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों के बढ़ते और गहन होते उपयोग एवं उसकी लोकप्रियता के भारत की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का ही हाथ है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या है?

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की अवधारणा को आमतौर पर सड़कों के जाल या रेल की पटरियों से तुलना कर समझाया जाता है। डीपीआई को मुख्यतः सूचना राजमार्ग (इंफॉर्मेशन हाइवे) की तरह परिभाषित किया जा सकता है जिस प्रकार सड़कों का जाल भौतिक रूप से जनता को जोड़ने, उन तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने, नवीन साधनों तक उनकी पहुँच बढ़ाने का कार्य करता है, उसी प्रकार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यही कार्य आभासी सूचना मार्गों द्वारा करती है।

इस प्रकार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना वह आधारभूत डिजिटल संरचना और प्लेटफॉर्म है, जो सरकारों द्वारा जनता तक विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बनायी जाती है। इसमें तकनीकों और प्रणालियों की एक विस्तृत रेंज शामिल है, जिसे मुख्य रूप से सेवाओं की दक्षता, पहुँच और समावेशिता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है। डीपीआई के क्षेत्र में भारत वैश्विक नेतृत्वकर्ता है और भुगतान, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में हम न सिर्फ देश में इसका व्यापक उपयोग कर रहे हैं, विश्व स्तर पर अन्य देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता भी साझा कर रहे हैं।

प्रबंधक, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वैसे तो देश में "आधार" जैसी कुशल पहचान-प्रणाली का पहले से ही प्रयोग हो रहा था, पर विशेष रूप से कोविड -19 के दौरान इस प्रकार के सूचना मार्गों की आवश्यकता महसूस की गई और इनके विकास और उपयोग में बड़ी बढ़ोत्तरी हुई। जैसे कोविन प्लेटफॉर्म से भारत जैसे विशाल देश में टीकाकरण तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक समुचित रूप से पहुंचाई जा सकीं।

डीपीआई अभी एक उभरती हुई अवधारणा ही है, लेकिन इसके घटकों के बारे में यह आम सहमति है कि यह (i) सार्वजनिक हित के लिए निर्मित नेटवर्कयुक्त खुले प्रौद्योगिकी मानकों, (ii) सक्षम अभिशासन, और (iii) सार्वजनिक योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले नवोन्मेषी और प्रतिस्पर्धी मार्केट प्लेयर्स के समुदाय का संयोजन है।[1]

डीपीआई की तकनीकी आर्किटेक्चर के पाँच सिद्धान्त हैं, जो इसे पारंपरिक डिजिटलीकरण प्रयासों से अलग बनाते है :

1) अंतर-संचालनीयता (inter-operability)
2) न्यूनतम एवं पुनःप्रायोजक बिल्डिंग ब्लॉक (Minimalistic and reusable building blocks)
3) विविध और समावेशी नवाचार वातावरण (Diverse and inclusive innovation environment)

[1] Undp.org -Home/Digital/Digital Public Infrastructure

4) विकेंद्रीकृत बने रहने की प्राथमिकता (Preference for remaining decentralized)
5) डिज़ाइन में निहित सुरक्षा और गोपनीयता (Security and confidentiality by design)

समुचित रूप से लागू किए जाने पर ये तकनीकी सिद्धांत डीपीआई को सामाजिक परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं जैसे कि समावेशन, उपयोगकर्ता की पसंद, नवाचार, वितरण का पैमाना, सेवाओं की गति, सार्वजनिक विश्वास, बाजारों में प्रतिस्पर्धा आदि।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्तंभ क्या हैं?

1. **डिजिटल पहचान** - इसमें व्यक्तियों को एक प्रमाणीकृत यूनीक डिजिटल पहचान मिलती है, जिसकी मदद से वे बैंक खाता खोल सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं तथा अन्य कई सरकारी सुविधाओं को सीधे प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल पहचान से सामान्य जन को वे आधारभूत सुविधाएँ घर बैठे प्राप्त हो जाती हैं जिनके लिए पहले उन्हें लंबी काग़ज़ी कार्रवाई करनी होती थी।

2. **भुगतान प्रणाली** - भुगतान का अर्थ है विभिन्न हितधारकों जैसे - व्यक्ति, सरकारी संस्थाओं और व्यवसायों के बीच वित्तीय मूल्य को सुरक्षित और दक्षतापूर्ण रूप से अंतरित करना। इसमें डिजिटल भुगतान प्रणालियों और स्वरूपों का एक विस्तृत दायरा आता है जो विभिन्न प्लेटफॉर्म के बीच बाधा रहित धन अंतरण सुनिश्चित करता है। यूपीआई इसका एक प्रमुख उदाहरण है जिसने एक समावेशी और भरोसेमंद वित्तीय पर्यावरण तैयार किया है।

3. **डेटा प्रबंधन** – स्वीकृति आधारित डिजिटल डेटा विनिमय डीपीआई का तीसरा स्तंभ है जिसमें व्यक्ति से संबंधित विभिन्न डेटा स्टोर किए जा सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग व्यक्ति की इच्छानुसार विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसी डेटा रिपॉजिटरी सुरक्षित तथा कुशल डेटा अंतरण कर सकती है।

इंडिया स्टैक : भारत में डीपीआई की वास्तु संरचना

इंडिया स्टैक ओपन एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक सुविधाओं को दिया गया नाम है जिसका उद्देश्य पूरी जनसंख्या पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है। इस परियोजना की अवधारणा और क्रियान्वयन सबसे पहले भारत में किया गया, जहाँ अरबों व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा इसके तेजी से अपनाए जाने से वित्तीय और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिली है और देश को इंटरनेट युग के लिए तैयार किया है।[2]

हालाँकि इस परियोजना के नाम में 'भारत' शब्द है, लेकिन इंडिया स्टैक का विज़न किसी एक देश तक सीमित नहीं है; इसे किसी भी देश पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित हो या उभरता हुआ देश। इस प्रकार भारत डीपीआई के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रदूत बनकर उभर सकता है।

इंडिया स्टैक के स्तर

पहचान स्तर (आधार, ई-केवाईसी, ई- ऑथ आदि)
भुगतान स्तर (यूपीआई, ई-मैंडेट)
डेटा विनिमय स्तर (अकाउंट एग्रीगेटर)

इंडिया स्टैक का आधार भारत के राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम आधार के इर्द-गिर्द केंद्रित डिजिटल पहचान उत्पादों का एक समूह है। 1.31 बिलियन (95%) से ज़्यादा भारतीयों के पास आधार संख्या है, जो उन्हें कई तरह के काम करने की अनुमति देता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. दो-कारक या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के ज़रिए इनमें से किसी एक या सभी विशेषताओं को दूरस्थ रूप से प्रमाणित करना : नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, लिंग।

ii. ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता, बीमा पॉलिसियाँ और ऐसे अन्य आजीवन रिकॉर्ड की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतियाँ प्राप्त करना।

[2] https://indiastack.org/index.html

iii. सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल हस्ताक्षर सेवा का उपयोग करके दस्तावेज़ों या संदेशों पर हस्ताक्षर करना।

2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) के लॉन्च की घोषणा की, जिसने भारत को डिजिटल भुगतान के युग में पहुंचा दिया।

यूपीआई (UPI) भारत की घरेलू रीयल-टाइम मोबाइल भुगतान प्रणाली है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की यात्रा को जारी रखना था, जो हर भारतीय नागरिक को बैंक खाता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी, जो अब उन्हें एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाती है जो तेज़ी से स्मार्टफ़ोन-सक्षम होती जा रही थी।

UPI को मनी कस्टोडियन, पेमेंट रेल और फ्रंट-एंड पेमेंट एप्लिकेशन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कुछ ही वर्षों में यह एक महत्वाकांक्षी विचार से बढ़कर दुनिया का प्रमुख भुगतान नेटवर्क बन गया है।

इंडिया स्टैक पहेली का तीसरा और अंतिम भाग भारत में डेटा गवर्नेंस के लिए एक नया मॉडल स्थापित करने पर केंद्रित है। डेटा सशक्तिकरण और सुरक्षा वास्तुकला (डीईपीए) के रूप में जानी जाने वाली नीतिगत रूपरेखा में निहित, इंडिया स्टैक की 'डेटा' परत का उद्देश्य उपयोगकर्ता डेटा पर स्वामित्व और नियंत्रण को उसके सही मालिकों को बहाल करना है।

पिछले दशक में व्यक्तिगत गोपनीयता और डेटा स्वामित्व के बारे में वैश्विक चर्चा में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। यूरोपीय संघ में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर), यूके में ओपन बैंकिंग और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी बिल जैसे महत्वपूर्ण कानूनों ने व्यक्तिगत नागरिकों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर एजेंसी और नियंत्रण के साथ सशक्त बनाने की मांग की है। डीईपीए भारत के अपने नागरिकों के वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए 'एक सुरक्षित सहमति-आधारित डेटा साझाकरण रूपरेखा' बनाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

इंडिया स्टैक एक ऐसा नाम है जिसका उपयोग अलग-अलग प्रौद्योगिकी उत्पादों और ढाँचों के संग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस संग्रह के घटकों का स्वामित्व और रखरखाव अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ई-ऑथ और ई-केवाईसी जैसे आधार उत्पादों का स्वामित्व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास है। ई-साइन एक प्रौद्योगिकी विनिर्देश है जिसका रखरखाव भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा किया जाता है। डिजिलॉकर का स्वामित्व इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। यूपीआई का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास है। अकाउंट एग्रीगेटर ढाँचा भारतीय रिज़र्व बैंक और उसके प्रौद्योगिकी मानकों द्वारा विनियमित है और इसका स्वामित्व रेबिट के पास है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वर्तमान चुनौतियाँ

- मनु बैसला

I. प्रस्तावना

हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उभरती चार प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है, जो देश के दीर्घकालिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें (1) सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई (AI)) के कारण संभावित व्यवधान, (2) ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन, (3) वैश्विक विकास का घरेलू स्थिरता पर प्रभाव, और (4) कुशल कार्यबल की कमी शामिल हैं। इन चुनौतियों का समाधान न किए जाने पर यह न केवल भारत की आर्थिक प्रगति को बाधित करेगा, बल्कि समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए कदमों को भी धीमा कर सकता है। इस लेख में, हम इन चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और यह भी समझेंगे कि सरकार की विभिन्न पहलें इन जोखिमों को कैसे कम कर सकती हैं, साथ ही इनके भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या व्यापक प्रभाव होंगे।

II. सेवा क्षेत्र में एआई (AI) की विघटनकारी क्षमता

भारत की आर्थिक प्रगति में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT), वित्तीय सेवाओं और बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) जैसे उद्योगों में। इस क्षेत्र ने न केवल देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में बढ़ोतरी की है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन तकनीकों का तेज़ी से उदय हुआ है, जैसा कि चार्ट 1 और चार्ट 2 में दर्शाया गया है। AI टूल्स जैसे मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA), और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) अब कई कार्यों को स्वचालित कर रहे हैं, जिससे दक्षता तो बढ़ रही है, लेकिन नौकरी के विस्थापन की संभावना भी बढ़ रही है। विशेष रूप से, BPO और ग्राहक सेवा क्षेत्र, जो भारत के लिए बेहद अहम रहे हैं, अब AI-संचालित चैटबॉट और ऑटोमेशन सिस्टम को तेजी से अपना रहे हैं। इससे मानव श्रमिकों की जरूरत घट रही है और भारत का श्रम-केंद्रित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ चुनौतीपूर्ण हो रहा है। उदाहरण के लिए, कॉल सेंटर संचालन में AI-आधारित वर्चुअल असिस्टेंट और ऑटोमेटेड कॉल-रिस्पांस सिस्टम्स ने कार्यक्षमता को तो बढ़ाया है, लेकिन साथ ही प्रवेश-स्तर की नौकरियों को भी कम कर दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी AI का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। अब AI सॉफ्टवेयर विकास और डेटा एनालिसिस जैसे कार्यों में मानवीय हस्तक्षेप को घटा रहा है। प्रमुख भारतीय IT कंपनी इन्फोसिस ने भी AI और ऑटोमेशन टूल्स का उपयोग करके प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाया है, जिससे लागत कम हो

प्रबंधक, डीईपीआर
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

चार्ट 1: एआई अपनाने की दर (प्रतिशत)

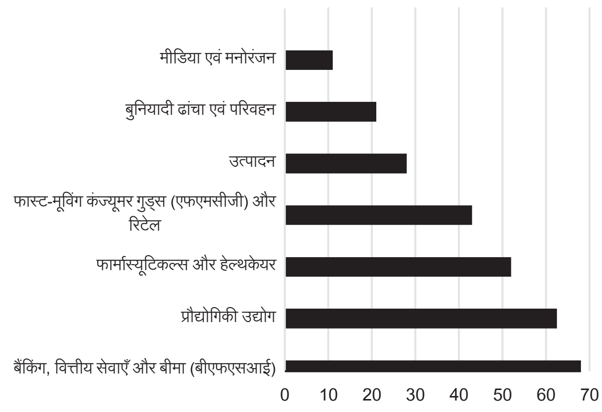

स्रोत: Teamlease Digital Study, 2024

चार्ट 2: भारत में एआई बाजार में वृद्धि का अनुमान

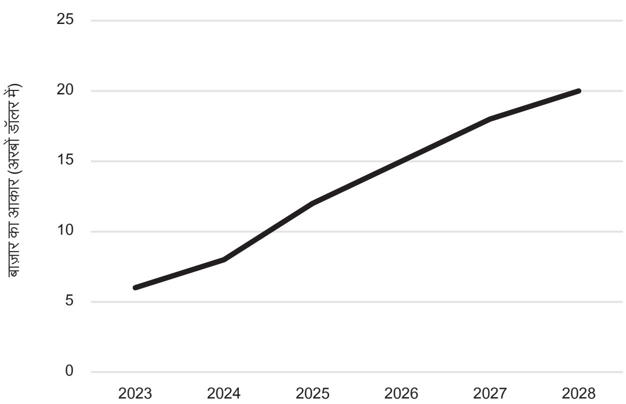

स्रोत : नैसकॉम, उद्योग रिपोर्ट, 2024

चार्ट 3: भारत का प्राथमिक ऊर्जा उपभोग मिश्रण (वित्त वर्ष 2022-23)

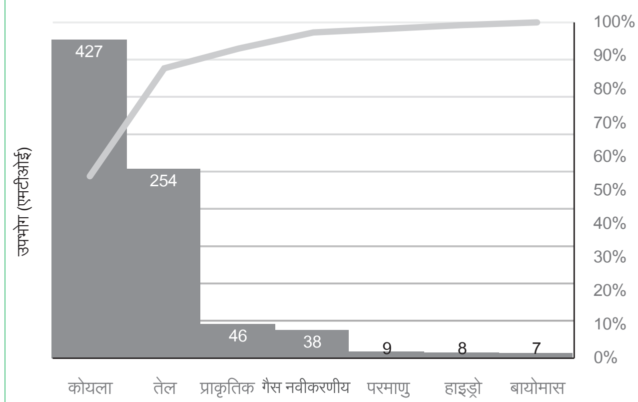

स्रोत : ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2024, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)

रही है, लेकिन इससे नई प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों में गिरावट आई है। AI और ऑटोमेशन से उत्पन्न इस व्यवधान का सबसे अधिक प्रभाव कम कुशल श्रमिकों पर पड़ने की संभावना है, विशेषकर IT और BPO जैसे क्षेत्रों में। इससे बेरोजगारी और आय में गिरावट का खतरा बढ़ता है, जो उपभोक्ता खर्च और मांग जैसे आर्थिक स्तंभों को प्रभावित कर सकता है।

इस चुनौती को पहचानते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय AI रणनीति और नैसकॉम के फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म जैसी पहलें शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य कार्यबल को AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में नए कौशल प्रदान करना है। स्वास्थ्य सेवा और कृषि में AI का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे कार्यकुशलता और उत्पादन में सुधार हो रहा है। इस प्रकार, AI और ऑटोमेशन के बावजूद, भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है, बशर्ते श्रमिक नई तकनीकों से तालमेल बिठाकर अपने कौशल का उन्नयन करें।

III. आर्थिक विकास के साथ ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित करना

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ऊर्जा की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा देश के दीर्घकालिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। भारत की ऊर्जा खपत में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का संकेत है, लेकिन इसके साथ ही यह एक बड़ी चुनौती भी प्रस्तुत करती है (चार्ट 3)। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। इस आयात-निर्भरता के कारण भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों में कीमतों की अस्थिरता से प्रभावित होता है, जो घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है। इसके साथ ही, भारत पर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेजी से बढ़ने का अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव भी है।

यह एक जटिल स्थिति उत्पन्न करता है : भारत को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ानी है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस बदलाव से ऊर्जा की विश्वसनीयता और किफायतीपन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारत ने पेरिस समझौते के तहत सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं जताई हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ देश की लड़ाई का हिस्सा हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है, कोयला आधारित संयंत्र स्थिर और निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं, खासकर चरम मांग के समय। हालांकि, कोयले के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के विपरीत है। तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के परिणामस्वरूप कुछ उद्योगों में संकट उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, और रसायन, जो ऊर्जा-गहन क्षेत्र हैं। इन उद्योगों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता घट सकती है और इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ सकता है।

भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह आर्थिक विकास और ऊर्जा तक पहुँच को बाधित किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा

की ओर कैसे संक्रमण करे। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance, ISA) एक सराहनीय पहल है, जिसका नेतृत्व भारत और फ्रांस कर रहे हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की लागत को कम करना और इसे व्यापक रूप से अपनाने में तेजी लाना है। इसके साथ ही, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission) के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन को 100 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों में बड़े पैमाने पर निवेश से भारत की ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। यह पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न कर सकती है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना। इसके लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी योजनाओं की शुरुआत की है, जो ग्रामीण परिवारों को सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। यह पहल बायोमास जैसे पारंपरिक ईंधनों पर ग्रामीण क्षेत्रों की निर्भरता को कम करती है और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाती है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। साथ ही, भारत सरकार रणनीतिक तेल भंडार (strategic oil reserves) का विस्तार भी कर रही है, ताकि आपूर्ति में किसी भी अस्थिरता की स्थिति में देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। परमाणु ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश भी किया जा रहा है, जिससे देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई जा सके और दीर्घकालिक ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित हो सके। परमाणु ऊर्जा, विशेष रूप से, एक कम-कार्बन और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रही है, जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अन्य प्रमुख चिंता वैश्विक ऊर्जा कीमतों की अस्थिरता है। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से ईंधन लागत में भारी इजाफा हुआ है, जिसका नकारात्मक प्रभाव परिवहन, कृषि और अन्य उद्योगों पर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है।

इस अस्थिरता से बचने और औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए भारत को ऊर्जा आपूर्ति के पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के बीच संतुलन साधना होगा। इससे न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा, बल्कि देश की ऊर्जा आपूर्ति भी स्थिर और किफायती बनेगी। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश से न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि यह रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देगा।

IV. भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक विकास का प्रभाव

वैश्विक अस्थिरता के प्रति भारत की संवेदनशीलता चिंता का एक बड़ा विषय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भू-राजनीतिक तनाव, और वैश्विक मौद्रिक नीतियों में बदलाव जैसी घटनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष, ब्रेक्सिट जैसी राजनीतिक घटनाएं, या कोविड-19 जैसे अप्रत्याशित वैश्विक संकटों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजारों से गहराई से जुड़ा हुआ है।

महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने भारतीय उद्योगों को गंभीर संकट में डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन प्रक्रिया ठप हो गई, जिससे देश को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, जो भारत के निर्यात का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, चीन से कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा था। सेमीकंडक्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की कमी ने स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल उद्योगों को प्रभावित किया, जिससे भारत की विनिर्माण क्षमता भी घट गई। वैश्विक व्यापार गतिविधियों में मंदी या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोप और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में मंदी से भारतीय वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ है, क्योंकि इन बाजारों से मांग में कमी आई है। कृषि क्षेत्र भी वैश्विक मांग में गिरावट और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से प्रभावित होता है, जिससे किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत की आर्थिक स्थिति पर वैश्विक मौद्रिक नीतियों में बदलाव का भी गहरा असर पड़ता है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि और मौद्रिक सख्ती से उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी के बाहर जाने का खतरा होता है। जब अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी मौद्रिक नीतियों को कड़ा करती हैं, तो निवेशक उच्च रिटर्न की तलाश में उभरते बाजारों से धन

निकालकर विकसित बाजारों में स्थानांतरित कर देते हैं। यह स्थिति भारतीय रुपये पर दबाव डालती है, जिससे मुद्रा अवमूल्यन होता है और महंगाई दर में वृद्धि होती है।

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, जैसे रूस-यूक्रेन संघर्ष, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। चूंकि भारत अपनी 80 प्रतिशत से अधिक तेल आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे परिवहन और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लागत बढ़ी, और वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई। बढ़ती कीमतों के कारण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है, जिससे घरेलू मांग में कमी आती है। यह स्थिति न केवल आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करती है, बल्कि व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए सरकार के प्रयासों को भी कमजोर करती है। उच्च मुद्रास्फीति का मतलब है कि लोगों की आय का बड़ा हिस्सा दैनिक आवश्यकताओं पर खर्च हो रहा है, जिससे बचत और निवेश की गुंजाइश घट जाती है। यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए एक नकारात्मक संकेत है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश की आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को मज़बूत करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, और कपड़ा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में, जहाँ भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक निर्भरता है, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रति अधिक लचीला बनाना है। भारत ने वैश्विक अस्थिरता से बचने और अपनी व्यापारिक निर्भरता को संतुलित करने के लिए अपने व्यापारिक संबंधों में भी विविधता लाने की कोशिश की है। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों Free Trade Agreements (FTAs) पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, ताकि भारत के निर्यात बाजारों का विस्तार हो सके और व्यापारिक अस्थिरता के प्रभाव को कम किया जा सके।

V. एक कुशल कार्यबल की कमी को दूर करने के प्रयास करना

भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक चुनौतियों में से एक कुशल कार्यबल की उपलब्धता है। दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी में से एक होने के बावजूद, भारत का श्रम बाजार आज तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और उद्योगों की आवश्यकताओं से तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहा है (चार्ट 4)। श्रम बाजार में उपलब्ध कौशल और उद्योगों की मांगों के बीच एक बड़ा असंतुलन बना हुआ है, जिससे देश के आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई (AI)), जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, और डेटा विज्ञान जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रसार हो रहा है, उद्योगों में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की जरूरत केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक, उद्योग-विशिष्ट कौशल भी अत्यंत आवश्यक हैं। हालाँकि, भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इन उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसका प्रमुख कारण है—देश की शिक्षा प्रणाली, जो अक्सर उद्योग-प्रासंगिक और भविष्य-केंद्रित कौशल प्रदान करने में पिछड़ जाती है। भारत की शिक्षा प्रणाली पारंपरिक ढाँचों पर अधिक केंद्रित है, जिससे स्नातकों को व्यावहारिक अनुभव और नवीनतम तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल करने के अवसर सीमित हो जाते हैं। इस कौशल अंतर के कारण कई महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, और उन्नत विनिर्माण विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, जो कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे अधिक दबाव में था, ने कुशल श्रमिकों की भारी कमी का सामना किया। चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ने महामारी से निपटने

चार्ट 4: भारत के कार्यबल में कौशल अंतर

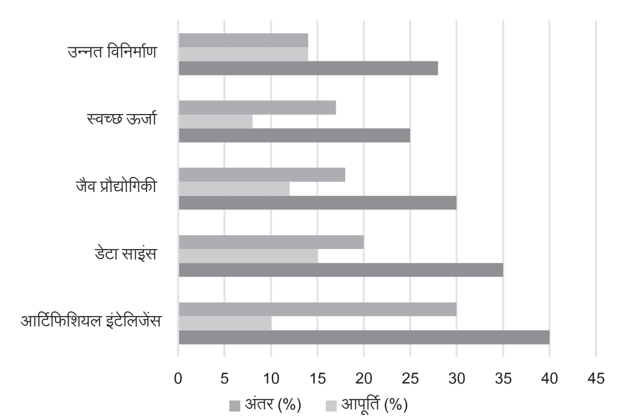

स्रोत: नैसकॉम, उद्योग रिपोर्ट,2024

में महत्वपूर्ण अड़चने पैदा की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण में गंभीर अंतर मौजूद है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जहाँ भारत एक वैश्विक आईटी हब के रूप में उभरा है, अब एआई (AI), ब्लॉकचेन, और डेटा एनालिटिक्स जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है। भले ही भारत हर साल बड़ी संख्या में आईटी स्नातक तैयार करता है, लेकिन उनमें से कई के पास उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यावहारिक कौशल की कमी होती है। उदाहरणस्वरूप, एआई (AI) और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि आपूर्ति सीमित है।

कुशल श्रमिकों की कमी केवल उद्योगों के विकास को ही सीमित नहीं करती, बल्कि नवाचार की गति को भी धीमा कर देती है। जब किसी उद्योग के पास पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्यबल नहीं होता, तो उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है, जिससे नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। यह स्थिति नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को कमजोर कर सकती है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, भारत को एक ऐसा कार्यबल तैयार करने की जरूरत है जो न केवल वर्तमान मांगों को पूरा कर सके, बल्कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों को भी संभाल सके। इस कौशल बेमेल का एक और नकारात्मक प्रभाव है : आय असमानता में वृद्धि। उच्च-कौशल और उच्च-भुगतान वाली नौकरियों में केवल वही लोग प्रवेश कर पाते हैं जिनके पास आवश्यक विशेषज्ञता होती है। इसके विपरीत, कम-कौशल वाले श्रमिक अधिकतर कम-मजदूरी वाली नौकरियों में फंसे रहते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ बढ़ती हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि देश कौशल विकास और शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करे।

इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्किल इंडिया मिशन और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) जैसी पहलें युवाओं को आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) विशेष रूप से प्रभावी साबित हुई है, जिसने लाखों भारतीय युवाओं को कौशल प्रमाणन और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करना और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकार शैक्षिक संस्थानों और उद्योग के बीच बेहतर सहयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्राप्त करें। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि उद्योग की मांगों के अनुरूप व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, स्टार्टअप और इनोवेशन हब के रूप में उभरते भारत के लिए भी कौशल विकास आवश्यक है, ताकि नए उद्योगों में रोजगार सृजन हो और देश की आर्थिक स्थिरता और विकास की गति बनी रहे।

VI. निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था जिन चार प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रही है—सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, और कुशल कार्यबल की कमी—वे विकास की राह में जटिल और परस्पर जुड़े हुए अवरोध हैं। इनसे निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, और नीतिगत सुधारों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में ठोस निवेश शामिल हो। यह स्पष्ट है कि भारत को न केवल इन चुनौतियों से उबरने के लिए तत्पर रहना होगा, बल्कि उन्हें अवसरों में बदलने के लिए भी तैयार रहना होगा। आर्थिक विकास का अगला चरण इस पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी श्रमशक्ति को आधुनिक उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप कैसे तैयार करता है, ऊर्जा स्रोतों में विविधता और स्वच्छ ऊर्जा की ओर कैसे बढ़ता है, और वैश्विक बाजारों में आने वाले झटकों से खुद को कैसे सुरक्षित रखता है। इन चुनौतियों का समाधान भारत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और समावेशी विकास की दिशा में मजबूत करेगा। अंततः, भारत की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उसे अपनी नीतियों में बाहरी झटकों के प्रति अधिक लचीलापन बनाए रखना होगा। इसके साथ ही, सरकार को दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और योजनाओं में सुधार जारी रखना होगा, ताकि भारत वैश्विक अस्थिरता के प्रभाव से उबर सके और आर्थिक विकास को मजबूती से बनाए रख सके। समय की माँग है कि भारत साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाकर इन चुनौतियों का सामना करे और एक स्थायी, प्रगतिशील और सशक्त आर्थिक भविष्य की ओर अग्रसर हो।

पुस्तक समीक्षा
ब्रेकिंग द मोल्ड : भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना

- आलोक कुमार

'ब्रेकिंग द मोल्ड' - डॉ. रघुराम राजन और श्री रोहित लांबा की भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य की आर्थिक नीतियों पर एक अनोखी किताब है जो मूल रूप से पेंगुइन द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है और अब इसका हिंदी अनुवाद भी पाठकों के समक्ष आ गया है। डॉ. रघुराम राजन, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं और श्री रोहित लांबा पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अन्य विश्वविद्यालयों में वे विज़िटिंग प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं।

पुस्तक की शुरुआत में लेखक द्वय अपने बारे में कहते हैं – *"हम दोनों प्रोफेसर हैं। रोहित अपने करियर की शुरुआत में हैं और रघु उनसे उम्र में बड़े हैं और आशा करते हैं कि पहले से थोड़े अधिक ज्ञानी भी। हम दोनों ने ही भारत सरकार में काम किया है और हमें जुनून की हद तक देश की फिक्र रहती है। हमारा भरोसा है कि भारत खुद के विकास और दुनिया को देने वाले अपने संदेशों, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है।"*

इससे आगे पाठकों को संबोधित करते हुए वे भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहते हैं – *"अगर आप समाज के थोड़े कम सुविधा संपन्न वर्ग से हैं तो आप संभवतः एक ऐसे आर्थिक माहौल का अनुभव कर रहे होंगे जो अधिक अनिश्चित हो गया है। जिससे बच्चों को अच्छे स्कूलों और विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए भारी प्रतिस्पर्धा है। उसके बाद बहुत कम संख्या में अच्छी नौकरियां उपलब्ध हैं। आपके पास सामाजिक समर्थन बेहद कम है, खासकर अनजान बड़े शहरों में यह मदद उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक मेडिकल इमरजेंसी ही आपको या आपके पड़ोसियों को गरीबी की दलदल में धकेलने के लिए पर्याप्त है। अधिकांश भारतीय आपके जैसे ही हैं वे कुछ बेहतर की उम्मीद करते हुए वर्तमान को झेल रहे हैं।"* इससे पता चलता है कि दोनों ही अर्थशास्त्री भारतीय मध्यवर्ग की चिंताओं से अवगत हैं। हालांकि ये वे ही चिंताएं हैं जो 21वीं सदी की शुरुआत में ही इस देश के मध्यम वर्ग के सामने थीं।

यह पुस्तक कोई अकादमिक ग्रंथ न होकर सामान्य पाठक के लिए पठनीय सामग्री प्रस्तुत करती है। इसे तीन खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है – विकास : भारतीय तरीके से, दूसरा खंड है - शासन प्रणाली और क्षमताएं और तीसरा खंड पुस्तक का उपसंहार है। पुस्तक से गुजरते हुए यह अंदाज़ा लग जाता है कि अर्थशास्त्री होना अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण है। यह सिर्फ आर्थिक नीतियों या आंकड़ों के विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सफल अर्थशास्त्री होने के लिए राष्ट्रों की ऐतिहासिक

सहायक प्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

पृष्ठभूमि, सामाजिक संरचना और जनसांख्यिकीय विविधता और उनकी समाजार्थिक आवश्यकताओं की मुकम्मल जानकारी बेहद जरूरी है।

आर्थिक संवृद्धि में कहाँ पिछड़ा भारत?

हम सब जानते हैं कि अपने आर्थिक विकास के इतिहास में भारत ने सेवा क्षेत्र में जितनी संवृद्धि हासिल की है, उतनी संवृद्धि उत्पादन क्षेत्र में हासिल नहीं कर पाया है, जिसके कारण भारत उत्पादन और निर्यात के मोर्चे पर अपने समकक्षी देशों की तुलना में पीछे रह गया है। भारत और चीन की तुलना करते हुए लेखक लिखते हैं – *"मोटे तौर पर कहा जाए तो चीन ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध में भारत से ठीक एक दशक पहले अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना शुरू किया था। चीन ने पहले शुरुआत की और इसकी वृद्धि भी तेज गति से हुई। ... आज भारत का कुल आर्थिक उत्पादन वहाँ है, जहाँ 2007 में चीन का था यानी भारत लगभग 16 साल पीछे है। भले ही आगे जाकर चीन उस गति से नहीं बढ़ा, जिस गति से वह बढ़ रहा था।"* ज़ाहिर सी बात है कि भारत उत्पादन में तो पिछड़ गया लेकिन सेवा क्षेत्र में वह आगे निकला।

इसका कारण क्या था? कारणों में जाकर लेखक यह बताते हैं इसके मूल में थी बुनियादी शिक्षा। लेकिन केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास। लेखक लिखते हैं – *"मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के याशोंग हुआंग की राय है कि चीन के विकास की कहानी बॉटम अप अर्थात नीचे से ऊपर की ओर थी। 80 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में असंख्य छोटे व्यवसाय शुरू हुए, जिन्हें सस्ते कर्ज और उदारीकृत कारोबारी माहौल से मदद मिली। ये छोटे शहर और गांव के उद्यम बहुत सारे क्लस्टर में थे, जो खास उत्पादों में विशेषज्ञता रखते थे। एक इलाके में दरवाजे के हैंडल और दूसरे इलाके में मशीन स्क्रू, चीन की बेहद प्रतिस्पर्धी उत्पादन शृंखलाओं के आवश्यक तत्व बन गए थे।"*

लेखकों का तर्क है कि भारत उसी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि छोटे कारोबार को चलाने के लिए शिक्षा, साक्षरता और बुनियादी अकाउंटिंग और समझ की जरूरत होती है। जब चीन की अर्थव्यवस्था उदारीकृत हुई तो अधिकतर चीनी नागरिक के पास इतनी शिक्षा थी। भारत ने शिक्षा में तभी निवेश किया जब उदारीकरण की वजह से धीरे-धीरे अधिक शिक्षित कामगारों की जरूरत सामने आई थी।

लेखक द्वय आगे लिखते हैं – *"सामूहिक प्राथमिक शिक्षा में भारत का प्रदर्शन खराब रहा। अपनी क्लासिक पुस्तक "द चाइल्ड एंड द स्टेट" में एमआईटी के प्रोफेसर मायरॉन विनर ने तर्क दिया है कि स्वतंत्रता के बाद पहले चार दशकों में अपने अधिकांश बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक स्कूली शिक्षा देने में भारत की असमर्थता की वजह थी- जाति और आर्थिक पदानुक्रम। वंचित जातियों और गरीबों को शिक्षित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खेतिहर मजदूर के पढ़ने-लिखने से उनकी स्थिति में सुधार होगा और उसके मन में मौजूदा स्थिति के प्रति असंतोष के अलावा और क्या होगा। ... उदारीकरण ने ऐसी नौकरियां पैदा कीं, जिससे शिक्षा की यह खाई उजागर हो गई।"*

भारत में उत्पादन क्षेत्र के नहीं बढ़ पाने के कारण अवसंरचना का अभाव, भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया और जटिल श्रम कानून रहे हैं। अवसंरचना के अभाव में पर्याप्त उत्पादन के लिए पर्याप्त निवेश प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता सुझाते हुए लेखक कहते हैं कि आगे, भारत को उत्पादन और सेवा दोनों के मिश्रण में अपनी उद्यमिता विकसित करने की जरूरत है। इसके कई उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। वे कहते हैं – *"क्या भारत को उत्पादन और सेवाओं के बीच किसी एक को चुनने की जरूरत है? लेंस्कार्ट के उदाहरण से पता चलता है कि आज सेवा और उत्पादन दोनों ही आपस में बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। सेवाएं और उत्पादन एक दूसरे के लिए बढ़ता हुआ इनपुट हैं। ... हमें अभी यह विकल्प चुनना होगा कि हम संसाधनों को कहाँ खर्च करते हैं।"*

वैश्वीकरण और भारत

जब आर्थिक विकास की चर्चा होती है तो वैश्वीकरण का मुद्दा कैसे पीछे रह सकता है। एक समय में वैश्वीकरण का जोर था लेकिन अभी स्थिति उलट गई है और आजकल डीग्लोबलाइजेशन और आर्थिक संरक्षणवाद की चर्चा होने लगी है। आखिर पूरी दुनिया क्यों वैश्वीकरण से पीछे हट रही है? पुस्तक में यह कहा गया है कि पश्चिम में मौजूदा औद्योगिक घर वापसी अथवा वैश्वीकरण से पीछे

हटना, असल में आंशिक रूप से उत्पादन क्षेत्र में चीनी वर्चस्व और पश्चिम में मध्यम आय वाली मैन्यूफैक्चरिंग नौकरियों के नुकसान की वजह से हो रहा है। इसका हल बताते हुए लेखक लिखते हैं कि अधिकांश देशों के लिए सप्लाई चेन में व्यवधान को खत्म करने और उत्पादन में नौकरियां पैदा करने के राजनीतिक दबाव से निपटने का सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे पूरी सप्लाई चेन देश के भीतर ले जाएं जिसे रिस्टोरिंग या पुनर्स्थापना कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा सस्ता श्रम है।

भारत क्या कर सकता है? लेखकों के अनुसार *"भारत सप्लाई चेन को नजरंदाज करके घर में ही सब कुछ उत्पादित कर सकता है जब तक कि उसके द्वारा निर्यात की जानेवाली अंतिम वस्तुओं पर उनके गंतव्य पर टैरिफ न लगे लेकिन इसके लिए सप्लाई चेन के हर खंड में दुनिया के सबसे कुशल उत्पादकों से मेल रखना जरूरी है। इसके लिए हमें अनुसंधान में अमेरिका से बेहतर होना होगा; डिजाइन में इतावली लोगों से बेहतर होना होगा और उसी तरह उत्पादन में चीन, जर्मनी, वियतनाम से बेहतर होना होगा।"*

इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत सरकार की पीएलआई स्कीम की कमजोरियों की चर्चा करते हुए लेखक लिखते हैं – *"उत्पादन कौशल के लिए यह मायने रखता है कि भारत में कितना मूल्यवर्धन हो रहा है। ज़ाहिर है बहुत कम। भारत मोबाइल फ़ोन का बड़े पैमाने पर असेम्बलर बन गया है, जो सप्लाई चेन का सबसे कम मूल्यवर्धित हिस्सा है जो मोबाइल फ़ोन के कुल मूल्य का केवल कुछ प्रतिशत ही है। लॉजिक चिप्स जैसी अधिकतर परिष्कृत चीजों समेत ज्यादातर हिस्सा आयातित होता है। वास्तव में यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि भारत में मूल्यवर्धन की कीमत, जितनी सब्सिडी दी जा रही है उससे अधिक है भी या नहीं।"*

वे लिखते हैं – *"पीएलआई स्कीम एक नीतिगत शॉर्टकट है। यह भारत में उत्पादन की बाधाओं को दूर करने के काम की जगह अपनाया गया रास्ता है। यह प्रारंभिक निवेश बढ़ाने के लिए एक उपयोगी अल्पकालिक नीतिगत निर्णय है। भारत में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वित्त वर्ष 2021 में 44 अरब डॉलर से गिरकर वित्त वर्ष 2023 में 28 अरब डॉलर हो गया। पीएलआई भी वास्तविक सुधारों का विकल्प नहीं बन सकता अगर हमने अपनी कमजोरियों को दूर नहीं किया है। तो क्या जो लोग भारत में उत्पादन करने आए थे फिर सब्सिडी खत्म होने पर जल्दी ही चले नहीं जाएंगे ?"* हालांकि पीएलआई से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 7 लाख नौकरियां निर्मित हुई हैं।

बाधाएं और भविष्य की राह

पुस्तक में लेखक द्वय रचनात्मक संवृद्धि का सुझाव देते हैं जिसमें नवोन्मेष को प्रमुखता देना, सेवाओं और उत्पादन से जुड़ी सेवाओं का विस्तार करना बेहतर विकल्प सुझाया गया है। दुनिया तेजी से बुजुर्ग होती जा रही है इसलिए वह सेवाओं के अपने इस्तेमाल को बढ़ाएगी और अगर दुनिया को जलवायु परिवर्तन को धीमा करना है तो उसे वस्तुओं की खपत में वृद्धि को भी धीमा करना होगा इसीलिए भारत को सेवाओं और उत्पादन से जुड़ी सेवाओं के प्रति रुझान रखते हुए इस बात पर जोर देना होगा कि जहाँ भी जरूरत हो हम नए विचारों और रचनात्मकता को अपनाएँ।

पुस्तक का दूसरा खंड - शासन प्रणाली और क्षमताएं विषय पर केंद्रित हैं जिसमें आर्थिक सोच से अलग हटकर लेखक लोकतंत्र, प्रेस, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर ज़ोर देते हैं। लेखकों के अनुसार विकास का विकेंद्रीकरण जरूरी है, उदाहरण के लिए अवसंरचना निर्माण स्थानीय जरूरतों के लिहाज से होने चाहिए। यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हम गैर-टिकाऊ किस्म के अति विकास के शिकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हिमालय स्थित जोशीमठ के बहुत सारे हिस्से धंस रहे हैं और शहरवासी इसका दोष विकास परियोजनाओं से पैदा होने वाले दबाव को दे रहे हैं, जिसमें पनबिजली और चारधाम सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं।

लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कोई नई बात नहीं है। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण ने आरंभ में ही इसकी वकालत की थी। पंचायती राज योजना इसकी मिसाल है। हाल के वर्षों में इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई पहल किए हैं। पुस्तक के अनुसार राज्य सरकारों में शीर्ष पर सत्ता का संकेंद्रण लगभग उतना ही चिंताजनक है, जितना कि केंद्र का इस प्रकार स्थानीय सरकार को कार्यों और निधियों का हस्तांतरण जरूरी हो गया है।

लेखक द्वय शासन प्रणाली में बदलाव की प्रक्रिया पर ज़ोर देते हुए लिखते हैं – *"सबसे जरूरी है सब्सिडी और खाते में पैसा डाले जाने से ध्यान हटाकर सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने को अहमियत देना, मसलन - बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा।"* पुस्तक में क्रोनी कैपिटलिज्म की चर्चा करते हुए इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए चुनावी चंदों को भी पारदर्शी बनाने की बात कही गई है। दोनों अर्थशास्त्री इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अल्पकालिक और तात्कालिक परिणामों को लक्ष्य करके नकद, अनाज, लैपटॉप, आदि जैसे लाभ-अंतरण वाली योजनाओं के बजाय अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं (जैसे- स्वास्थ्य और शिक्षा) पर ध्यान केन्द्रित करना दीर्घकालिक लाभ के लिए बेहतर है।

जहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म की चर्चा होगी, वहाँ स्वस्थ व्यापार प्रतिस्पर्धा की चर्चा लाज़मी है। इसके लिए जरूरी है कि उद्योगों का अधिक संकेंद्रण न हो। लेखकों का विचार है कि प्रतिस्पर्धा आयोग को व्यापार में बढ़ते संकेंद्रण पर सवाल उठाना चाहिए, इसके लिए इसे और अधिक स्वतंत्रता की जरूरत है। सरकार को कुछ खास उद्योगों को दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं और खाद्य समूहों का पक्ष न लेकर सभी व्यवसायों की स्थितियों में सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। स्वस्थ व्यापार परितंत्र के लिए समान अवसर जरूरी है। इस संबंध में लेखकों के विचार हैं – *"चूँकि सीसीआई की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उद्योग के संकेंद्रीकरण पर विलय के प्रभावों का मूल्यांकन करने की है, उसे ऐसे विलयों का विरोध करना चाहिए जो बहुत अधिक संकेंद्रीकरण का कारण बनते हैं।"*

भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा। लेखक भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संतोष व्यक्त करते हैं। इस पुस्तक में स्कूलों के वर्तमान ढांचे में बदलाव की ओर संकेत करते हुए स्कूली पढ़ाई में तकनीक और डिजिटल प्रविधियों को शामिल करने पर ज़ोर देने के साथ-साथ उच्च शिक्षा में व्यावसायिक कौशल को शामिल करने पर ज़ोर देते हुए, लेखक यह सुझाव देते हैं कि सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य भाग में व्यावसायिक क्षेत्र के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए और विशेष रूप से राज्य स्तरीय परीक्षाओं में व्यावसायिक विषयों से संबंधित वैकल्पिक क्षेत्रों के अधिक विषयों को जोड़ा जाना चाहिए। यह एक अच्छा सुझाव है जो प्रशासकीय दायित्वों में उद्यमिता और व्यावसायिकता के प्रति सकारात्मक भावना को विकसित करने में मदद करेगा।

आज मीडिया में भारत को महाशक्ति बनाने पर खासा जोर है। संघीय स्तर पर महाशक्ति बनने का मतलब ऐसी महाशक्ति से है जो जबरदस्ती और प्रभुत्व के बजाय आत्मविश्वास के साथ सहयोग शांति सद्भावना और रचनात्मकता पर ज़ोर दे। लेखक हार्ड पावर के बजाय सॉफ्ट पावर की तरफ झुकाव अधिक पसंद करते हैं।

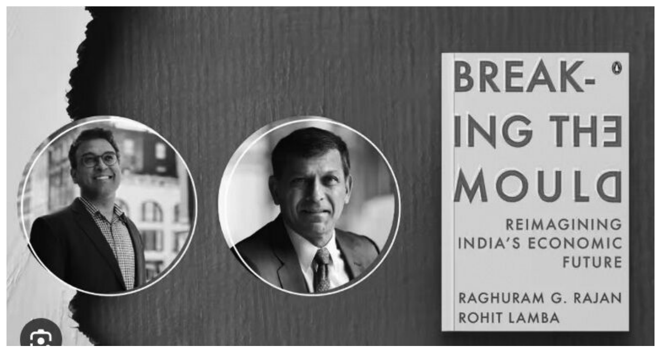

पुस्तक की भाषा

पुस्तक का अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद मंजीत ठाकुर ने किया है जो पेशे से पत्रकार हैं। पुस्तक का अनुवाद स्तरीय नहीं है। ऐसा लगता है जल्दबाज़ी में मशीनी अनुवाद का सहारा तो लिया गया है लेकिन उसे संपादित नहीं किया गया है। खराब अनुवाद के कारण पुस्तक की संप्रेषणीयता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त अर्थ-वित्त जगत की शब्दावली को भी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया है। सरलीकरण का अर्थ विषय के अनुशासन की उपेक्षा नहीं होता। आशा है अगले संस्करण में भाषा पर काम किया जाएगा।

निष्कर्ष

देश के सर्वांगीण विकास के जितने भी कारक हो सकते हैं उन्हें इस पुस्तक में शामिल करने की कोशिश की गई है। कई ऐसे उद्यमियों के उदाहरण दिए गए हैं जो वास्तव में प्रेरक और अनुकरणीय हैं। सेवा और विनिर्माण में नवोन्मेष आज हमारी जरूरत है। इसी तरीके से भारत में आय विषमता को दूर किया जा सकता है। ऐसा लेखक मानते हैं। इस पुस्तक में आने वाले भारत के आर्थिक परिदृश्य के संबंध में सकारात्मक संकेत व्यक्त किए गए हैं। कुल मिलाकर यह एक पठनीय पुस्तक है।

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज

सीआईएमएस प्रोजेक्ट कार्यान्वयन - सीआईएमएस पोर्टल पर सांविधिक रिटर्न (फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX) प्रस्तुत करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2024 को सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार रिज़र्व बैंक की अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस, अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) प्रारम्भ करने के उपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX रिटर्न को एक्सबीआरएल पोर्टल से सीआईएमएस पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाए। तदनुसार, बैंक रिपोर्टिंग क्रमशः शुक्रवार 14 जून 2024 से पाक्षिक फॉर्म ए रिटर्न, मई 2024 से मासिक फॉर्म VIII रिटर्न और 31 दिसंबर 2024 से वार्षिक फॉर्म IX रिटर्न केवल सीआईएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। बैंक इंगित की गई तारीख / महीने तक एक्सबीआरएल और सीआईएमएस पोर्टल दोनों पर फॉर्म ए और फॉर्म VIII प्रस्तुत करना जारी रखेंगे।

ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2024 को सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, भुगतान बैंक के अतिरिक्त) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक तथा सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार 8 फरवरी 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा के संदर्भ में, इस विषय पर निर्देशों को सुसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। यह विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे वित्तीय उत्पादों पर पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना विषमता को कम करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि उधारकर्ताओं को सूचना द्वारा वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा विस्तारित सभी खुदरा और एमएसएमई सावधि ऋण उत्पादों के मामलों में सामंजस्यपूर्ण निर्देश लागू होंगे।

मुख्य महाप्रबंधक, प्रवर्तन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

इस परिपत्र के प्रयोजन हेतु, निम्नलिखित शर्तों को परिभाषित किया गया है : आरई/आरई के समूह और उधारकर्ता के बीच ऋण करार के मुख्य तथ्य कानूनी रूप से महत्वपूर्ण और निर्धारणात्मक तथ्य हैं जो उधारकर्ता को एक सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करने के लिए आवश्यक मूलभूत जानकारी पूरा करते हैं। मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) सरल और समझने में आसान भाषा में ऋण करार के मुख्य तथ्यों का एक विवरण है, जो उधारकर्ता को एक मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया जाता है। वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) उधारकर्ता के लिए ऋण की वार्षिक लागत है जिसमें ब्याज दर और क्रेडिट सुविधा से जुड़े अन्य सभी शुल्क शामिल हैं। समान आवधिक किश्त (ईपीआई) पुनर्भुगतान की समान अथवा निश्चित राशि है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों घटक शामिल होते हैं, जो उधारकर्ता द्वारा ऐसे अंतरालों की एक निश्चित संख्या के लिए आवधिक अंतराल पर ऋण के पुनर्भुगतान के लिए भुगतान किया जाता है; और जिसके परिणामस्वरूप ऋण का पूर्ण परिशोधन होता है। मासिक अंतराल पर ईपीआई को ईएमआई कहा जाता है।

उपरोक्त में जो अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इस परिपत्र में उपयोग किया गया है, उनका वही आशय होगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अद्यतन किए गए अग्रिमों पर ब्याज दर के मास्टर निदेश (2016) अथवा जारी किसी अन्य उपयुक्त विनियमन के अंतर्गत है। केएफएस ऐसे उधारकर्ताओं द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा।

केएफएस की विषय-वस्तु उधारकर्ता को समझायी जाएगी और पावती प्राप्त की जाएगी कि उसने इसे समझ लिया है। इसके अतिरिक्त, केएफएस को एक अद्वितीय प्रस्ताव संख्या प्रदान की जाएगी और सात दिन अथवा उससे अधिक की अवधि वाले ऋणों के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की वैधता अवधि होगी और सात दिनों से कम अवधि वाले ऋणों के लिए एक कार्य दिवस की वैधता अवधि होगी।

केएफएस में वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गणना शीट और ऋण अवधि के दौरान ऋण का परिशोधन कार्यक्रम भी शामिल होगा। एपीआर में वे सभी शुल्क शामिल होंगे जो आरई द्वारा लगाए जाते हैं। वास्तविक आधार पर तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं की ओर से आरई द्वारा उधारकर्ताओं से वसूले गए शुल्क, जैसे बीमा शुल्क, कानूनी शुल्क आदि भी एपीआर का हिस्सा होंगे और उनका प्रकटीकरण अलग से किया जाएगा। सभी मामलों में जहां आरई ऐसे शुल्कों की वसूली में शामिल है, उचित समय के भीतर प्रत्येक भुगतान के लिए उधारकर्ता को रसीदें और संबंधित दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। कोई भी ऐसा शुल्क, प्रभार, आदि जिसका उल्लेख केएफएस में नहीं किया गया है, उसके लिए उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना, ऋण की अवधि के दौरान किसी भी चरण में आरई द्वारा उधारकर्ता से शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अप्रैल 2024 को सभी लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार एसएफबी को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बैंकों में परिवर्तित होने के लिए एक परिवर्तन पथ प्रदान किया जा रहा है। इस तरह का रूपांतरण एसएफबी द्वारा यूनिवर्सल बैंकों पर लागू न्यूनतम भुगतान पूंजी/निवल मूल्य की आवश्यकता को पूरा करने, न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एसएफबी के रूप में कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक की समुचित सावधानी कार्यप्रणाली के अधीन होगा। परिपत्र में निहित प्रावधान परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे। बेहतर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से, एसएफबी के लिए यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार होंगे :

क) अनुसूचित बैंक दर्जा तथा न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड;

ख) बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए;

ग) पिछली तिमाही (लेखापरीक्षित) के अंत में न्यूनतम निवल मालियत ₹1,000 करोड़ होनी चाहिए;

घ) एसएफबी के लिए निर्धारित सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए;

ङ) पिछले दो वित्तीय वर्षों में निवल लाभ रहा हो; और

च) पिछले दो वित्तीय वर्षों में जीएनपीए और एनएनपीए क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो।

साथ ही शेयरधारिता पैटर्न के संबंध में भी कुछ शर्तें लागू होंगी। पात्र एसएफबी द्वारा उक्त परिवर्तन के लिए एक विस्तृत तर्क भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता - ब्याज लगाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 अप्रैल 2024 को सभी भुगतान बैंकों के अतिरिक्त सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार 2003 से विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) को जारी उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, विनियमित संस्थाओं को उनकी ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऋणदाताओं द्वारा ब्याज लगाने में निष्पक्षता और पारदर्शिता का समर्थन करते हैं।

इस संदर्भ में, 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए आरई की ऑनसाइट जांच के दौरान, ऋणदाताओं द्वारा ब्याज लगाने में कुछ अनुचित प्रथाओं का पालन करने के प्रसंग सामने आए हैं। रिज़र्व बैंक की कुछ अनुचित प्रथाओं को नीचे संक्षेप में समझाया गया है :

(क) ऋण की मंजूरी की तारीख या ऋण करार के निष्पादन की तारीख से ब्याज लगाना, न कि ग्राहक को धनराशि के वास्तविक संवितरण की तारीख से। इसी प्रकार, चेक द्वारा

वितरित ऋण के मामले में, ऐसे उदाहरण देखे गए जहां चेक की तारीख से ब्याज लिया गया था जबकि चेक कई दिनों बाद ग्राहक को सौंपा गया।

(ख) महीने के दौरान ऋण के वितरण या चुकौती के मामले में, कुछ आरई केवल उस अवधि के लिए, जिसके लिए ऋण बकाया था, ब्याज लगाने के बजाय सम्पूर्ण माह के लिए ब्याज लगा रहे थे।

(ग) कुछ मामलों में, यह देखा गया कि आरई अग्रिम में एक या अधिक किश्तें जमा कर रहे थे, लेकिन ब्याज लगाने के लिए सम्पूर्ण ऋण राशि की गणना कर रहे थे।

ब्याज लगाने की ये और ऐसी अन्य अमानक प्रथाएँ ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं हैं। ये रिज़र्व बैंक के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। जहां भी ऐसी प्रथाएं सामने आई हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी पर्यवेक्षी टीमों के माध्यम से विनियमित संस्थाओं को ग्राहकों को इस तरह के अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क वापस करने के लिए सूचित किया है। कुछ मामलों में ऋण वितरण के लिए जारी किए गए चेक के बदले विनियमित संस्थाओं को ऑनलाइन खाता अंतरण का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए, निष्पक्षता और पारदर्शिता के हित में, सभी आरई को निदेशित किया गया कि वे ऋण वितरण के तरीके, ब्याज और अन्य प्रभारों को लगाने के संबंध में अपनी प्रथाओं की समीक्षा करें और उपर्युक्त रेखांकित मुद्दों के समाधान के लिए प्रणाली स्तर पर, जो आवश्यक हो, बदलाव सहित सुधारात्मक कार्रवाई करें।

परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शी नोट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अप्रैल 2024 को सभी वाणिज्यिक बैंक, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (जैसे, एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी), और आवास वित्त कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर एक मार्गदर्शी नोट जारी किया। मार्गदर्शी नोट के अनुसार परिचालन जोखिम सभी बैंकिंग/वित्तीय उत्पादों, सेवाओं, गतिविधियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में अंतर्निहित है। परिचालन जोखिम का प्रभावी प्रबंधन विनियमित संस्थाओं (आरई) के जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक अभिन्न अंग है। परिचालन जोखिम का सुदृढ़ प्रबंधन आरई के उत्पादों, सेवाओं, गतिविधियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के पोर्टफोलियो को प्रशासित करने में निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की समग्र प्रभावशीलता को दर्शाता है।

परिचालन संबंधी व्यवधान आरई की व्यवहार्यता को खतरे में डाल सकता है, इसके ग्राहकों और अन्य बाजार सहभागियों को प्रभावित कर सकता है और अंततः वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। यह मानव निर्मित कारणों, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) खतरों (उदाहरण के लिए, साइबर हमले, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी विफलताएं, आदि), भू-राजनीतिक संघर्ष, व्यापार व्यवधान, आंतरिक/बाहरी धोखाधड़ी, निष्पादन/वितरण त्रुटियों, तृतीय पक्ष पर निर्भरता, या प्राकृतिक कारण (जैसे, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आदि) के परिणामस्वरूप हो सकता है।

एक आरई को जोखिमों के संपूर्ण आयाम (अपनी जोखिम मूल्यांकन नीतियों/प्रक्रियाओं में उपर्युक्त जोखिमों सहित) को ध्यान में रखना होगा, उचित उपकरणों का उपयोग करके उनकी पहचान करना और उनका आकलन करना होगा, इसके भौतिक परिचालन जोखिमों की निगरानी करनी होगी और परिचालन संबंधी व्यवधानों को कम करने और महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रणों का उपयोग करके उचित जोखिम शमन/प्रबंधन रणनीतियां तैयार करना होगा, जिससे कि परिचालन आघात-सहनीयता सुनिश्चित हो सके।

अब तक, आरई को जिन प्रमुख परिचालन जोखिमों का सामना करना पड़ता था, वे बढ़ती निर्भरता और वित्तीय सेवाओं और मध्यस्थता के प्रावधान के लिए प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने से संबंधित दोष पूर्णता के कारण उत्पन्न होते थे। तथापि, वित्तीय क्षेत्र की तृतीय-पक्ष प्रदाताओं (प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं सहित) पर बढ़ती निर्भरता, जो कि आभासी कामकाजी व्यवस्थाओं पर अधिक निर्भरता के साथ कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ गई है, ने परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता के बढ़ते महत्व को उजागर किया है; जो न केवल एक

व्यवहार्य चालू संस्था बने रहने की क्षमता को मजबूत करके आरई को लाभ पहुंचाता है, बल्कि किसी भी व्यवधान के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करके वित्तीय प्रणाली का समर्थन करता है।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक, परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर एक मार्गदर्शी नोट के माध्यम से यह अभिप्रेत करना चाहता है कि :

आरई के परिचालन जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना और इसमें और सुधार करना, और वित्तीय प्रणाली के भीतर अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रितताओं को देखते हुए, जो उस जटिल और गतिशील परिस्थिति से उत्पन्न होता है जिसमें आरई संचालित होते हैं, उनके परिचालन आघात-सहनीयता को बढ़ाना। यह मार्गदर्शी नोट 14 अक्टूबर 2005 के "परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट" को अद्यतन करता है। इसे मार्च 2021 में जारी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) सिद्धांतों, अर्थात, (ए) 'परिचालन जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन के लिए संशोधित सिद्धांतों' और (बी) 'परिचालन आघात-सहनीयता के सिद्धांतों' के साथ-साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई 2024 को सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार यूसीबी के लिए मौजूदा पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ) की समीक्षा की गई है। तदनुसार, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क नामकरण के तहत एसएएफ को प्रतिस्थापित करने वाले संशोधित फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। पीसीए फ्रेमवर्क सभी समावेशी निदेशों के तहत आने वाले यूसीबी को छोड़कर टियर 2, टियर 3 और टियर 4 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले सभी यूसीबी पर लागू होगा। यद्यपि टियर 1 यूसीबी, अभी तक पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं तथापि मौजूदा पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के तहत संवर्धित निगरानी के अधीन होंगे।

पीसीए फ्रेमवर्क से टियर 1 यूसीबी को छूट की समीक्षा नियत समय पर की जाएगी। पीसीए फ्रेमवर्क का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है और यह यूसीबी को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक उपाय शुरू करने और लागू करने को आवश्यक बना देता है। पीसीए फ्रेमवर्क भारतीय रिज़र्व बैंक को फ्रेमवर्क में निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाइयों के अलावा, किसी भी समय जब वह उचित समझे कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। पीसीए फ्रेमवर्क के प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।

गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर दिशानिदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2024 को सभी अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों को को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और संरक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) मौजूदा और उभरती सूचना प्रणालियों और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति आघात-सहनीय हैं, 08 अप्रैल 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीओएस) के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निदेश जारी करेगा।

तदनुसार, 02 जून 2023 को हितधारकों से टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ माँगते हुए एक मसौदा मास्टर निदेश प्रकाशित किया गया था। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, इन जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत शासन तंत्र को शामिल करते हुए सुनिश्चित निदेशों को जारी करने का निर्णय लिया गया है। निदेशों में सिस्टम आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सुरक्षित और सुदृढ़ डिजिटल भुगतान लेनदेन को भी शामिल किया गया है। हालांकि, परिचालकों को नवीनतम सुरक्षा मानकों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। कार्ड, पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके किए गए भुगतानों के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपायों पर मौजूदा निर्देश पूर्ववत लागू होते रहेंगे। दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता में किसी भी विसंगति के मामले में, इस मास्टर निदेश में दिए गए निर्देश प्रबल होंगे।

क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 अगस्त 2024 को सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित), सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार सभी साख सूचना कंपनियों को सूचित किया कि डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।

तदनुसार, यह निर्देश दिया कि सीआईसी और सीआई उनके द्वारा एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को नियमित रूप से पाक्षिक आधार पर (अर्थात संबंधित माह की 15वीं और अंतिम तारीख को) अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति के अनुसार ऐसे छोटे अंतराल पर अद्यतन रखेंगे। सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट जानकारी का पाक्षिक प्रस्तुतीकरण संबंधित रिपोर्टिंग पखवाड़े के सात (7) कैलेंडर दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, 26 अक्तूबर 2023 के परिपत्र के अनुसार सीआईसी को अपने डेटा स्वीकृति नियमों के अनुसार, सीआई से प्राप्त क्रेडिट जानकारी डेटा को सीआई से प्राप्त होने के सात (7) कैलेंडर दिनों के भीतर दर्ज करना आवश्यक है। इसे अब संशोधित करके इसकी प्राप्ति के पांच (5) कैलेंडर दिन कर दिया गया है।

सीआईसी उन सीआई की सूची प्रदान करेंगे जो सूचना और निगरानी उद्देश्यों के लिए अर्धवार्षिक अंतराल (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को) पर पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को पाक्षिक डेटा प्रस्तुत करने की समयसीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। यह निर्देश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। हालाँकि, सीआई और सीआईसी को इन निदेशों को यथाशीघ्र, परंतु 1 जनवरी 2025 के उपरांत नहीं, व्यवहार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैन्डेट का प्रसंस्करण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अगस्त 2024 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/भुगतान बैंक/लघु वित्त बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता/अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार 07 जून 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ दिया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) को, जो आवर्ती प्रकृति की है, लेकिन बिना किसी निश्चित आवधिकता के है, ई-मैन्डेट ढांचे के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी।

जब भी शेष राशि ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे चली जाती है, तो फास्टैग और एनसीएमसी की स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) को भी ई-मैन्डेट ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) के लिए भुगतान आवर्ती प्रकृति के होते हैं, लेकिन उनकी कोई निश्चित आवधिकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें प्री-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। ई-मैन्डेट ढांचे के अंतर्गत दिए गए अन्य सभी निर्देश लागू रहेंगे।

भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में राष्ट्रिक हरित बॉण्ड के व्यापार और निपटान के लिए योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 अगस्त 2024 को सभी पात्र बाजार प्रतिभागियों को दिशा निर्देश जारी किया जिसके अनुसार 05 अप्रैल 2024 को दिये गए 2024-25 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में घोषित विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ देते हुए कहा कि भारत में आईएफएससी में एसजीआरबी के व्यापार और निपटान के लिए योजना तैयार की गई है। साथ ही यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आईएफएससी में संस्थाओं द्वारा योजना में भागीदारी के लिए परिचालन दिशानिर्देश आईएफएससी प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे।

घूमता आईना
(राष्ट्रीय खंड)

- डॉ. करुणेश तिवारी

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास लगातर दूसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर चुने गए

वित्त जगत की जानी-मानी पत्रिका **ग्लोबल फाइनैंस** ने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर के खिताब से नवाज़ा है। ग़ौरतलब है कि श्री शक्तिकान्त दास ने वर्ष 2022 में भी यह सम्मान प्राप्त किया था। श्री शक्तिकान्त दास की इस उपलब्धि का श्रेय उनकी उन नीतियों और उपायों को दिया जा रहा है जो उन्होंने कोविड और उसके बाद उत्पन्न विपरीत आर्थिक परिस्थितियों और रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए किए थे। पत्रिका द्वारा प्रकाशित Global Finance's Central Banker Report Cards 2024 में श्री दास को A+ उच्चतम ग्रेड प्राप्त हुआ।

अब वित्तीय सेवाएँ होंगी अधिक सुलभ और प्रभावी: रिज़र्व बैंक की तीन नई पहलें

वित्तीय सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने मई 2024 माह में तीन नई योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें से पहली है

प्रवाह वेबसाइट (https://pravaah.rbi.org.in/) जिस पर जाकर कारोबारी अलग-अलग तरह के विनियामक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया आसान बनेगी और इसमें तेजी आएगी।

दूसरी पहल है, **'दि रिटेल डायरेक्ट'** मोबाइल ऐप जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को अत्यधिक आसान बनाता है। निवेशक अपने मोबाइल पर इस ऐप के माध्यम से बड़ी ही सुगमता से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और उनका रखरखाव कर सकते हैं।

इसी प्रकार की तीसरी पहल है **फिनटेक रिपॉज़िटरी**। यह भारत की फिनटेक कंपनियों के बारे में सूचना का एक समग्र डेटाबेस है। फिनटेक के क्षेत्र में अत्यधिक तेजी से हो रहे बदलावों को समझने और उसका विनियमन करने में इस रिपॉज़िटरी से सहायता मिलेगी। समझदारीपूर्ण और उपयोगी निर्णय लेने में यह नीति निर्माताओं के लिए मददगार रहेगी।

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

रिज़र्व बैंक करवाएगा अपने सांख्यिकी की बेंचमार्किंग

अगस्त 2024 में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी की बेंचमार्किंग वैश्विक मानकों के अनुसार करने पर विचार करने हेतु एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. माइकल देवब्रत पात्र की अध्यक्षता में गठित यह समिति नवंबर 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आर्थिक, वित्तीय और सांख्यिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक को 'वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक' पुरस्कार

विश्व की प्रतिष्ठित संस्था 'सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन्स' ने भारतीय रिज़र्व बैंक को 'वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक' पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। 'सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन्स' का मुख्यालय लंदन में स्थित है। भारत की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों को यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने वाला पुरस्कार है। लंदन में आयोजित समारोह में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से तत्कालीन कार्यपालक निदेशक श्री मनोरंजन मिश्र ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

NITI आयोग ने तैयार किया 2047 तक 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रोडमैप

नीति आयोग ने विकसित भारत @2047 विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें आज़ाद भारत के 100 वर्ष पूरे होते-होते उसे मौजूदा 3.36 ट्रिलियन से बढ़ाते हुए 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात हमें विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए आगामी दो दशकों की

अवधि में प्रति व्यक्ति आय मौजूदा 2,392 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 18,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचानी होगी। ऐसा तभी संभव होगा जब हम 20-30 वर्षों तक 7-10% की सालाना वृद्धि-दर निरंतर बनाए रखने में सफल रहेंगे। इतिहास साक्षी है कि ऐसा बहुत कम देश कर पाये हैं।

विकसित भारत को परिभाषित करते हुए नीति आयोग ने कहा है कि यह ऐसा भारत होगा जिसकी उच्च आय होगी, समुन्नत सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत अवसंरचना होगी। अगर विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी आंकड़ों की बात करें तो विकसित देश वह होता है जहाँ प्रति व्यक्ति आय 14,005 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष हो, जहाँ गरीबी कम से कम हो, शहरीकरण की योजना स्मार्ट प्लानिंग पर आधारित हो, कौशल विकास और आर्थिक स्वालंबन पर ज़ोर हो, लैंगिक समानता का व्यवहार किया जाए और पर्यावरण का दोहन संधारणीय स्तर पर ही किया जाए।

नीति आयोग ने इस विज़न को साकार करने के मार्ग में प्रमुख चुनौतियों को भी रेखांकित किया है। विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर बढ़ावा देना, यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाना, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की आय में मौजूद बड़े अंतराल को क्रमश: कम करना कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिनसे देश को पार पाना होगा। ऊर्जा सुरक्षा, पहुँच, लागत को वहनीय स्तर पर बनाए रखना और संधारणीय विकास पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा।

भुगतान अनुभव अब होगा और भी खास: ऐक्सिस बैंक लाया है एनएफसी साउण्डबॉक्स

मास्टर कार्ड के साथ मिलकर भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र बैंक ऐक्सिस बैंक भुगतान के क्षेत्र में एक अभिनव उत्पाद लेकर आया है। ऐक्सिस बैंक का दावा है कि उनका यह उत्पाद भुगतान

अनुभव को नये सिरे से परिभाषित करेगा। यह टैप+पिन, द्विस्तरीय पुष्टि, पहले से बेहतर कनेक्टिविटी, डायनमिक क्यूआर को सपोर्ट करने वाला होगा और साथ ही यह वीसा, रूपे और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे सभी प्रमुख भुगतान नेटवर्कों को सपोर्ट करेगा।

AIBEA ने खोला 'बैंक क्लिनिक'

बैंकों के खुदरा (रिटेल) ग्राहकों को उनकी बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं के निदान का मार्ग सुझाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) ने एक पहल करते हुए 'बैंक क्लिनिक' का शुभारंभ किया है। बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के अत्यंत तीव्र गति से हो रहे प्रवेश के मद्देनज़र भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विनियमन मानदण्डों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। AIBEA के अध्यक्ष श्री सीएच वेंकटाचलम के अनुसार ग्राहक banksclinic.com वेबसाइट पर जाकर बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी किसी भी शिकायत को कहाँ जाकर और कैसे रजिस्टर कराया जाए, इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकेंगे। ऐसी आशा की जा रही है कि इस पहल से बैंकों की शिकायत निवारण प्रणाली पर पड़ने वाले बोझ में भी कमी आएगी।

स्वास्थ्य बीमा में क्रांति लाती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI

साधारण बीमा के क्षेत्र में कारोबार करने वाली देश की अग्रणी कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक नया बीमा उत्पाद – ELEVATE - लेकर आयी है जो AI द्वारा समर्थित होने के कारण ग्राहकों से प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने की क्षमता से लैस है और उनकी आवश्यकता के अनुसार इष्टतम कवरेज का सुझाव देता है। इस उत्पाद को AI प्रौद्योगिकी के साथ इंटीग्रेट करके इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें आधुनिक जीवनशैली और उससे जनित तमाम अनदेखी आकस्मिक बीमारियों से जुड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। साथ ही, इसमें असीमित सम एश्योर्ड, असीमित दावा राशि जैसी कई अनोखी विशेषताएँ भी हैं।

निवेशकों के लिए सेबी लेकर आया है SEVA- एक एआई चैटबॉट

निवेशकों को प्रतिभूति बाजार से जुड़ी ताज़ा जानकारी देने, अद्यतन परिपत्रों और शिकायत निवारण प्रणाली से उन्हें अवगत कराने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एआई समर्थित चैटबॉट -SEVA- विकसित किया है। वर्तमान में यह बीटा वर्शन में है और इसे सेबी की Investor website और SAARTHI मोबाइल ऐप पर ऐक्सेस किया जा सकता है। समय के साथ इस चैटबॉट में प्रयोक्ताओं के फीडबैक के आधार पर नये-नये विषयों और विशेषताओं को शामिल करते हुए इसे अधिक विकसित बनाने की योजना सेबी की है।

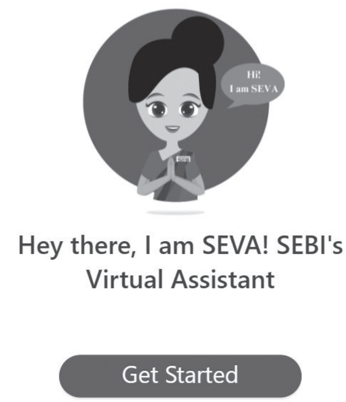

प्रसंगवश, चैटबॉट एक ऐसा कम्प्यूटर प्रोग्राम होता है जो मानव की आपसी बातचीत की नकल करने के लिए तैयार किया जाता है। न्यूरल लैंग्वेज़ प्रोसेसिंग (NLP) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए इस प्रकार के वर्चुअल सहायक प्रयोक्ता की जिज्ञासाओं का उत्तर देने में और प्रसंगानुकूल जानकारी देने में समर्थ होते हैं।

UPI के बाद अब ULI की बारी

भुगतान के क्षेत्र में पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले UPI की सफलता के बाद अब भारतीय रिज़र्व बैंक वही सफलता क्रेडिट के क्षेत्र में हासिल करने के लक्ष्य के साथ ULI - यानी Unified Lending Interface - लाने जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है आम जनता, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों, तक क्रेडिट सुविधा आसानी से, बिना किसी बाधा के और तीव्र गति से पहुँचाना।

इसके तहत, उधारकर्ताओं की ऋण साख के सटीक और अति शीघ्र आकलन को संभव बनाने के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों के पास उपलब्ध उधारकर्ताओं से संबंधित जानकारी को एक स्थान पर एकत्रित किया जाएगा। सूचना का आदान-प्रदान पारस्परिक सहमति पर आधारित होगा। न्यूनतम कागज़ी कार्रवाई होने के कारण ऋण देने की प्रक्रिया आसान और तीव्र बनेगी। यह उधारकर्ताओं का सशक्तीकरण करेगी जिससे देश की आर्थिक संवृद्धि को बल मिलेगा।

घूमता आईना
(अंतरराष्ट्रीय खंड)

- डॉ गौतम प्रकाश

(1) आसियान+3 ने नई वित्तीय सुविधा का अनावरण किया

दक्षिण पूर्वी एशिया के दस देशों के समूह, आसियान, ने तीन मित्र देशों (चीन, जापान और दक्षिण कोरिया) के साथ मिलकर एक नई वित्तीय सुविधा का ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा जॉर्जिया की राजधानी, तबलिसी, में मई 03, 2024 को की, जहाँ इनके वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक आयोजित हुई थी। इस सुविधा का नाम रैपिड फाइनान्सिंग फैसिलिटी है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों को त्वरित वित्तीय सहायता मुहैया करना होगा, जब वे भुगतान संतुलन के संकट के घेरे में हों। भुगतान संतुलन के संकट में आने के कारण यह हो सकते हैं - प्राकृतिक आपदा, महामारी, इत्यादि। परंतु यदि संकट के जनक मूलभूत आर्थिक परिस्थितियाँ या खराब घरेलू नीतियाँ हुईं, तो इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। ग़ौरतलब है कि नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में दक्षिण पूर्व एशियाई देश गहन आर्थिक संकट में फंस गए थे और तदोपरांत संकटों से जूझने के लिए मिलकर उन्होंने कई रणनीतियों का सृजन किया।

(2) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और केंद्रीय बैंक

केंद्रीय बैंक के परिपेक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कैसे उपयोग हो सकता है, इस विषय पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने एक संगोष्ठी आयोजित की। वहाँ सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) के प्रबंध निदेशक ने कहा कि मौद्रिक नीति निर्माण में अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी उपयोगी होगी, परंतु इतना तय है कि अंतिम ज़िम्मेदारी केंद्रीय बैंक के नेतृत्व की ही रहेगी। उनके बैंक में अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग जिन कार्यों के लिए किया जा रहा है वे हैं - आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना, सोशल मीडिया की मदद से जनता के महंगाई-संबंधी अपेक्षाएँ मालूम करना, इत्यादि। हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (एचकेएमए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने साझा किया कि वहाँ संदेहास्पद लेन-देन की पहचान करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो रहा है। काले धन को वैद्य बनाने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली के आंकड़ों की मदद से इंगित किया जा रहा है। परंतु आंकड़ों और सूचना की गोपनीयता और की सुरक्षा चिंता का विषय बना हुआ है। चिंता का विषय यह भी है कि इसके प्रयोग से सभी वित्तीय संस्थान, निवेशक इत्यादि समान रूप से वित्तीय बाज़ारों का विश्लेषण करने लगेंगे, जबकि एक स्वस्थ बाज़ार में अलग-अलग संस्थाएं पृथक अपेक्षाएँ रखती हैं।

महाप्रबंधक, प्रवर्तन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

(3) एशियाई विकास बैंक का एशिया महाद्वीप के लिए आर्थिक वृद्धि संबन्धित पूर्वानुमान

जुलाई माह में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने साझा किया कि महाद्वीप की आर्थिक वृद्धि के उसके पूर्वानुमान में बढ़त हुई है। संस्था का मानना है कि इस वर्ष वृद्धि की दर 5% रहेगी जबकि इसी वर्ष अप्रैल में उसका अनुमान था कि यह 4.9% रहेगी। इस बढ़त का मुख्य कारण है - घरेलू मांग, निर्यात एवं उत्पादन में तेज़ी। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, दोनों क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि 4.6% होने का अनुमान है, जबकि मध्य एशिया में यह 4.5% रहने का अनुमान है। दक्षिण एशिया में आर्थिक वृद्धि की दर 6.3%

अनुमानित है और इसमें भारत के लिए 7% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। महाद्वीप में मुद्रास्फीति के कम होने का भी अनुमान है - पिछले वर्ष, यह 3.3% रही परंतु इस वर्ष के लिए इसके 2.9% होने की संभावना है। एडीबी ने यह भी साझा किया है कि श्रीलंका में इस वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण नीति इत्यादि के बारे में वहाँ अनिश्चितता बनी हुई है। खाद्य सामाग्री में महंगाई दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, ऐसा एडीबी का अनुमान है।

(4) फिलीपींस में चार और डिजिटल बैंक लाइसेन्स पा सकेंगे

फिलीपींस के केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया है की अगले वर्ष वह चार और संस्थानों को डिजिटल बैंक शुरू करने के लिए लाइसेन्स देगा। देश में इस समय 6 डिजिटल बैंक मौजूद हैं और इन्हें 2019-2020 के दौरान डिजिटल बैंक लाइसेन्स दिये गए थे। परंतु, इसके बाद केंद्रीय बैंक ने एक प्रकार का अर्ध-विराम लगा दिया था। वह यह देखना चाहता था कि इन बैंकों के आगमन से वित्तीय समावेशन, आधुनिक बैंकिंग, और बैंक जगत एवं अर्थ-व्यवस्था पर कैसा असर पड़ता है। ध्यान रहे कि फिलीपींस में डिजिटल बैंक वो कहे जाते हैं जो कि वित्तीय सुविधाएं (जमा, ऋण, निवेश, विदेशी मुद्रा संबन्धित सेवाएँ, इत्यादि) केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करा सकते है, उनकी शाखाएँ नहीं हो सकती हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस बार वह ऐसी बैंकों को लाइसेन्स देना चाहता है जो कि लीक से हटकर, अलग प्रकार की सेवाएँ देने के लिए सक्षम और तत्पर हों।

(5) थाइलैंड के केंद्रीय बैंक की घरेलू ऋण पर पहल

महामारी के कारण थाइलैंड में परिवारों के ऊपर ऋण का बोझ बहुत बढ़ गया था - अब उन्हें क्रेडिट कार्ड ऋण और गृह ऋण को चुकाना मुश्किल हो रही है। महामारी के समय देश के केंद्रीय बैंक ने तब यह ऐलान किया था कि यदि क्रेडिट कार्ड धारक अपनी देय राशि का 5% भी चुकता कर दें तो वह न्यूनतम राशि के रूप में स्वीकार्य होगी। बैंक की चलाई स्कीम के अनुसार यह दर अगले साल (2025) से 10% की जानी थी परंतु जब बैंक ने यह पाया कि महामारी से आहत अनेक परिवार अब तक उस धक्के से उबर नहीं सके हैं, तो उसने अपनी स्कीम को संशोधित किया और 10% से घाटा कर न्यूनतम चुकता दर को 8% किया। बैंक ने यह भी सलाह दी कि यदि किसी परिवार को 8% देने में भी बाधा हो रही हो, तो वे अपने ऋण को मियादी ऋण में परिवर्तित करवा लें, क्योंकि इनमें ब्याज की दर क्रेडिट कार्ड के मुक़ाबले कम होती है। इसके अलावा बैंक ने लोन-टु-वैल्यू अनुपात को भी आसान बनाने का निर्णय लिया है ताकि कर्ज़ में डूबे परिवार और ऋण पा सकें और अपना जीवन चला सकें। देश में घरेलू ऋण की दर देश के सकल घरेलू उत्पादन का 91% बन गयी है। एक तरफ ऋणी परिवार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऋण देनेवाले बैंक इत्यादि NPA से परेशान हैं।

(6) विकसित देशों में भी वित्तीय साक्षरता एक चुनौती है

विकसित देशों के समूह, ओईसीडी, ने एक सर्वेक्षण के माध्यम से पाया है कि वित्तीय साक्षरता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। वहाँ 15 वर्ष के छात्रों में यह देखा गया कि उनमें से 20% छात्र वित्तीय साक्षरता की न्यूनतम निपुणता स्तर तक पहुँचने में समर्थ रहे। उन्हें मूलभूत बातों की जानकारी नहीं थी - जैसे कि प्रतिशत का गणित कैसे समझा जाए, बैंक के दस्तावेज़ कैसे पढे जाएँ, निवेश के अलग-अलग प्रकार क्या होते हैं, इत्यादि। यह चिंता का विषय है क्योंकि वहाँ तकरीबन 70% छत्र (15-वर्षीय) वित्तीय सेवाओं का उपयोग नियमित रूप से करते हैं। ओईसीडी के एक अन्य अनुसंधान में पाया गया कि वयस्कों में भी वित्तीय साक्षारता का स्तर संतोषजनक नहीं है - तकरीबन दो-तिहाई वयस्क वित्तीय साक्षरता की न्यूनतम निपुणता स्तर तक पहुँचने में असमर्थ हैं। अधिकतर वयस्क यह नहीं समझते कि पैसे का मोल समय पर भी निर्भर करता है और तकरीबन 16-17% वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार भी हो चुके हैं। ओईसीडी के अनुसार वित्तीय साक्षारता परिभाषा है - वित्त के विषय में ज्ञान, जागरूकता, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार का समुचित मिश्रण जिससे व्यक्ति उचित निर्णय लेने में सक्षम हो और वह वित्तीय क्षेत्र कल्याण की प्राप्ति कर सके।

(7) केंद्रीय बैंक सोने की खरीद कर रहे हैं

विश्व स्वर्ण परिषद के शोध से ज्ञात हुआ है कि केंद्रीय बैंक सोने की खरीद पर ज़ोर दे रहे हैं। विकासशील देशों के केंद्रीय बैंक यह कार्य अपेक्षा से अधिक कर रहे हैं। यह आंकड़े गत जून माह के हैं, जब कुल 12 टन सोना विभिन्न केंद्रीय बैंकों ने खरीदा।

भारत और उज्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंकों ने सर्वाधिक खरीददारी की (प्रत्येक ने 9 टन खरीदा), परंतु तुर्की और चीन भी बड़े खरीददार रहे। सोना बेचने वालों में सिंगापुर अग्रिम रहा लेकिन फिलीपींस ने भी बिक्री की। विश्व स्वर्ण परिषद ने इस वर्ष की शुरुआत में एक सर्वे करवाया था जिससे यह सामने आया कि 80% केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार को और बढ़ाने की सोच रहे हैं। कदापि इसका कारण यह है कि कई केंद्रीय बैंक निकट-से-मध्यम भविष्य में अपने डॉलर के भंडार में कुछ कमी करना चाहते हैं। सर्वे ने पाया था कि 49% केंद्रीय बैंक इस पर विचार कर रहे हैं।

(8) केंद्रीय बैंकों की परंपरागत शैली को चुनौती

संयुक्त राज्य अमरीका में प्रति वर्ष अर्थशास्त्रियों और केंद्रीय बैंक के उच्च अधिकारियों की एक बैठक - जैकसन होल सिंपोसिउम - आयोजित की जाती है। इस वर्ष, इस बैठक में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर (एंड्रयू बेली) ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने केंद्रीय बैंक के कार्यकलाप की परंपरागत शैली को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह साझा किया। सबसे पहले, उन्होंने बताया कि आज का परिपेक्ष पहले से भिन्न क्यों है - इसका कारण हैं वैश्विक महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध। पहली चुनौती है कि यदि ध्येय मुद्रास्फीति को कम करना नहीं बल्कि उसे बढ़ाना हो, तो यह काम न तो आसान है और न ही शीघ्र हो जाने वाला। दूसरी चुनौती है कि यदि अर्थव्यवस्था पर आघात का असर त्वरित नहीं बल्कि दीर्घ-कालीन हो, तो महंगाई-नियंत्रण और आर्थिक तेज़ी, इन दोनों ध्येयों के बीच में चयन कैसे किया जाए? तीसरी चुनौती है कि यदि महंगाई-नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता में किसी एक का चयन करना हो, तो यह कैसे किया जाए? उनके विचार में आज के परिपेक्ष में आर्थिक स्थिरता का चयन करना श्रेयस्कर रहेगा।

(9) बांग्लादेश में तकरीबन 10 बैंक मुश्किलों से घिरे

बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर, डॉ. एहसान हबीब मंसूर, ने पत्रकारों को बताया है कि वहाँ तकरीबन 10 बैंक दिवालिया होने की कागार पर हैं, परंतु बांग्लादेश बैंक तरलता, तकनीकी सहायता और सलाह दे कर इन सभी बैंकों के बचाव में लगा है। बांग्लादेश की अन्तरिम सरकार इसके अतिरिक्त, देश में मुद्रास्फीति की दर 9% हो गई है, जो कि नए गवर्नर के लिए चिंता का विषय भी बन सकती है। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि वे जल्द ही ब्याज की दरों को बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। ध्यान रहे कि अन्तरिम सरकार के प्रमुख, श्री मुहम्मद युनुस, स्वयं एक अर्थशास्त्री हैं और वे भी इन मुद्दों पर विचारशील होंगे परंतु इस विषय पर उनका कोई वक्तव्य आना बाकी है।

स्रोत :

(1) https://www.centralbanking.com/central-banks/currency/7961255/asean3-to-launch-new-financing-facility

(2) https://www.centralbanking.com/fintech/7961269/central-banks-prepare-for-the-rise-of-ai?total=8&position=1&utm_campaign=Central%20Banking%20-%20Daily&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_ht-9683UmO_cDDBAIxPBIUwj8jUpgIte0P1HGJn1D-y5FmkqbeNnZuZF1eT2uurF2cKm5JkJBJh53s1AyvRm6LwZENA&_hsmi=306204007&utm_content=306204007&utm_source=hs_email

(3) https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7961655/asian-development-bank-raises-growth-outlook-for-asia?total=7&position=7&utm_campaign=Central%20Banking%20-%20Daily&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9pYA2LVQ5mc3K101fMStjOU0l4J5_-0QOKNU8IuViOBBhz-lnP3hmQgveYDfY3IVDOjjt6izmC-a615PlkGn-2PfE5SA&_hsmi=316169363&utm_content=316169363&utm_source=hs_email

(4) https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-market-infrastructure/7962057/philippines-to-issue-up-to-four-more-digital-bank-licences

(5) https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7962024/bank-of-thailand-announces-measures-to-ease-household-debt?total=7&position=6&utm_campaign=Central%20Banking%20-%20Daily&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--U4V2ukAHFsdA2CCTPZyV4Rwv0Nr4x9kJ2oTq8DHRREjT8urc6Jv0is1AKXKsQeZIN3Y13Haaru7gDOthDgkQEFaj2gQ&_hsmi=318767055&utm_content=318767055&utm_source=hs_email

(6) https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/financial-inclusion/7962001/how-to-increase-the-impact-of-financial-literacy-initiatives?total=6&position=5&utm_campaign=Central%20Banking%20-%20Daily&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8iUbVYoDPd6AZptIivlY5Q71xv1mBJS-0OXwkf1qvl4QUAfE1fn3buTwuu61prB-CQq_57YuxCL7Z18UulS9mpL0bdsQ&_hsmi=318339820&utm_content=318339820&utm_source=hs_email

(7) https://www.centralbanking.com/central-banks/reserves/gold/7962029/central-banks-buying-more-gold

(8) https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7962141/bailey-highlights-key-challenges-to-central-banking-orthodoxy?check_logged_in=1

(9) (i) https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/7962067/bangladesh-central-banks-governor-steps-down

(ii) https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/7962072/former-imf-economist-to-be-next-bangladesh-bank-governor

(10) https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7962257/at-least-10-banks-near-bankruptcy-bangladesh-bank-governor

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) : ____________________

नाम(स्पष्टअक्षरोंमें):श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी____________________

पता (स्पष्ट अक्षरों में) :____________________

____

केंद्र____________________ पिन कोड ____________________

मोबाइल नं. ____________ टेलीफोन नं. (कार्यालय) ____________ निवास____________

फैक्स नं. ____________________ एसटीडी कोड ____________________

ई मेल पता : ____________________

दिनांक : ____________

भवदीय/या

(हस्ताक्षर)

STABILITY
TRUST
GROWTH

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन / अप्रैल - सितंबर 2024
पंजीकरण संख्या: 47043/88